राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २६वां दिवस [संख्या १९

सोमवार, दिनांक २० मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, राजस्व, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण, खनिज, योजना, शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन विभाग]

प्रश्न संख्या ४०३

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०४

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०५

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

तहसील उदयपुर के उदयपुर जमात प्राइमरी स्कूल के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलान

४०७. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जिला झुंझुनू, तहसील उदयपुर के उदयपुर जमात प्राइमरी स्कूल के हरिजन छात्रों को गत दो वर्षों में कोई छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धनराशि छात्रों को प्राप्त नहीं हुई ?

Page No.2

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रों के अभिभावकों व उन छात्रों ने तत्सम्बन्धी शिकायतें भी अधिकारियों को कीं ?

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : छात्रवृत्ति सन् ५८-५६ में स्वीकृत की गई थी। सन् १६५६ में पंचायत समितियों को धन-राशि दे दी गई है।

(ख) स्वीकृत छात्रवृत्ति छात्रों को प्राप्त हो गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अभी उत्तर में निवेदन किया था कि स्वीकृत छात्रवृत्ति छात्रों को प्राप्त हो गई है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ५६-६० में छात्रवृत्ति छात्रों को कब मिली ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सन् ५६ में धन-राशि पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दी गई थी, उन्होंने दी होगी।

डॉ० चन्द्रकला : इससे पहले जो स्वीकृत हुई वह किस समय मिली ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समय पर मिली।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : आपको कैसे मालूम हुआ कि स्वीकृत छात्रवृत्ति दे दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को देने के लिये ही रखी गई थी इसलिये पंचायत समितियों ने दे दी होगी। आपके पास यह सूचना है क्या कि उनको नहीं मिली ?

श्री रामचन्द्र : आपको कैसे मालूम है कि मिल गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपको इसके विपरीत इत्तला है क्या ?

श्री रामचन्द्र : मेरे पास विपरीत इत्तला है, इसीलिये तो अर्ज कर रहा हूँ कि छात्रवृत्ति नहीं मिली।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कहां नहीं मिली ?

श्री रामचन्द्र : झालावाड़ में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : झालावाड़ की बात नहीं हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला : जहां नहीं मिली वहां क्या पंचायत समितियों को धन-राशि दी गई, इसलिये नहीं मिली ?

Page No.3

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पंचायत समितियों को इसके लिये जो रकम दी गई है उसके अनुसार वितरण किया है और अगर कहीं नहीं दी है तो आप बता दीजिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नहीं मिली है इसीलिये तो अर्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील में घासमारी की रकम की वसूली

४०८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) घासमारी की रकम पाली तहसील में किन किन लोगों से किन किन नियमों के आधार पर ली जा रही है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि काश्तकारों व पशु–पालकों से पिछले चार–पांच सालों की घासमारी एक साथ वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राजकीय आदेश संख्या एफ. ६। १६ (राजस्व) ५१ दिनांक २४–११–१६५८ के अनुपालन में जो व्यक्ति भेड़, बकरी आदि मवेशी रखते हैं उनसे घासमारी की वसूली की जा रही है।

(ख) जी हां। जिन काश्तकारों व पशु–पालकों ने पिछले चार-पांच सालों से घास-मारी नहीं दी है उनसे चार-पांच सालों की घासमारी एक साथ वसूल की जा रही है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक साथ वसूल करने के लिये कुछ राहत देने का विचार किया है ? क्या उनकी फाइनेन्शियल कन्डीशन देख कर राहत दी जायगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर्स को अधिकार है कि काश्तकारों की फाइने-न्शियल कन्डीशन देख कर इन्स्टालमेंट्स में राहत दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या ४०६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर की बस्तियों में प्रकाश की अव्यवस्था

४१०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर में आज भी ऐसी कई एक बड़ी बड़ी बस्तियां हैं जिनमें (रोड लाइट को छोड़ कर) प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जयपुर शहर की ऐसी बस्तियों का सर्वेक्षण करा कर उनमें प्रकाश की व्यवस्था कराने का विचार है ?

(ग) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था गड़बड़

(डॉ० चन्द्रकला)

रहती है और उसे ठीक करने की ओर विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता ?

(घ) टोंक रोड पर रामबाग से लेकर झालाना फाटक तक रोड़ लाइट के लिये कुल कितने बल्ब लगे हुए हैं ? उनमें से कितने बल्ब खराब पड़े हैं और कब से ?

(ङ) जनता की ओर से बार बार ध्यान दिलाये जाने पर भी इस सड़क पर अब तक प्रकाश व्यवस्था ठीक न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब जल्दी ही इसे ठीक करने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) केवल ३२ बत्तियां हैं और सभी ठीक हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है तो फिर सूचना कहां से प्राप्त की जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपैलिटी या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हम यहां पर प्रश्न पूछते हैं तो म्युनिसिपैलिटी से सूचना प्राप्त करके या आपके डिपार्टमेंट से मंगवा कर इसका उत्तर आप हमें यहां पर दें ।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचना मेरे पास अब तक नहीं आई है ।

प्रश्न संख्या ४११

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४१२

श्री मोतीबाबा चौधरी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४१३

श्री भैरोंसिंह 'काला बादल'

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१४

श्री मोतीबाबा चौधरी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अनूपसिंह ।

ग्राम बायतु से पचपदरा तक सड़क निर्माण कार्य

४१५. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अनूपसिंह)

(क) क्या यह सही है कि जिला बाडमेर में एक सड़क ग्राम बायतु से भिड़ां, पाटोदी होकर पचपद्रा तक बननी है ?

(ख) क्या यह सही है कि सड़क का निर्माण मार्च, सन् १९६१ तक (द्वितीय योजना की अवधि में) पूरा हो जाना चाहिये था और जिसका सदन में आश्वासन १९५७ में दिया गया था ? अगर हां, तो इस सड़क का निर्माण उक्त अवधि में समाप्त क्यों नहीं हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जिला बाडमेर में सड़क ग्राम बायतु से भिडां पाटोदी होकर पचपद्रा तक तो बनने की नहीं है, किन्तु एक सड़क कनोद से गिरान, पराऊ, पाटोदी, गोपरी होती हुई पचपद्रा तक तथा दूसरी सड़क बाबा से बायतु, कनोद, पटासा, छोटासाऊ, लोमो की ढाणी होती हुई फलसूंद तक बनाने की योजना है।

(ख) यह सही नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनूपसिंह : १९५७ में जब मैंने पहली बार प्रश्न किया था उस समय आश्वासन दिया था कि ६१ में खत्म हो जायगी। सन् ६१ तक की दूसरी योजना का काल समाप्त हो रहा है तो क्या तीसरी योजना काल में भी यह काम चालू रहेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : आश्वासन कौन सी सड़क के लिये दिया था ?

श्री अनूपसिंह : इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में समाप्त होने का सवाल था वह अब तक पूरी नहीं हुई।

श्री हरिश्चन्द्र : कौन सी सड़क के लिये फर्माया आपने ? मैंने दो सड़कों के बारे में आपको बताया है।

श्री अनूपसिंह : पचपद्रा से गुड़ा होकर कनोद तक मिलाने जा रहे हैं उसका सवाल है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें जैसा आप फर्माते हैं वैसा आश्वासन नहीं दिया होगा। यह आश्वासन दिया होगा कि तीसरी योजना में यह काम शुरू रहेगा, तीसरी योजना तक चलेगा। इसका काम दूसरी योजना में शुरू हुआ होगा। सारी की सारी सड़क एक ही योजना में पूरी होने का सवाल नहीं है क्योंकि उसकी लेन्थ ४७ माइल है।

श्री अनूपसिंह : यही तो फर्माया था कि ६१ तक खत्म हो जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो १० माइल का टुकड़ा बनाने का सवाल था।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

खेतड़ी स्थित तांबे की खान का विकास

४१७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मुरलीधर व्यास)

(क) सरकार ने खेतड़ी में पाई गई तांबे की खान के विकास के लिए क्या योजना बनाई है ?

(ख) इसमें इस समय कितना तांबा मिलने की उम्मीद है ।

(ग) औसतन प्रति टन तांबा उत्पादन में क्या खर्च लगाने की संभावना है ।

खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : खेतड़ी में पाई गई तांबे की खान के विकास एवं अनुसंधान का कार्य भारत सरकार के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा किया जा रहा है । भारत सरकार ने इस क्षेत्र में खनन तथा शोधन कार्य करने का निर्णय किया है और एक तांबा उत्पादन प्लान्ट भी यहां लगाने की योजना बनाई है । जिससे लगभग दस हजार टन तांबा प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है ।

(ख) क्योंकि यह योजना भारत सरकार की बनाई हुई है इसलिये यह सूचना पूरी तरह से देने में राज्य सरकार असमर्थ है ।

(ग) क्योंकि यह योजना भारत सरकार की बनाई हुई है, इसलिये यह सूचना पूरी तरह से देने में राज्य सरकार असमर्थ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : भारत सरकार ने योजना बनाई किन्तु राजस्थान में है, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान यह जानने की कोशिश करता है कि क्या व्यय होगा, कितना उत्पादन होगा ? इसकी जानकारी नहीं है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न इतना था कि कितना तांबा मिलने की उम्मीद है, इस बारे में मैंने कहा कि डिटेल्स वर्क-आउट नहीं हो जावें तब तक सूचना देना मुश्किल है । फिर भी पूछा है कि प्रति टन कितना खर्चा होने की संभावना है, तो प्लान्ट वगैरह लग जाय तभी यह पता चल सकता है, आज दिन कहना मुश्किल होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : कार्य प्रारम्भ होता है तब सबसे पहले यह आंका जाता है कि कितना खर्चा होगा, कितना उत्पादन होगा । इसके आधार पर यह तो आंकड़ा निकाला होगा कि प्रति टन कितना खर्चा होने की संभावना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, निकाला होगा, लेकिन यह पब्लिक सेक्टर में है और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है । इसलिये वहां पूछा जाय तो उचित होगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : That is the information given during the Plan discussion also.

प्रश्न संख्या ४१८

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

देवली—केकड़ी सड़क का निर्माण-कार्य

४१६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.7

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(क) क्या यह सही है कि ग्राम टोडा से वाया नासिरदा, थांवला होती हुई माल्हेड़ा जो देवली से केकड़ी सड़क जाती है उसे बनाने का कार्य प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में था ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क के टेन्डर मन्जूर हो गये थे ? अगर हां, तो उक्त सड़क कितने मील बन चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सड़क स्वीकृत नहीं थी किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केबिनेट के निर्णयानुसार टोडारायसिंह से नेगडिया वाया वासू नासिरदा तथा थांवला होकर सड़क निर्माण की स्वीकृति हो गई थी ।

(ख) प्रश्न 'क' के उत्तर में वर्णित मार्ग पर ५ मील के टेन्डर स्वीकार किये गये थे किन्तु सड़क निर्माण कार्य विसालपुर बांध के डूब में आने की सूचना पर बंद करा दिया गया ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि गत वर्ष में इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि नासिरदा विसालपुरा बांध की डूब में नहीं आयेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपके पास सूची पेश करूं जवाब की ? मुझे सूची दी है, उसमें लिखा है, आपने कहा कि बांध बनेगा उसकी वजह से नासिरदा थांवला होकर सड़क नहीं आ सकती, उसमें नहीं आती है तो नेगड़िया में होकर लाई जा रही है । नेगड़िया बांध के किनारे पर गांव है, नासिरदा छः सात मील पर है । वाकई नेगड़िया डूब में आयेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है कि आसपास के गांव डूब में नहीं आये हों, यह सूचना है सड़क की कि वह डूब में आने को है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमारे क्षेत्र के मिनिस्टर अच्छी तरह से जानते हैं नेगडिया बांध के पास है ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): आपके क्षेत्र का कोई मिनिस्टर नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मिलते-जुलते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : ४२० ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, ४२० सम्मानित अंक नहीं है, इसको निकाल दिया जाय तो उपयुक्त होगा ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : XXXX

XXXXअध्यक्ष –पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Page No.8

श्री मुरलीधर व्यास : ४२० को छोड़ दीजिये, ४२१ रख दीजिये ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष, आपने कहा, वह और बात है । कोटा से आने वाले सदस्य ने कहा है वह पार्ट ऑफ रेकॉर्ड नहीं होगा । इसके सिवाय कुछ नहीं कहना ।

डॉ० चन्द्रकला : आगे यह नम्बर आये तो इसको छोड़ दिया जाय ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेकारी के निवारणार्थ व्यवस्था

४२०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितने शिक्षित व अशिक्षित बेकार हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) इन बेकारों को काम देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक कितने बेकारों को काम मिल जावेगा ?

(घ) यदि योजना में जिले वार बेकारी की समस्या दूर करने की कोई योजना हो, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

योजना मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) मोटे तौर पर ऐसा अनुमान है कि अतिरिक्त श्रमिकों को काम दिलाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नगरों में १,३०,००० और गांवों में ६,३०,००० श्रमिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले विकास कार्यों के सिलसिले में अतिरिक्त श्रमिकों को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में रोजगार मिल जाने की आशा है । योजना आयोग के विचार-विमर्श करने पर तीसरी योजना में विभिन्न सैक्टरों के अन्तर्गत ली जाने वाली स्कीमों का अनुमान लग गया है । डाइरेक्टोरेट ऑफ इकॉनोमिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स, यह हिसाब लगा रहा है कि जो प्रस्ताव तीसरी योजना के अन्तर्गत तैयार किये गये हैं उनके आधार पर तृतीय योजना-काल में विभिन्न सेक्टरों के अन्तर्गत लगभग कितने व्यक्तियों को काम दिलाया जा सकेगा । ये आंकड़े अनिवार्यतः कच्चे (टेन्टेटिव) तो होंगे ही । कुछ एक ऐसे सामान्य पैमाने (नोर्म्स) निश्चित किये जा जिनसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत होने वाले काम की रहे हैं मात्रा और कर्मचारियों (लेबर) की संख्या का पारस्परिक अनुपात (आउट ले एन्ड एम्पलॉयमेंट रेश्यो) प्रकट हो सकेगा । उसकी जांच वस्तुतः फील्ड सर्वे द्वारा बाद में की जावेगी, जिसमें अधिक समय लगेगा ।

(घ) देहाती क्षेत्रों में अतिरिक्त जन-शक्ति का उपयोग करने के लिये योजना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आयोग ने कुछ प्रस्ताव किये थे । योजना-आयोग से विचार-विमर्श करने के बाद यह तय किया गया है कि दो पाइलोट प्रोजेक्ट इसके अन्तर्गत चालू किये जायं । इस प्रोग्राम का प्रभाव मालूम करने के पश्चात् इस पर विचार किया जायगा कि आया इस प्रोग्राम का विस्तार अन्य खंडों में भी किया जाय अथवा नहीं ।

तीसरी योजना के कार्यक्रमों की रोजगार समता (एम्पलॉयमेंट पोटेंशियलिटी) के मोटे तथा कच्चे (रफ एन्ड टेन्टेटिव) जिले बार आंकड़े तब ही मालूम किये जा सकते हैं जब कि राज्य की तीसरी योजना की कुल लागत को विभिन्न जिलों में वितरित करने के बारे में अनुमानित प्रस्ताव तैयार हो जायं ।

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षितों की बेकारी के सम्बन्ध में जैसा पहले एक दफा आया था, शिक्षित बेकारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक पाठशालाएं खोले शिक्षितों की दृष्टि से, ताकि उनको काम मिल सके । वे आंकड़े इसमें हो सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका प्रश्न यह है कि राजस्थान में इस समय कुल कितने शिक्षित व अशिक्षित बेकार हैं ? आपने यह नहीं पूछा कि कितनों को काम पर लगा दिया है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अपने शिक्षा क्रम में संशोधन करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर समय समय पर विचार होता रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने काम पर लगा दिये हैं, ये आंकड़े दिये गये हैं । मैं समझता हूँ कि जब तक डिस्ट्रिक्टवाइज़ फिगर्स नहीं हों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने बेकार हैं, कितने शिक्षित हैं, तब तक हम किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि हमने इतने लोगों को काम दिया है, इतने रहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ आप टेन्टेटिव आधार पर कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लोग लगते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम पर लगते हैं, इतने डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स इस वक्त नहीं हैं । जो स्थिति आपके सामने रखी है वह आपके सामने रखी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

ग्राम डरी (पाली) में पड़त गोचर व काश्त की जमीन

४२१. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील के डरी गांव में कुल काश्त की कितनी जमीन है और जागीरदार डरी ने व उसके छुट-भाइयों तथा उसके सम्बन्धियों के पास कितनी कितनी जमीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

Page No.10

(श्री बेनाराम गहलोत)

(ख) उक्त ग्राम में कुल कितनी जमीन गोचर है व कौन कौन से खसरा नम्बर है ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पड़त जमीन पर सम्वत् २०१५–२०१६ में किस किस ने काश्त की ?

(घ) क्या यह सत्य है कि पड़त जमीन की जागीरदार व उनके छुटभाइयों ने काश्तकारों से ३ व ४ हिस्से से लटाई की, जिसकी शिकायत कलेक्टर, पाली के पास की ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) तहसील पाली के ग्राम डरी में कुल काबिल काश्त भूमि १४०७५।।।)१ है । जागीरदार, श्री हरीसिंह एवं उसके छुटभाइयों व गुजारेदारों के खुद काश्त में जो भूमि है उसका स्टेटमेंट सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) उक्त ग्राम में कुछ घोषित शुदा गोचर भूमि २०।)१ जिनके खसरा नम्बर ५४२ व ५४४ हैं ।

(ग) सम्वत् २०१५–२०१६ में जिन जिन व्यक्तियों ने खालसा भूमि पर काश्त किया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) ऐसी कोई शिकायत जिलाधीश, पाली के कार्यालय में होना नहीं पाया गया ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : यह सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिस आॅफिस में है ।

प्रश्न संख्या ४२२

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

बीकानेर में अधिक बजट होने के बावजूद उदयपुर में सुपरिन्टेन्डेन्ट गार्डन्स की पोस्ट की स्वीकृति

४२३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बगीचों के लिए बीकानेर और उदयपुर में से किसका बजट अधिक है ?

(ख) बगीचे इन उपरोक्त स्थानों में कहां अधिक हैं ?

(ग) इन स्थानों पर बगीचों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(घ) राजस्थान में किन किन स्थानों पर १६६० में नई पोस्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट गार्डन्स की स्वीकार की गई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि उदयपुर के बजाय बीकानेर में बजट आदि अधिक होते हुए भी कई नई पोस्ट सुपरिन्टेन्डेन्टस की उदयपुर में स्वीकार की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) बीकानेर का बजट अधिक है।

(ख) बीकानेर में अधिक है।

(ग) उदयपुर में ६, बीकानेर में १६।

(घ) केवल उदयपुर में।

(ङ) सही है। उदयपुर की क्लाइमेट ठीक होने से वहां की नर्सरी राजस्थान के पॉर्क्स को पौधा वितरण करती है तथा टूरिस्ट सेंटर होने के कारण उद्यानों की विशेष देख भाल के लिये यह पोस्ट स्वीकृत की गई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक जगह १६ हैं और एक जगह ६ हैं। ६ जहां हैं वहां पोस्ट स्वीकृत की गई, जहां १६ हैं वहां देख-रेख के लिए सरकार विचार नहीं रखती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सुपरिन्टेन्डेन्ट लेबर फोर्मेज़ पर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट थे?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ पहले थे, बाद में हटाया गया है। उसके बाद नतीजा यह हुआ कि गार्डन की व्यवस्था खराब हुई। इतना रुपया लगाते हैं और वहां नर्सरी और दूसरी चीजें हैं वहां सुपरिन्टेन्डेण्ट की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया वहां नर्सरी लग गई है, नर्सरी और टूरिस्ट सेन्टर होने की वजह से काम अधिक है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में नर्सरी है।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : बीकानेर नर्सरी को वाटर सप्लाई करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, अलग से प्रश्न करें तो उत्तर दे सकता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा क्वेश्चन है वहां नर्सरी भी है, उसका बजट काफी है, ऐसी स्थिति में विकास की दृष्टि से और मरुस्थल में नर्सरी और दूसरे साधन नहीं मिलते हैं, इसलिए उसका विकास अच्छा हो सके ताकि लाभ मिल सके।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर वर्क लोड जस्टीफाइ किया तो फिर देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर के भवन का निर्माण

४२४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर में डूंगर कॉलेज की नई बिल्डिंग्ज का कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं ?

Page No.12

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ख) यह बिल्डिंग कब तक पूरी हो जावेगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) बीकानेर में डूंगर कॉलेज के नये भवन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ।

(ख) डूंगर कॉलेज का नया भवन दो वर्षों के अन्दर बन कर तैयार हो जायेगा, ऐसी सम्भावना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

चकबन्दी के कार्य में परिवर्त्तन की अपेक्षा

४२५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) कन्सोलिडेशन कराने से सरकार का क्या अभिप्राय है ?

(२) सिकराय तहसील के ग्रामों में कन्सोलिडेशन कराने से पूर्व व बाद में जमीन के चकों की संख्या क्या थी ?

(३) क्या यह सत्य है कि चकबन्दी से प्रति व्यक्ति चक बढ़े हैं, न कि कम हुए हैं ?

(४) क्या सरकार अब इस कार्य में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इससे बिखरे हुए खेत एकजाई हो जाते हैं जिससे इकॉनोमिक होल्डिंग हो जाता है । गांव के रास्ते, नाले व कुंए के धोरे सीधे कर दिये जाते हैं । भूमि एकीकृत होने पर कृषक चाहा बना कर उसे पीवल बनाते हैं । पैदावार बढ़ती है, समय की बचत होती है । ग्राम के विकास हेतु तथा सार्वजनिक सुविधार्थ भूमि निर्धारित की जाती है ?

(२) चकों की संख्या इस प्रकार है:—

भूमि वर्ग	चकों की संख्या	
	पूर्व	पश्चात्
चाही	१६,६६६	६,१५१
नहरी	१,०५६	२०६
बारानी	७,५५७	५,१७५
टोटल	२८,५७६	१४,५३५

(३) जी नहीं ।

(४) एकीकरण का कार्य तहसील सिकराय में सफल रहा है, अतः क्षेत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न संख्या ४२६

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२७

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(श्री अध्यक्ष)

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अधिकारियों द्वारा घरेलू कार्य लिया जाना

४२८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि चतुर्थ श्रेणी के कई कर्मचारियों से अधिकारीगण अपने घरेलू कार्य करवाते हैं ? यदि हां, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठा रही है ?

(ख) जिन चतुर्थ क्लास कर्मचारियों से घरेलू कार्य लिया जाता है वे अपनी शिकायत किस अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं ?

(ग) क्या आज तक किन्हीं चतुर्थ क्लॉस कर्मचारी ने पाली कलेक्टर के पास घरेलू कार्य करवाने वाले अधिकारियों की शिकायत की है ? यदि हां, तो कलेक्टर, पाली ने क्या कार्यवाही की है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आई है ।

(ख) जब कभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने अफसर की शिकायत करनी हो तो वह नेक्स्ट हॉयर ऑथोरिटी से कर सकता है ।

(ग) कुछ समय पहले ऐसी शिकायत कलेक्टर, पाली के पास आई थी उसकी छानबीन की जा रही है ।

प्रश्न संख्या ४२६

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर मेरे पास नहीं आया है, नेक्स्ट टर्न पर इसका उत्तर दिया जायगा ।

(प्रश्नोत्तर ४२६ के लिये कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मांडलगढ़ एस. डी. ओ. ऑफिस में गलत ढंग से झण्डा फहराया जाना

४३०. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत १५ अगस्त के पर्व पर माण्डलगढ़ एस० डी० ओ० ऑफिस पर किसी अधिकारी ने गलत ढंग से राष्ट्रीय झण्डा फहराया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसकी सूचना मेरे पास नहीं आई है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री रामकिशन ।

२८ फरवरी, १९६१ का स्थगित प्रश्न सूरजमल सुनार, निवासी नोहर को भूमि का नाजायज आवंटन

१३६. श्री **रामकिशन** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नोहर, जिला गंगानगर में सूरजमल सुनार, निवासी नोहर को ८८ बीघा रकबा उसके एवं उसके संयुक्त परिवार के नाम होते हुए भी १६ बीघा रकबा और अलॉट किया गया है जब कि सूरजमल ने अपने हल्फिया बयान में एक कुटुम्ब खुद तसलीम किया है ?

(२) जब कि उसकी जमीन किसी भी स्कीम और एकीकरण में नहीं आई, तो क्या उसका तबादला जोहड़ पायतन में नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या उपरोक्त तबादले से सरकार को दस हजार रुपये का नुकसान हुआ है, जब कि केबिनेट मीटिंग में यह तय हुआ है कि जोहड़ पायतन की जमीन नहर के बारहमासी होने पर ही नीलाम की जावे ? अगर हां, तो ऐसी गल्ती करने वाले अफसरों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या इसी खसरे के पास खसरा नम्बर ६१८।५४३ का बेचान नाथू नाई वगैरह ने ६००) रु० फी बीघा से किया है ? अगर हां, तो सूरजमल सुनार को सरकारी जमीन मुफ्त ही क्यों दी गई ?

(५) क्या यह नाजायज तबादला और अलॉटमेंट बगैर नोटिस के ही किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(६) क्या इसकी शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से की गई थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों और ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूरजमल सुनार तथा उसके संयुक्त परिवार के सदस्यों के नाम भाखरा व नोहर के क्षेत्र में २८।।।)३ बीघा अनकमान्डेड तथा ४०।)१ बीघा कमान्डेड कुल ६९।४ बीघा भूमि है जो ५० बीघा कमान्डेड के बराबर होती है। जो १६ बीघा राजकीय भूमि उसके नाम पुख्ता अलॉट की हुई है वह इन ५० बीघा में है। इस नये अलॉटमेंट के औचित्य पर विचार किया जा रहा है। जांच से जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जायेगी।

(२) उनकी भूमि किसी स्कीम और एकीकरण में नहीं आई। उनकी दर्ख्वास्त पर तबादला डाइरेक्टर द्वारा किया गया था। परन्तु अब इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और गलत तबादला हुआ तो वसूल करने की कार्यवाही की जायगी।

(३) यह तबादला भूमि का मामला जेर तजवीज है। अन्तिम निर्णय होने पर अगर किसी अधिकारी की गल्ती पाई गई तो उसके विरुद्ध महकमाना कार्यवाही की जावेगी और अगर कीमत जमीन में फरक होगा तो हस्ब कायदा मंसूखी तबादला या वसूली मतालबा किया जावेगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(४) नत्थू नाई ने २)१ बीघा भूमि ३,०००) रु. में बेची जिसकी कीमत करीब ३७५ फी बीघा होती है। यह मामला जेर तजवीज़ है, अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि जमीन मुफ्त सूरजमल को क्यों दी।

(५) सूरजमल सुनार के कब्जा काश्त में भूमि होने के कारण नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि पहले ऐसा अमल नहीं था।

(६) यह सारा मामला जेर तजवीज़ है। अतः अन्तिम निर्णय होने पर ही इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या अलॉटमेंट करने से पहले यह जांच करना जरूरी नहीं था कि अमुक व्यक्ति के पास जमीन है या नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा जवाब पूरा नहीं सुना। ५० बीघा पाने का मुस्तहक है।

डॉ० चन्द्रकला : ६६ बीघा बतलाया।

श्री दामोदरलाल व्यास : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

६ मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपूर्ण पड़ी हुई सड़कों का निर्माण

१६७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई बहुत सी सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं ? अगर हां, तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी तथा कितनी कितनी लम्बाई की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना चालू होने से पहले उपरोक्त कार्य सम्पूर्ण करने का सरकार का लक्ष्य है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) द्वितीय योजना काल में ली गई समस्त सड़कों को पूर्ण करने का कोई समय नहीं रखा गया था। कार्य योजनानुसार चल रहे हैं। जो कार्य इस योजना काल में पूर्ण नहीं हो सकेंगे, उनकी सूची प्रस्तुत है।

(ख) जी नहीं, योजनानुसार ही पूर्ण किये जायेंगे।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

रावराजा श्री सरदारसिंह : टौंक से लेकर इन्दरगढ़ की सड़क इस योजना में पूर्ण हो जायगी कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : टौंक टू उनियारा बन गई है। बाकी मेरे पास यह सूचना नहीं है। टौंक से सड़क उनियारा को गई है, वह कम्प्लीट है, टौंक से सवाई माधोपुर की ४ फर्लांग बाकी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा से खातोली, इन्दरगढ़, बासला नहीं बनी है, उनियारा से बासला तक अधूरी है।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में है तो देख सकते हैं, इसके अलावा तो सड़कें हैं नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : लिस्ट मेरा की है, इसके अलावा और कोई बात हो, कोई मामला हो तो मेरे से मिल लें।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : श्री रामचन्द्रजी का ४२६ नं० का प्रश्न है उसका उत्तर दे दूं।

झालावाड़ जिला जेल पर टेलीफोन की व्यवस्था

४२६. **श्री रामचन्द्र** (डग–सु०) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) झालावाड़ जिला हैड क्वार्टर पर किन किन अधिकारियों के कार्यालयों तथा घरों पर टेलीफोन लगे हुए हैं और इनका खर्चा कौन देता है ?

(२) क्या सरकार जिला जेल पर भी टेलीफोन लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो गम्भीर परिस्थितियों में जेल के पास सूचना देने का क्या फौरी साधन है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) झालावाड़ जिला हैड क्वार्टर पर जिन जिन अधिकारियों के कार्यालयों तथा घरों पर टेलीफोन लगे हुए हैं उनकी सूची व खर्चे का विवरण निम्न तालिका के अनुसार है :

क्रमांक : टेलीफोन जो	कार्यालय में	घर पर
लगे हुए हैं :		
टेलीफोन जिनका खर्चा राजस्थान सरकार से दिया जाता है		
१. जिलाधीश	१	१
२. अधीक्षक, जनरल्स	१	१
३. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, झालावाड़	१	
४. पुलिस लाइन्स	१	
५. सर्किट हाउस	१	
६. गवर्नमेंट कॉलेज	१	
७. अधीक्षक, बिजलीघर	१	१
८. बिजलीघर	१	
९. जिला परिषद्	१	
१०. पुलिस स्टेशन, झालावाड़	१	
११. निरीक्षक, सहकारी समितियां, झालरापाटन	१	
टेलीफोन जिनका खर्चा केन्द्रीय सरकार से दिया जाता है		
१२. पोस्ट ऑफिस, झालावाड़	१	

Page No.17

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

१३. जिला अफीम, अधिकारी	२
१४. पोस्ट ऑफिस, झालरापाटन	१
१५. पुलिस, झालरापाटन	१

टेलीफोन जिनका खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड से दिया जाता है :—

१६. म्युनिसिपल बोर्ड, झालरापाटन	१

(२) जी हां, झालावाड़ सब-जेल पर भी टेलीफोन लगाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

जयपुर शहर में नियुक्त अनुसूचित जाति की अध्यापिकाएं

४०३. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) शहर जयपुर में विभिन्न ग्रेडों में कितनी अध्यापिकाएं हैं ?

(२) गत पांच वर्षों में कुल कितनी अध्यापिकाओं को नियुक्त किया गया है और उनमें से अनुसूचित जातियों की कितनी अध्यापिकाएं हैं ?

(३) गत पांच वर्षों की नियुक्तियों के समय कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

(४) क्या अनुसूचित जातियों के सभी प्रार्थियों को नियुक्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जयपुर शहर में विभिन्न ग्रेडों में ४५६ अध्यापिकाएं कार्य कर रही हैं।

(२) गत पांच वर्षों में कुल २५८ अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गईं, जिनमें ४ अध्यापिकाएं अनुसूचित जाती की हैं।

(३) गत पांच वर्षों में संभवतः ८३० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें ४ अनुसूचित जाति के थे।

(४) जी हां, सभी को नियुक्त कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

बीकानेर डिविज़न के किसानों को राहत कार्य

४०४. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन में इस साल बरसात की कमी के कारण किसानों में बड़ा असंतोष पैदा हो गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त डिविजन में टिड्डी, फाका, कातरा बहुत तादाद में पैदा होने के कारण फसल व चारा में

Page No.18

(श्री किशनाराम)

बहुत नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(ग) क्या सरकार चूरू जिले की फसल के हुए नुकसान की तहसील वाइज़ जांच करवायेगी ?

(घ) चूरू जिले में इस वर्ष किसानों को कितनी तकावी बांटी गई ? इसकी तालिका तहसीलवाइज़ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इस साल बीकानेर डिविजन के चूरू व बीकानेर जिलों में वर्षा का अभाव रहा ।

(ख) कुछ मात्रा में नुकसान हुआ है और नियमानुसार ग्रामों में अकाल घोषित कर दिया गया है और सहायता कार्य जारी कर दिये गये हैं ।

(ग) जांच की जा चुकी है ।

(घ) कुल ६८,००० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जो कि वितरित की जा रही है । तहसील वाइज़ अलॉटमेंट निम्न प्रकार से दिया गया है :

१. सुजानगढ़—१५,००० रु०
२. डूंगरगढ़—३५,०००
३. रतनगढ़—१८,०००

योग ६८,०००

प्रश्न संख्या ४०५

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मोतीबाबा ।

ग्राम पंचायतों को म्यूटेशन करने के अधिकार

४१२. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने म्यूटेशन करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अधिकार पंचायतों को दिये जाने के बाद भी तहसीलदार, देसूरी व बाली ने उनके इलाके में कोई म्यूटेशन किये हैं ? यदि हां, तो किस किस गांव में कितने २ किये तथा क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, म्यूटेशन करने के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अधिकार ग्राम पंचायतों को सितम्बर, सन् १९५७ से प्रदान कर दिये गये हैं।

(२) तहसीलदार देसूरी ने पंचायतों को अधिकार दिये जाने के पश्चात् कोई म्यूटेशन नहीं किया है। तहसीलदार, बाली द्वारा किये गये म्यूटेशनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ये म्यूटेशन तहसीलदार द्वारा गलतफहमी से कर दिये गये थे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : कब आदेश दिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे नोटिस में आते ही।

प्रश्न संख्या ४१३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा।

पड़त भूमि को आबादी भूमि में घोषित करना

४१४. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के वक्त जल—कष्ट निवारण हेतु जागीर के गांवों में पड़त भूमि में पानी के कुंए बनाने की कोई मनाही नहीं थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि पाली जिले में बहुत से ग्रामों में उपरोक्त तरीकों से बने हुए कुंए व बाड़े हैं जिनके लिये अब राजस्व अधिकारी उनके मालिकों को तंग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) आबादी भूमि की गांवों में कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस पड़त भूमि को आबादी घोषित करने का इरादा रखती है, जिस पर बहुत समय पहले से कुंए व बाड़े बने हुए हैं ? यदि हां, कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, जागीरदार की स्वीकृति से जल कष्ट निवारण हेतु कुंए खोदे जा सकते थे।

(२) जिन ग्रामों में उपरोक्त तरीकों से कुंए बने हुए हैं उनके लिये राजस्व अधिकारी किसी को तंग नहीं कर रहे हैं। यह कुंए सार्वजनिक होते हैं। बाड़ों के विषय में रिपोर्ट पंचायत अथवा पटवारी आने पर नियमानुसार जांच करके कार्यवाही की जाती है। तंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(३) उपरोक्त प्रति-उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(४) ऐसी कृषि भूमि को संबंधित पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर आबादी में परिवर्तित न करने हेतु नियमानुसार जांच की जाकर आवश्यकता के मुताबिक जमीन आबादी में परिवर्तित की जाती है।

Page No.20

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम।

ग्राम गिरवर (पाली) में गोचर, पड़त व काश्त की जमीन

४१६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली तहसील के गिरवर गांव में कुल काश्त की कितनी जमीन है और जागीरदार, गिरवर व उसके छुटभाइयों तथा उसके संबंधियों के पास कितनी कितनी जमीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त ग्राम में कुल कितनी जमीन गोचर है व कौन कौन से खसरा नम्बर हैं ?

(ग) पड़त जमीन पर संवत् २०१५–१६ में किस किस ने काश्त की ?

(घ) क्या यह सत्य है कि पड़त जमीन को जागीरदार व उसके छुटभाइयों ने काश्तकारों से ३ व ४ हिस्से से लटाई की, जिसकी शिकायत कलेक्टर, पाली के पास की ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) पाली तहसील में गिरवर नाम का कोई अलग रेवेन्यू ग्राम नहीं है। ग्राम कुरना है जिसमें गिरवर एक अलग ढाणी है। गिरवर ग्राम में कुल काश्त की जमीन अलग अलग कितनी है, इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है। कुरणा गिरवर मौजा में तीन जागीरें थीं; (अ) पांती, (ब) पांती और (स) पांती। तीनों जागीरदारों एवं उनके छुटभाइयों व सम्बन्धियों के पास काश्त की ६७७६।।।) बीघा भूमि है।

(ख) ग्राम कुरणा, जिसमें गिरवर भी शामिल है, में कुल ३४४८।।।)३ बीघा भूमि गोचर घोषित शुदा है। इनके खसरा नम्बर ७५३, ७५५, ५७३, ७५६, २१८०, २१८६, २१८७, २१८८, २१८६, २१६०, २१६१, २१६२, २१६६, २१८५, ३०६२, ३२११ व ३२१५ है।

(ग) पड़त भूमि पर संवत् २०१५–२०१६ में काश्त कुरना वाला, व गुड़ा एन्दला के काश्तकारान ने की थी।

(घ) पड़त जमीन की लटाई जागीरदारान व छुटभाइयों द्वारा ३–४ हिस्से नहीं की गई थी। काश्तकारान ने सरकार को लगान दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम।

ग्राम कुरणा (पाली) में गोचर पड़त व काश्त की जमीन

४१८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील में कुरणा गांव में कुल काश्त की कितनी जमीन है और जागीरदार, कुरणा व उसके छुटभाइयों तथा उसके संबंधियों के पास कितनी कितनी जमीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त ग्राम में कुल कितनी जमीन गोचर है व कौन कौन से खसरा नम्बर हैं ?

Page No.21

(श्री बेनाराम गहलोत)

(ग) क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पड़त जमीन पर सम्वत् २०१५–२०१६ में किस किस ने काश्त की ?

(घ) क्या यह सत्य है कि पड़त जमीन को जागीरदार व उनके छुटभाइयों ने काश्तकारों से ३ व ४ हिस्से से लटाई की। जिसकी शिकायत कलेक्टर, पाली के पास की ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, जवाब वही है, दोनों गांव एक हैं, माननीय सदस्य चाहें तो पढ़ दूं ।

प्रश्न संख्या ४२२

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२६

श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२७

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४०६ का उत्तर दिलाया जावे । यह प्रश्न जनहित का है ।

हायर सेकन्डरी स्कूल्स का असन्तोषजनक परीक्षाफल

४०६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में किस किस हॉयर सेकंडरी स्कूल का इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा का क्या प्रतिशत परिणाम रहा है ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) क्या यह सही है कि इस वर्ष का परीक्षा–परिणाम बहुत ही असन्तोषजनक रहा है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) परीक्षा–परिणाम इस वर्ष अधिक असंतोषजनक नहीं रहा है और वह गत वर्ष से अच्छा रहा है । फिर भी परीक्षा–परिणाम का स्तर सुधारने के लिये हायर सेकन्डरी की परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया है । एक कक्षा १० वीं के बाद तथा दूसरा ११ वीं के बाद । कक्षा १० वीं की परीक्षा केवल सामाजिक ज्ञान, जनरल साइन्स, एलीमेन्ट्री मैथेमेटिक्स तथा क्राफ्ट्स विषयों में ली

Page No.22

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जावेगी। कक्षा ११ वीं की परीक्षा बचे हुए अनिवार्य विषय तथा ऐच्छिक विषयों में ली जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पाठ्यक्रम में भी कोई परिवर्तन कया गया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष, श्री भैरोंसिंहजी यहां नहीं हैं। प्रश्न ४११ बहुत इम्पोर्टेन्ट है इसलिये इसका उत्तर भी दे दिया जाए तो उचित होगा।

राज्य सरकार की ओर से जागीर के मामलों में पैरवी करनेवाले एडवोकेट्स

४११. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) विभिन्न जिलों में कब कब से कितने कितने पारिश्रमिक पर कौन कौन एडवोकेट्स किस किस क्षेत्र के लिये डिप्टी कलेक्टर्स जागीर के यहां सरकार की ओर से जागीर के मामलों में पैरवी करते हैं ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) रेवेन्यू बोर्ड में कौन एडवोकेट्स राज्य सरकार की ओर से जागीर के मामलों में पैरवी करते हैं, कब से और किस पारिश्रमिक पर ?

(ग) ये नियुक्तियां किस किस आधार पर की गई हैं, तथा इसके लिये किस प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) श्री पुरुषोत्तमदास कुदाल मार्च ५६ से ४००) रु. माहवार पारिश्रमिक पर कार्य करते हैं।

(ग) ये नियुक्तियां उनके कोर्ट सम्बन्धी अनुभवों के आधार पर की गई हैं जो कि इस प्रकार की नियुक्ति का एक मूल आधार माना गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(विराम)

(११. ४० म. पू.)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुदानों की मांगे।

(११. ३५ म. प.)

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १२,६७,३७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(विराम)

[इस मांग पर निम्न सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

श्री जनार्दनराय नागर :

(५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (संस्कृत शिक्षा के विकास पर बहस करने के लिए)

(६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर बहस करने के लिए)

(७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (संस्कृत की फैकल्टी नहीं खोलो जाने पर बहस करने के लिए)

(८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट-इन–एड देने पर बहस करने के लिए)

(९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (अकादमियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर बहस करने के लिए)

डॉ. बहादुरसिंह:

(१०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (विश्व विद्यालयों के अनुदान पर बहस करने हेतु)

(११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (महारानी उच्च कन्या विद्यालय, धौलपुर में अध्यापिकाओं के अभाव पर बहस करने हेतु)

(१२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (रमगढ़ा (धौलपुर) में संस्कृत विद्यालय के स्थपन पर वाद विवाद करने हेतु)

(१३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (धौलपुर स्थित राजकीय पुस्तकालय की अव्यवस्था पर वाद विवाद-करने हेतु)

(१४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (धौलपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना पर बहस करने के लिए)

(१५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान विश्व विद्यालय में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की स्थापना न करने पर बहस करने के लिए)

(श्री बहादुरसिंह)

(१६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (बसई नवाब (धौलपुर) में उच्चतर माध्यमिक शिक्षणालय की स्थापना पर बहस करने के लिए)

(७२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय ("आचार्य कालक और मजदूरिन" जैसी पाठ्य पुस्तक को कोर्स से हटाने पर बहस करने के लिये)

श्री रामकरणसिंह :

(१८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १००) रु० की कटौती को जाय (कोटपूतली में कॉलेज खोलने के लिये विचार करने हेतु)

(१६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (दांतल और कल्याणपुरा में मिडल स्कूल खोले जाने के लिये वाद-विवाद करने हेतु)

(२०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (अध्यापकों को बकाया वेतन न दिये जाने पर विचार करते हेतु)

(२१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (नारेड़ा कस्बा में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने पर विचार करने हेतु)

(२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटपूतली हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी बनाने के विषय में विचार करने हेतु) .

श्री दलीपसिंह:

(२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कनवास तहसील केन्द्र पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षणालय खोलने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

डॉ० चन्द्रकला:

(२५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शैक्षणिक बेरोजगारी दूर करने पर बहस करने हेतु)

(२६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (स्त्री–शिक्षा प्रणाली में परिवर्द्धन पर बहस करने हेतु)

(२७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये को कटौती की जाय (संस्कृत के शिक्षण पर बहस करने हेतु)

(२८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० को कटौती को जाय (बुनियादी प्रशिक्षण पर बहस करने हेतु)

(२६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाओं को दी जाने-वाली सहायता पर बहस करने हेतु)

Page No.25

(डॉ० चन्द्रकला)

(३०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (बहु-प्रयोजन विद्यालयों में शिक्षण पर बहस करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास :

३२. मांग संख्या १५,मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १ रुपये की कटौती की जावे (बीकानेर में पाठशालाओं के शिक्षकों की मांग पर ध्यान न देने के विषय पर बहस करने हेतु)

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (प्राथमिक शिक्षा को अधिकाधिक स्वावलम्बी बनाने पर प्रकाश डालने के लिये)

श्री पी. के. चौधरी :

37. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to locate a S. T. C. training School at Sambhar.)

38. Demand No XV, Major Head 37-Education be reduced **by** Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to establish a Polytechnic at Sambhar)

39. Demand No., XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to establish a Girls, middle school at Phulera)

46. That demand No, XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the Government failure to establish a technical training school at Sambhar).

47. That demand No. XV Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the question of locating the Regional Engineering College at Jaipur).

48. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to effect any economyin the Directorate of Primary and Secondary Education consequent upon the transfer of control and management of the Primary schools to the Panchayat Samitis).

49. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the working of the Rajasthan College).

50. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/ (to discuss the failure of the Govt. to start commerce classes in the Higher Secondary School, Bhaislana).

51. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the progress of adult education in the State).

Page No.26

(श्री पी. के. चौधरी)

(101) Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to open Science classes in Phulera High School).

(102) Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the inadequacy of accommodation in Phulera High School).

श्री अनूपसिंह

(52) That demand No. XV Major Head 37-Educaton be reduced by Re. 1/-(to discuss the service conditions of school teachers in Rural areas).

(53) That demand No. XV Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/-(to discuss the failure of the Government to establish any College in Distrit. Barmer).

(54) That demand No. XV Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to establish permanently the Teachers Training Centre at Siwana district Barmer)

(55) That demand No. XV Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/-(to discuss the disregard shown by the Government. to girls' education in Balotra district. Barmer).

रावराजा श्री सरदारसिंह :

(44) Demand No. XV Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/--(to discuss the failure of the Government in maintaining the school buildings handed over by the former Jagirdars)

श्री नाथूलाल करोल

(६१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटोती की जाय (तहसील लालसोट, पंचायत कल्लावास के ग्राम कल्लावास में मिडल स्कूल खोलने पर बहस करने हेतु)

(६२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटोती की जाय (पंचायत समिति लालसोट ग्राम मन्डावरी में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने पर बहस करने हेतु)

(६३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समिति सांगानेर के ग्राम कुन्दनपुरा की हरिजन आदर्श बस्ती में मिडल स्कूल खोलने पर बहस करने के लिये)

श्री सोहनलाल भटनागर :

65. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the absence of teachers from Government Institutions due to other Government duties).

66. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure o the Government to open Regional Engineering College at Udaipur).

Page No.27

(श्री सोहनलाल भटनागर)

67. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to convert more High Schools into Higher Secondary Schools).

68. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to construct Science Block in Salumber High School).

श्री सोहनलाल भटनागर

90. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to establish Boards at Districts level for conducting Examination of Middle Standard).

99. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to transfer middle schools to Zila Parishads and Primary schools in Municipal Areas to the Municipal Boards and Councils)

श्री किशनाराम :

७३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (रतनगढ़ तहसील में हायर सेकन्डरी स्कलों की कमी पर बहस करने के लिये)

श्री किशनलाल शर्मा :

७५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (नाथद्वारे में कॉलेज खोलने पर बहस करने के लिये)

श्री धन्नालाल हरित:

७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (छबड़ा की प्राइमरी कन्या पाठशाला को माध्यमिक शाला अभी तक न बनाने पर बहस करने हेतु)

७७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (बारां मल्टीपर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल को विभाग द्वारा अभी तक डिग्री कॉलेज न बनाने पर बहस करने हेतु)

७८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (किशनगंज मिडल स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में अभी तक परिवर्तित न करने पर बहस हेतु)

६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग में प्रशासन की अकर्मण्यता पर बहस करने हेतु)

श्री सम्पतराज जैन :

७९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती को जाय (झालावाड़ जिले की प्राथमिक व माध्यमिक कन्या पाठशालाओं की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)

(श्री सम्पतराज जैन)

८५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में हायर सेकन्डरी स्कूल्स की आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु)

८६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने के सम्बंध में बहस करने हेतु)

८७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा प्रणाली पर बहस करने हेतु)

श्री लादूराम सुलाणिया :

८८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (परिगणित जाति के छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु)

८९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (अध्यापकों द्वारा अनियमितताएं बरती जाने पर वाद-विवाद करने हेतु)

श्री महेन्द्रसिंह:

95. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 5/-(to discuss the necessity of reserving the profession of teaching in the State for ladies as far as possible).

96. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/-(to discuss the lowering of standard of education).

97. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 10/-(to discuss the necessity of utilising retired personnel for the education of children in the State).

98. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the procedure of purchasing library books).

श्री दयाकृष्ण विजय :

१०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक हायर सेकन्ड्री विद्यालय खोलने के सम्बंध में विचार करने हेतु)

१०८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कोटा में नया विश्व विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु)

१०९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (नवीन हाई स्कूल खोलते समय जिला परिषद् की राय न माने जाने पर विचार करने हेतु)

११०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (संस्कृत शिक्षकों तथा शिक्षा के साथ भेद-भाव बरते जाने पर वाद-विवाद करने हेतु]

श्री मोतीलाल

111. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the condition of the institutions donated by the private donors to the Government).

112- That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss girls' education in rural areas of the State).

113. That demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the affairs of the aided private educational institutions in the State).

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र कटौती प्रस्ताव पेश करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव सोशियल एजुकेशन पर विचार करने के लिये है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ८८ माननीय सदस्यों ने ११३ कटौती के प्रस्ताव भेजे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए आप संक्षेप में बोलें तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को अपने कटौती के प्रस्तावों पर बोलने का मौका मिलेगा। कटौती के प्रस्तावों का मतलब यह है कि निश्चित विषय पर बोलना। इसलिये आप निश्चित विषय तक ही अपने भाषण को सीमित रखें, न कि कोई लम्बी चौड़ी बहस हो, जिससे ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिले।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये समय मुकर्रर कर दिया जावे तो उपयुक्त होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा कटौती का प्रस्ताव सोशियल एजुकेशन के विकास पर बहस करने के लिये है। आज से कुछ अर्से पहले सोशियल एज्युकेशन के लिये एक कमेटी कायम की गई थी और उस कमेटी ने उस पर विचार करके अपने विवेचनापूर्ण सुझाव दिये थे। उसके बाद में इसके विवरण पर संस्कृत शिक्षा के बारे में फैसला किया। हम इतने अर्से से उसके सम्पूर्ण रूप से अमल हो जावे उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन मेरी सूचना यह है कि कमेटी ने इसके लिये जो सिफारिश की और सुझाव दिये कि राज्य में संस्कृत की व्यवस्था होनी चाहिये उस पर शिक्षा विभाग द्वारा अमल नहीं हो पाया है। यह ठीक है कि अगर संस्कृत शिक्षा के लिये कोई डाइरेक्टर मुकर्रर कर दिया और डाइरेक्टोरेट चल रहा है, लेकिन अभी तक राजस्थान में तमाम संस्कृत के आचार्यों का एकीकरण नहीं हो पाया है। अभी भी उनकी पोजिशन यह है कि जो संस्कृत के उपाधिकारी हैं उनके लिये अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य ही नहीं बल्कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं और आचार्य हैं उनको दूसरे प्राध्यापक हैं उनके ग्रेडों के लिये आज्ञा प्रदान कर दी है। जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिये रुकावट अंग्रेजी नहीं जानने की है। यद्यपि हमें चीफ

Page No.30

(श्री जनार्दनराय नागर)

मिनिस्टर महोदय ने संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिये संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किये जाने का जैसा कि दूसरे लोगों के साथ किया जाता है आश्वासन दे दिया है और आशा है कि उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जिस प्रकार दूसरे आचार्यों के साथ किया जाता है।

आज हमारे देश में यह कहा जाता है कि शिक्षा में अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग किया जाये और राज्य में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। हमारे यहां शिक्षा मन्त्री महोदय ने कहा कि अंग्रेजी का माध्यम हो। मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप हिन्दी को प्रोत्साहन देते हैं तो फिर संस्कृत के लोगों के लिये अभी भी यह अंग्रेजी क्यों अनिवार्य है कि उनको अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिये। जब राज्य की नीति घोषित हो चुकी है तो यह अंग्रेजी की शिक्षा की बात रख कर संस्कृत शिक्षा के आचार्यों के लिये यह बाधा क्यों उपस्थित की जा रही है ?

इसके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में करीब ८ लाख रुपयों का प्रावधान है। मैं यह मानता हूँ कि ८ लाख की राशि बहुत कम है और मुझे मालूम नहीं कि आने वाले ५ वर्षों में किस प्रकार इसका प्रचार कर पाएंगे। यदि संस्कृत के विषय पर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट कहना चाहिये। जब आप एक नीति की घोषणा करें और उसका उपयोग पूर्ण रूप से और ठीक तरह से नहीं हो तो अध्यक्ष महोदय, यह मानना होगा कि यह नीति भावोक्तिपूर्ण है और उसमें उत्तरदायित्व नहीं है। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि हमारे राष्ट्रपति से ले कर बड़े बड़े नेता हैं वे सब इस संस्कृत के मामलों में चिन्ताशील हैं। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष ऐसी भूमि है जहां संस्कृत के उत्थान का वातावरण बनाया जा सकता है। भारतवासियों को यह ज्ञान हमारे ऋषियों और मुनियों से परम्परा से मिला है और इसके लिये हमें आभारी होना चाहिये।

मुझे ऐसी सूचना मिली है कि यहां उदयपुर में जहां वेदों के अध्ययन का प्रबन्ध था वहां से वह उठाया जा रहा है, जबकि वेदों के विषय को लेकर अध्ययन करने वालों की संख्या वहां ५ तथा ७ वर्षों से अधिक से अधिक हो रही है। जहां आप बी. ए. और एम. ए. के पढ़ने के लिये प्रावधान करते हैं वहां इस प्रकार की शिक्षा को आप क्यों उठा रहे हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आया।

इसके अलावा मुझे यह समझ में नहीं आया कि जहां कालेजों और स्कूलों में आप वहां के अंग्रेजी के आचार्यों को ज्यादा से ज्यादा ग्रेड देकर उनको प्रतिष्ठित करते हैं और संस्कृत कालेजों में आचार्यों को ४०० से ६०० और १५०, २०० या ३०० तक के ग्रेड देते हैं। अंग्रेजी के आचार्य हैं अगर उनको तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि उनको बहुत ज्यादा वेतन मिलता है। हायर सेकन्डरी में मु० अध्यापक २२० से ४०० का है और मेरी समझ में नहीं आता कि संस्कृत के आचार्यों को समान स्तर पर क्यों नहीं माना जाता है ? इसके लिये मैं यह कहूँगा कि या तो आप संस्कृत के कॉलेजों को बन्द कर दें और उनको दूसरे कॉलेजों के साथ मिला

(श्री जनार्दनराय नागर)

दें, या इसके लिये कोई अलग से विश्वविद्यालय कायम करें। इसके लिये कोई विश्वविद्यालय जब तक कायम नहीं करते तब तक इसका इन्टीग्रेशन राज्य की घोषित नीति के अनुसार होना चाहिये जो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि आपको संस्कृत की शिक्षा के बारे में इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, राज्य में दूसरे विश्वविद्यालय के बारे में है। वित्त मन्त्री ने हमें अच्छी सूचना दी कि राजस्थान में एक दूसरा विश्वविद्यालय कायम किया जावेगा। राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय खोला जावे वह सदन की बिना अनुमति के नहीं खोला जा सकता।

मैं यह भी मानता हूँ अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अभी अपनी शैशव अवस्था से गुजर रहा है। अभी वह विकासोन्मुख विश्वविद्यालय है और उच्च शिक्षा के माने में अभी वही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह उठता है कि दूसरा विश्वविद्यालय राजस्थान में खोलने के लिए नीति अपनायी गई है वह सही है या नहीं है और यदि उसको अपनाते हैं तो उसका कारण क्या है? उच्च शिक्षा की ओर हमें उन कारणों का आज भी ज्ञान नहीं है जिन कारणों की दृष्टि से राज्य सरकार ने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने की नीति अपनायी है। आज से कुछ समय पहले दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के विषय में बातें चलीं थीं, राज्य सरकार ने कोई इसके लिए कमेटी बिठाई और उसने क्या किया, यह आज तक हमको नहीं मालूम हो सका। बहरहाल राज्य सरकार ने यह नीति अपनायी कि राजस्थान में दूसरा विश्वविद्यालय खोलना है। यह तो निश्चित है कि दूसरा विश्वविद्यालय खोलने की चर्चायें चलीं थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय जयपुर का है उसका विकास क्षेत्र अभी विकसित नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि जयपुर का जो विश्वविद्यालय है वह अभी तक उच्च शिक्षा की दृष्टि से उच्च स्तर तक विकसित नहीं हो पाया है और हम यह भी कह सकते हैं कि जयपुर का जो विश्वविद्यालय है वह उसी ढांचे और ढर्रे का है और उसी के समान ही दूसरा विश्वविद्यालय राजस्थान में राज्य सरकार खोलना चाहती है, रिस्लोका विश्वविद्यालय राजस्थान में राज्य सरकार खोलना चाहती है; तो मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। यदि दूसरा विश्वविद्यालय क्षेत्रीय दृष्टिकोण से खोलने के विषय में राज्य सरकार की नीति है और जो नीति राज्य सरकार द्वारा उस विषय में बनाई गई है तो मेरा नम्र निवेदन है कि उस विश्वविद्यालय को विशेष प्रकार से साधन सम्पन्न बनाने की भी राज्य सरकार को आवश्यकता होगी जबकि आज हम देखते हैं कि राज्य सरकार के सामने कई आर्थिक कठिनाइयां हैं। युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने जोनल युनिवर्सिटी के लिए, ग्रामीण विश्वविद्यालय के विषय में राय दी है और यह अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के जनपदों में छोटे २ विद्यापीठों की स्थापना की आज अति आवश्यकता है।

जहां परम्परागत विश्वविद्यालय खोलने की बात आती है तो

(श्री जनार्दनराय नागर)

हमको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन क्या चाहते हैं और आज की परिस्थितियों में ठीक जयपुर जैसा ही विश्व विद्यालय खोल सकते हैं या नहीं ? टेक्निकल ज्ञान की दृष्टि से, प्राविधिक ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से और आयुर्वेद और इस प्रकार के ज्ञान और विज्ञान को लेकर यदि कोई विश्व विद्यालय की रचना की बात हो तो बात कुछ समझ में आ सकती है। लेकिन यदि जयपुर विश्व विद्यालय के समान ही ह्युमेनीटीज़ और दूसरे विषयों के समानान्तर ही विषयों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की बात सरकार के मस्तिष्क में है तो यह तो एक पुनरोदन ही होगा। और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से ऐसा अवसर नहीं है कि इस प्रकार का विश्व विद्यालय खोल सकें; समानान्तर ही विश्व विद्यालय खोलने के माने में काफी रुपयों का खर्चा होगा। जब कि राज्य सरकार काफी कटौतियां कर रही है और उसके कारण 'जरूरी काम हैं, स्कूलों के भवन, स्कूलों के साधन और सुविधाओं के मामले में अर्थ, ये सारे मामले हैं जो खटाई में पड़ गये हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, बिना स्पष्ट सूचना के राज्य सरकार ने दूसरा विश्व विद्यालय खोलने की नीति की जो घोषणा की है उसका अर्थ क्या है ? होना तो यह चाहिये था कि सदन को इस सम्बन्ध में पहले विश्वास में लाया जाता। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो सामयिक बात यह होनी चाहिये थी कि इस विषय में कोई एक कमीशन बिठाया जाता, वह कमीशन सारे राजस्थान में जाकर घूमता और इस विषय की संभावनाओं का पता लगाता और सदन को और अन्य लोगों को इस विषय में विश्वास में लेकर इस प्रकार की नीति की घोषणा की जाती। यू. पी., कानपुर में एक विश्व विद्यालय खोलने की बात चल रही है और विधान सभा में बिल चल रहा है। उस विषय में जो पहले तरीका अपनाया गया था इस कारण ही सदन और बाहर के लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उसकी उनको पूर्व जानकारी थी। वित्त मंत्री महोदय ने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने की बात कही, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि राजस्थान में क्षेत्रों का विकास हो रहा है, राजस्थान की जनसंख्या का विकास हो रहा है। और राजस्थान की जनसंख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है, उस स्थिति में यह संभव है कि क्षेत्रीय विद्यालय की नीति पर आयें लेकिन दूसरी बातें स्पष्ट नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार को चाहिये था कि किसी प्रकार इस बारे में कदम लेने से पूर्व सदन व बाहर के लोगों को विश्वास में लेती और उनको इससे अवगत कराया जाता। आज जयपुर में जो विश्व विद्यालय है उसकी चौराहे की स्थिति है। जयपुर का विश्व विद्यालय आज भी चौराहे पर खड़ा है। नये उप-कुलपति महोदय इस प्रयास में लगे हुए हैं कि यहां पर नये नये विषयों की फैकल्टीज़ लगें, बाहर के विद्वान आयें, शिक्षा में विस्तार हो और इस प्रकार से इस विश्व विद्यालय के विकास के सम्बन्ध में कई विचार उनके मस्तिष्क में हैं। लेकिन वे आज तक एक भी कोई नया कदम नहीं ले पाये हैं। हम चाहते थे कि अंग्रेजी के माध्यम को दूर किया जाय लेकिन विश्व विद्यालय आज तक कोई कदम नहीं ले पाया। विश्व विद्यालय के उप कुलपति जाते हैं, मोटर में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और वे विश्व विद्यालय के विषय में

Page No.33

(श्री जनार्दनराय नागर)

असंतोष प्रकट किया करते हैं। आम तौर पर उनके मन में एक पवित्र असंतोष है और वे चाहते हैं कि राजस्थान विश्व विद्यालय धीरे २ प्रगति करे, नये विषयों का ज्ञान यहां हो जिससे राजस्थान का यह एक प्रगतिशील विश्व विद्यालय बन सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि आज इस शिक्षा के क्षेत्र में भारी रद्दोबदल करने की आवश्यकता है। आज शिक्षा का जो ट्रेन्ड बन गया है उसको दूर करना पड़ेगा चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। आज की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल रद्दी है, इसमें कोई जान नहीं है। जो विश्व विद्यालय का ढांचा है वह आज के इस युग में बिल्कुल पुराना हो गया है, जीर्ण हो गया है; जिस प्रकार सामन्ती व्यवस्था इस जमाने में जीर्ण हो गई थी। आज के विश्व विद्यालयों की शिक्षा नीति के बारे में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और उस जर-जर हुए ढांचे को गिराना है और नवीन ढांचे का निर्माण और सृजन करना है, नवीन शिक्षा को आगे बढ़ाना है। यदि हम राजस्थान में दूसरा विश्व विद्यालय टैक्निकल और प्राविधिक विज्ञान की शिक्षा के लिए, इन्जीनियरिंग की शिक्षा के लिए संगठित करने का विचार रखते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, आयुर्वेद के मामले में विचार करते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो यहां तक विचार करता हूँ कि यदि भारतीय सामाजिक शिक्षण के सम्बन्ध में कोई विश्व विद्यालय कायम करने की बात करते हैं और व्यवस्था करने की बात करते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमारी सार्वजनिक संस्थायें हैं वे आज विश्व विद्यापीठों को रूप देना चाहती हैं। हमारे यहां महिलाओं के लिए विश्व विद्यालय की नितान्त आवश्यकता है। हमारी महिलाओं की ऐसी शिक्षण संस्थायें मौजूद हैं आज राजस्थान में और खास कर वनस्थली विद्यापीठ को मैं पूर्ण रूप से इसके लिये उपयुक्त मानता हूँ और वे महिलाओं के विश्व विद्यालय के रूप में संगठित की जा सकती हैं। और भी हमारे राजस्थान में शिक्षण संस्थायें हैं; आयुर्वेद, संस्कृत आदि के लिए यदि विश्व विद्यालय की कोई स्थापना की बात करते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।

श्री अपनूसिंह (बालोतरा) : आपने उदयपुर के लिए कुछ नहीं कहा ?

श्री जनार्दनराय नागर : उदयपुर के लिए इसलिए नही कहा कि वह आपके दिल में बसा हुआ है।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है संस्कृत की फेकल्टी नहीं खोलने के कारणों पर विचार करने के लिये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय संस्कृत की बातों से ही चिढ़ मानता है। बराबर कहा जा रहा है कि आयुर्वेद की फेकल्टी खोलिये, आयुर्वेद और संस्कृत के पठन-पाठन को, उसके प्रशिक्षण को युनिवर्सिटी स्तर पर विकसित किया जाय, लेकिन युनिवर्सिटी के अधिकारी और संचालक कानों में तेल डाल कर बैठे हैं। सुनते ही नहीं। संस्कृत के मामले में सलाहकार बोर्ड ने कई तरह से बताने का प्रयत्न किया है जिससे कि संस्कृत की फेकल्टी अविलम्ब विश्व विद्यालय में संगठित हो। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हो पायी। मेरी

(श्री जनार्दनराय नागर)

सूचना है कि राज्य सरकार ने अर्थ दान किया है। आयुर्वेद की फेकल्टी के बारे में जो ढांचा है, ठर्रा है, संस्कृत के बारे में, भारतीय ज्ञान और विज्ञान के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है और उप कुलपति महोदय इसके बारे में क्या कदम उठाते हैं यह आज तक नहीं मालूम हो सका है। संस्कृत के बारे में यदि यह बात है और यह धारणा हो कि यह तो एक प्रकार से मृत ज्ञान है, उस भाषा और साहित्य का पुनर्जीवन नहीं हो सकता है, तो यह उनको स्पष्ट कहना चाहिये। वर्षों से कहा जा रहा है कि विश्व विद्यालय में आयुर्वेद और संस्कृत की फेकल्टी खोली जावेगी इसको वैज्ञानिक बनाया जायगा। मन्त्री महोदय जो इस मानें में उत्तरदायो हैं, बात करते हैं कि विश्व विद्यालय ऑटोनोमस बोडी है, बात माने या न मानें। जब ऑटोनोमस बोडी है तो राज्य सरकार को राज्य की दृष्टि से विश्व विद्यालय को विचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि विश्व विद्यालय राज्य सरकार के निर्णय पर बाध्य है, लेकिन राज्य के अन्दर जनमत जो चाहता है उस बारे में विश्व विद्यालय को जल्दी करनी चाहिये। संस्कृत की फेकल्टी और आयुर्वेद की फेकल्टी की ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। अन्ततोगत्वा यदि उनके दिल में यह हो कि वे आयुर्वेद और संस्कृत की फेकल्टी कायम करना नहीं चाहते तो संस्कृत और आयुर्वेद की फेकल्टी के बारे में दूसरा कदम उठाने को तत्पर रहना चाहिये। राजस्थान विश्व विद्यालय यदि इस ओर कदम नहीं उठाता है तो विश्व विद्यालय को स्पष्ट रूप से इन्कार कर देना चाहिये और उसके बाद दूसरा कदम लिया जाय और संस्कृत का उच्च स्तरीय ज्ञान देने के लिये प्रबन्ध किया जाय। मुझे ऐसा कोई कारण मालूम नहीं देता जिसके कारण संस्कृत की फेकल्टी खोलने में विश्व विद्यालय को किसी प्रकार की हिच हो। मैं इस ओर राज्य सरकार का केवल ध्यान दिलाना काफी समझता हूँ और साथ ही उनसे निवेदन है कि वे इस बारे में अविलम्ब रूप से कार्यवाही करें ताकि यहां संस्कृत की फेकल्टी खुल सके।

चौथा मेरा कटौती का प्रस्ताव है निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड देने पर बहस करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, सन् १९५३ में जब कि हमारे सदन के नेता ने मुख्य मंत्रित्व का पहले पहल भार संभाला था उनसे हमने अनुग्रह किया कि राजस्थान में चल रही सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में एक कॉन्फ्रेन्स बुलायी जाय और उसे उन्होंने स्वीकार किया और इस तरह से एक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। उस कॉन्फ्रेन्स में तत्कालीन ग्रान्ट इन: एड के नियम थे उनमें सुधार करने के लिये कहा गया। मैं उनका अनुग्रहशील हूँ कि उन्होंने ग्रान्ट-इन-एड के नियमों में परिवर्तन करने नये नियम बनाये। ग्रान्ट-इन-एड की नयी कमेटी बनायी जाय यह बात थी और उसके अनुसार नई कमेटी बनी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है इस कमेटी के अन्दर जो सदस्य हैं उनके द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके निर्णय से केवल तीन–चार संस्थाओं

(श्री जनार्दनराय नागर)

को ही सन्तोष है और उनके निर्णय से अधिकांश संस्थाओं को संतोष नहीं है। ग्रान्ट इन-एड के जो नियम प्रचलित हैं उन प्रचलित नियमों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। हमने राज्य के मुख्य मन्त्री जो शिक्षा मन्त्री भी हैं उनसे निवेदन किया और मुझे कहते हुये बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी राय की कद्र करते हुये राजस्थान में काम करने वाली निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के सामने, जिनकी संख्या करीब ५०० है, जो समस्या है उसको ध्यान में रख कर ग्रान्ट–इन–एड के नियमों में सुधार करने के लिये कमेटी कायम की। उस कमेटी के सामने हमने अपनी बिल्कुल निश्चित राय प्रस्तुत की। लेकिन जैसी कि सूचना है कमेटी ने जो कुछ सिफारिश की है वह शायद ऐसी है जो पीछे ले जाय बजाय आगे ले जाने के। मैं मानता हूँ कि इस बात का फैसला हो जाय। जहां तक निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का सवाल है इसके लिये राज्य की नीति में और ग्रान्ट-इन-एड के नियमों में परिवर्तन होना चाहिये। इसके अलावा अधिकारियों का जो व्यवहार है वह भी औदार्यतापूर्ण नहीं है। छोटे-मोटे सर्कुलर द्वारा इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी जाती है अगर आपने यह नहीं किया या आपने इस प्रकार की बातें नहीं कीं तो आपको ग्रान्ट इन एड बन्द की जा सकती है या आपके बारे में नोट लगाया जा सकता है, इस तरह से हल्के-फुल्के तरीके से जो निजी सार्वजनिक संस्थाओं के साथ व्यवहार किया जाता है वह हमारी राज्य सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आपके द्वारा उन संस्थाओं का निरीक्षण या मार्ग-दर्शन न हो। यह तो होना चाहिये। इस क्षेत्र में भी निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में काफी विकास करने की गुंजाइश है। जहां तक अधिक से अधिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को मार्ग-दर्शन देने का सवाल है इसमें हमें विकास करना होगा। मैंने स्वयं ने उस कमेटी के सामने बहुत सी तालिकाओं की चर्चा की थी और उनसे कहा था कि निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थायें खोल रही हैं। मैंने कमेटी के सामने यह भी रखा था कि सरकार को चाहिये कि वह इस बात को तय कर दे कि राज्य सरकार द्वारा किस किस प्रकार की संस्थाएं खोली जायगी और निजी सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार की संस्थायें होनी चाहिये, इस बारे में सरकार एक नीति निर्धारित कर दे ताकि दोनों के बीच में एक प्रकार से सामन्जस्य हो सके और इस दिशा में हमारा प्रान्त आगे बढ़ सके। इसके अलावा जहां तक निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने का सवाल है उसमें भी भारी रद्दोबदल की आवश्यकता है। आज नियमों में बड़ी विषमता है। न चाहते हुए भी कानूनी तौरपर एडजस्टमेन्ट, खाना पूर्ति करने का काम शिक्षण संस्थाओं में चालू हुआ है। हम उसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार या गड़बड़ हो रही है। जब कि चन्दा उन संस्थाओं को मिलता है जिनके पास ताकत है। जो अपना प्रभाव रखते हैं वे चन्दा प्राप्त कर लेते हैं। सैंकड़ों ऐसी शिक्षण संस्थायें रह जाती हैं जिनको चन्दा नहीं मिल पाता। जब कि श्रमदान के रूप में आज गांवों में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन आज परिस्थितियां बदल

(श्री जनार्दनराय नागर)

चुकी है उस हालत में चन्दा आज नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ जो अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें यह है कि जितना गत वर्ष में खर्च हुआ है उसके हिसाब से अनुदान दिया जाता है। पुरानी परिस्थितियां थीं जिनमें चंदा आदि वसूल हो जाया करता था। आज की परिस्थिति में ये बातें चलती नहीं। अगर हिसाब लगाया जाय तो जहां ८० और ६० प्रतिशत खर्चा देने की बातें करते हैं वहां मैं विनयपूर्वक मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस बात का हिसाब लगा कर देखें और वास्तविक तौर पर हमने देखा है कि जो कुछ खर्चे के अनुपात में अनुदान मिलता है वह चालीस पैंतालीस प्रतिशत से अधिक नहीं मिलता है। हमने इन तथ्यों को वैज्ञानिक आधार पर सरकार के सामने रखा है। राज्य सरकार के अपने डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों में जितना पैसा खर्च किया जाता है उसके अनुपात में अगर उसी प्रकार की निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्था है तो उसमें केवल ४५ प्रतिशत से ज्यादा सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। गुणन के हिसाब से बहुत सारा खर्चा जो राज्य सरकार अपनी शिक्षण संस्थाओं को देती है वह निजी शिक्षण संस्थाओं को नहीं मिलता जैसे आडिट के लिये नहीं मिलता। इस बारे में हमने बराबर कहा है और कहते आ रहे हैं कि इस बारे में उदार दृष्टि से फैसला करने की हमारी उनसे विनय है। मेरी मान्यता ऐसी है कि इसमें फैसला करने में देरी हो रही है और यदि और ज्यादा देरी होती गई तो निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के सामने एक भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो जायगा। निजी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के अन्दर आप प्रतिबन्ध न डालें यह मैं नहीं कहता। जहां तक मार्गदर्शन का सवाल है निरीक्षण का सवाल है आप उसके लिये सख्त से सख्त नियम बनायें। सख्ती काम के लिये होती है। हम लोगों ने एक प्रेरणा से उन सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को प्रारम्भ किया है। अगर आप यह देखते हैं कि ये संस्थायें इस योग्य नहीं कि ये सरकारी सहायता प्राप्त कर सकें या उसके लिये योग्य नहीं या उस प्रकार की सहायता पाने की क्षमता नहीं रखती हैं तो मेरा यह निवेदन है कि ये संस्थायें आपके इस राजस्थान के उद्भव के पहले से हैं उन्होंने कठिन से कठिन समय में काम करने की कोशिश की है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से मेरी विनति है कि इस प्रश्न को वे महत्वपूर्ण समझें। आज यह सवाल कुछ ही संस्थाओं के लिये हो, यह बात नहीं। आज निजी सार्वजनिक संस्थाओं की संख्या करीब ५०० है। दो चार संस्थाओं को कर्ज दिया जा सकता है। आप भी दे सकते हैं। भारत सरकार भी देती है। मैं उनको देने वाली सहायता या कर्ज की आलोचना करना नहीं चाहता। हम भी चाहते हैं कि उन संस्थाओं को उन्नति होती रहे। लेकिन केवल दो-चार संस्थाओं की सुरक्षा के साथ साथ अन्य संस्थायें भी आपसे योग क्षेम की आशा करती हैं यह मैं विनय रूप से राज्य सरकार के सामने अपनी बातें रख रहा हूँ।

जहां तक ग्रान्ट-इन-एड की कमेटी का सवाल है मैं चाहता हूँ कि इस कमेटी को खत्म कर दिया जाय। जो सदस्य इस कमेटी में काम करते हैं उनका दृष्टिकोण व्यक्तिगत रहता है। राज्य सरकार के जो अधिकारी उस कमेटी में

(श्री जनार्दनराय नागर)

है वे भी उन सदस्यों के प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हैं। इस कारण भी उनकी कुछ संस्थायें हैं जो उस लाभ को प्राप्त कर लेती हैं। उन संस्थाओं के अलावा दूसरी संस्थायें उस लाभ से वंचित रह जाती हैं। यह अजीबो-गरीब प्रश्न है जिसकी ज्यादा चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता। व्यक्तिगत रूप से उसके काम-काज से मुझे असन्तोष है। मैं चाहता हूँ कि या तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरह यहां भी इसके लिये कमीशन की नियुक्ति की जाय सदन की सहायता से या युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के समान इसके लिये एक कमीशन हो जो इस बारे में अपने नियम से अनुदान आदि दे, ताकि जो अनियमिततायें या पक्षपात होने की सम्भावनायें हैं उनको दूर किया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत समय ले चुके हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने अभी अपने कट मोशन नहीं रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप पर था, आपने कटमोशन पर ज्यादा समय ले लिया इसलिये पूरे कट मोशन नहीं रख सके।

श्री जनार्दनराय नागर : कट मोशन रखने का विनयपूर्वक मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : No, next member. Dr. Bahadur Singh.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं नम्बर १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया दस मिनट तक अपना भाषण जारी रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें।

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार शिक्षा पर अपनी आय का १/४ खर्च करती है। इसकी मैं सराहना करता हूँ लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे कटौती प्रस्ताव रखने की आवश्यकता हो गई।

सबसे पहला व छठा मेरा कटौती प्रस्ताव है विश्वविद्यालयों के अनुदान पर बहस करने हेतु व आयुर्वेद की फैकल्टी की स्थापना के बारे में। इस सम्बन्ध में अनेकों बार प्रयत्न किये गये और इस सदन में भी राजस्थान सरकार की ओर से विश्वास दिया गया कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद राजस्थान विश्व विद्यालय में स्थापित की जावेगी, तो ३० हजार एक मुश्त ग्रान्ट-एन-एड सरकार देगी। पर जब मालूम हुआ कि राजस्थान विश्व विद्यालय इसके लिये बिल्कुल तैयार नहीं है तो दुख हुआ। मैं ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, केवल नजीर रखना चाहता हूँ कि पूना में आयुर्वेद की फैकल्टी मौजूद है। वहां के रूल्स और रेगुलेशन्स सरकार मंगा कर विश्व विद्यालय को दे सकती है, विश्व विद्यालय मंगा सकता है और उन्हें अपने यहां लागू कर सकता है। और अगर विश्व विद्यालय फिर भी तैयार न हो तो राजस्थान सरकार को स्वयं स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद स्थापित कर देनी चाहिये। आप यह

(डॉ० बहादुरसिंह)

कह सकते हैं, हालां कि यह कहा जाता है कि विश्व विद्यालय आॅटोनोमस बॉडी है, पर फिर भी सरकार ११ लाख की एड इसे देती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी नीतियों का पालन तो उसे करना ही चाहिये।

इसके बाद दूसरा कट मोशन रखा है मैंने, महारानी उच्च कन्या विद्यालय, धौलपुर में अध्यापिकाओं के अभाव पर बहस करने हेतु।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन में मैंने इस बारे में सरकार से प्रश्न भी पूछा था और उस समय भी कहा गया कि अभाव नहीं है, पर मैं तो कह सकता हूँ कि अभाव है और पुरुष अध्यापक रखे जाते हैं वहां पढ़ाने के लिये। जब पुरुष अध्यापक ही रखते हैं तो फिर अलग से गर्ल्स हाई स्कूल की क्या आवश्यकता? लड़कों के हाई स्कूल में पढ़ सकते हैं सभी साथ साथ। तो गर्ल्स स्कूल में महिला अध्यापक ही रखे जाने चाहिये। दूसरी बात यह भी है कि अध्यापक भी ऐसे रखे जाते हैं जो बिल्कुल नये कॉलेज से निकले आते हैं।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है रामगढ़ा धौलपुर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने के लिये।

यह गांव धौलपुर के निकट है। यहां के लोग इसकी बहुत अर्से से मांग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के द्वारा २० हजार की प्रोपर्टी भी देने की बात कही गई थी। लिखा–पढ़ी भी हो गई, बॉन्ड्स भी लिख लिया गया। पर बाद में विद्यालय नहीं खोला गया। मालूम नहीं क्या कारण था। मैं समझता हूँ, कुछ समय पहले मुगल काल में बल्कि उससे पहले से इस गांव में काफी संस्कृत के विद्वान् हुए थे। यह बहुत अच्छी जगह है। इस जगह राजस्थान को संस्कृत विद्यालय की स्थापना करके उस परम्परा को जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिये। वहां लोगों में इसके लिये काफी रुचि भी है।

चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव है धौलपुर स्थित राजकोय पुस्तकालय की अव्यवस्था पर वाद विवाद करने हेतु। इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना आवश्यक है कि धौलपुर के सार्वजनिक लाभ में यह नहीं आता। इसमें काफी अव्यवस्था है। इसका कारण उसके लिये कोई एडवाइजरी कमेटी का नहीं होना है, अगर है, तो मैं मान कर चल सकता हूँ कि उसमें स्थानीय साहित्यिकों का सहयोग और सहानुभूति नहीं है। तो इसको थोड़ा डेवलप किया जाय और इसके लिये धौलपुर के साहित्यिकों की एक सलाहकार परिषद् बना देनी चाहिये।

पांचवां मेरा कटौती का प्रस्ताव है धौलपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना पर बहस करने के लिये।

यह हमारी पुरानी मांग है। भवन के बारे में पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि तिवारी बाग इसके लिये उपयोग में आ सकता है। वह इसके सर्वथा उपयुक्त है। आज भी वह सरकार के ही शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में है। अगर यह पर्याप्त नहीं हो तो थोड़ी बहुत सहायता जनता से जितनी

(डॉ० बहादुरसिंह)

बन सकती है लोग देने को तैयार हैं । मैं समझता हूँ कि वहां डिग्री कॉलेज खोल देना उपयुक्त होगा ।

छठा मेरा कटौती प्रस्ताव है बरई नबाब धौलपुर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षणालय की स्थापना पर बहस करने के लिये ।

शिक्षा विभाग की बड़ी कृपा है कि सभी बड़े बड़े कस्बों में धौलपुर में हायर सेकन्डरी स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं । केवल यही एक ऐसी जगह बाकी रह गई है । यह इन्टीरियर और आबादी का इलाका है । इसमें भी यह हो जाने के बाद हमारी शिक्षा की आवश्यक मांगें पूरी हो जाती हैं । इस जगह के लोग इसके लिये आवश्यक भवन भी मांग होने पर उसकी व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं । इस तरह धौलपुर में पांच–छः हायर सेकन्डरी स्कूल हो जाते हैं । अगर इस जगह हायर सेकन्डरी स्कूल और एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो सरकार की तरफ से शिक्षा पर होने वाला व्यय धौलपुर पर सफल होगा और इससे नागरिकों को पूरा लाभ हो सकेगा ।

अन्त में एक महत्वपूर्ण चीज़ और अर्ज करना चाहूँगा । मेरा आखिर का कट मोशन है 'आचार्य कालिक और मजदूरिन' जैसी पाठ्य पुस्तक को कोर्स से हटाने पर बहस करने के लिये । इसके नोट्स को सदन में पढ़ कर मैं सदन का अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी भाषा इस प्रकार की है कि मुझे तो लज्जा लगेगी इसे पढ़ने में । अध्यक्ष या मन्त्री महोदय स्वयं देख लें । मैं उसे सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ । १३१ पेज पर, २१ पेज पर अश्लीलता है इतनी कि सदन में भी नहीं पढ़ा जा सकता । जो इसकी कमेटी है मैं उस कमेटी के सदस्यों की ओर सदन का ध्यान दिलाऊं, हालांकि सभी विद्वान् हैं, जिन्होंने इसे स्वीकार किया है । उस कमेटी में एम० पी० शर्मा, बाजपेयी, के० के० तवें, सी० एस० भट्ट, बी० सी० वैद इस प्रकार के चार-पांच लोगों ने मिल कर इस पुस्तक को स्वीकार किया है । लेकिन जिस वक्त यह पुस्तक मेरी नजर में लाई गई तो दर असल मुझे दुख हुआ कि एक ओर जहां हम सिनेमा के पोस्टरों में अश्लीलता के बारे में बहस करते हैं वहां दूसरी ओर शिक्षा में इस प्रकार की पुस्तकें रखते हैं । यह हो सकता है, सरकार इसे आगे पढ़ाना बन्द कर दें । क्योंकि मन्त्री महोदय इसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उनका मत होगा कि इसको बन्द कर दिया जावे, पर यह जानना चाहूँगा कि यह आई किस तरह से और क्यों-कर ? हमारे छात्र-छात्राओं को इस प्रकार की पुस्तक देकर उनको अनैतिकता की ओर अग्रसर किया गया है ।

मैं इन शब्दों के साथ आप से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस पुस्तक के बारे में हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी अच्छी तरह से जांच कर लें और जो धौलपुर की छोटी-मोटी मांगें हैं मैं समझता हूं, उनके ऊपर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कम से कम धौलपुर में डिग्री कॉलेज के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनके ऊपर बोलने से पूर्व मैं अर्ज करूं कि तहसील कोटपुतली में, मैं शिक्षा विभाग, माननीय मुख्य मंत्रीजी और उप मंत्रीजी की तरफ से, जो क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था, वहां बहुत से इन्स्टीट्यूशन्स खोले गये हैं इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में कुछ स्कूलें जिनमें दो मिडल स्कूल्स और एक हायर सेकन्डरी की बहुत ही सख्त जरूरत है इसके लिए निवेदन करूंगा। कोटपूतली पंजाब के बोर्डर पर एक कस्बा है। राजस्थान का राष्ट्रीय मार्ग भी उधर से निकाला जा रहा है और इसके आस-पास बहरोड़, बड़ोद, नरायनपुर, पावटा, बनाटे, नांगल छाजा, बैराठ, शाहपुरा, अमरसर आदि करीब १५ हायर सेकन्डरी स्कूल हैं। यहां का छात्रों का परीक्षा केन्द्र करीब करीब कोटपुतली में है। ७०० के करीब लड़के यहां परीक्षा देने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोटपूतली के बाद जयपुर और अलवर यह दो एक ऐसी जगह हैं कि जहां हायर सेकन्डरी पास करने के बाद में लड़के आते हैं। जयपुर कोटपुतली से करीब ७० मील पड़ता है। यहां लड़कों को आगे अध्ययन के लिए आना पड़ता है या फिर अलवर जाना पड़ता है। इसलिए इन चीजों को देखते हुए वहां के छात्र करीब ३००–४०० से अधिक जयपुर में पढ़ते हैं और इतने ही या इनसे अधिक शायद अलवर में पढ़ते हैं। इतने छात्रों का बोझ यहां पर जो कॉलेज चलते हैं उनके ऊपर काफी पड़ता है और जो छात्र यहां पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी काफी खर्च करना पड़ता है। दूसरे, प्रवेश पाने में भी काफी दिक्कतें रहती हैं। इस प्रकार का मैंने कटमोशन रखा है कि कोटपूतली एक ऐसी जगह है, जो १५ हायर सेकन्डरी स्कूलों से करीब करीब ५, ६ या १० मील से दूर नहीं है, यहां पर आने जाने के भी अच्छे साधन हैं, अच्छी रोड्स से यह मिला हुआ है, जहां कॉलेज की सुविधा सरकार दे दे, तो बहुत आसानी से वे छात्र जो कि आसपास की स्कूलों में पढ़ने वाले हैं वे आसानी से सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं मिला भी था और उन्होंने प्रश्न के जवाब में भी कहा था कि इस प्रकार की सहूलियत, जैसे मकान आदि बना कर कोई दे दे तो वहां कॉलेज देने के लिए सरकार तैयार है। इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि इस प्रकार की बातचीत आई और उन्होंने आश्वासन दिया। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ व्यक्तियों से बात की और वह व्यक्ति भवन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दिक्कत आती है। वे कहते हैं कि भवन बना दिया तो उसके बाद यह राज्य सरकार इसको ले ले, इस प्रकार का पूरा आश्वासन मिल जाये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसलिए कोटपूतली में एक कॉलेज खोलने के लिए मैंने कटमोशन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा है। इससे जो हर साल आपके सामने एडमिशन्स वगैरह की दिक्कतें आती हैं वे कम हो सकती हैं।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मैंने अध्यापकों के बकाया वेतन के दिये जाने के बारे में रखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और जिस समय हम देखते हैं कि अध्यापक जैसे अल्प वैतनिक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया

(श्री रामकरणसिंह)

जाता तो उनकी हालत क्या होगी, यह हम सोच सकते हैं। कोई भी यह मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि इस प्रकार से तनख्वाह समय पर नहीं दी जाये तो बहुत दिक्कतें आवेंगी। इसके साथ ही साथ में आपको जयपुर जिले का उदाहरण दूंगा। मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में जयपुर जिले में ७०० अध्यापकों का बकाया वेतन सन् १६५० से है और उसकी रकम करीब ३ लाख के होती है। अब एक ही जिले के आंकड़े ऐसे हैं कि ७०० अध्यापकों के बकाया वेतन हैं और वह भी ३ लाख के करीब हुए जब कि उनमें से किसी को ७०, किसी को ८० और किसी को १०० रुपये वेतन मिलता है और यदि कुटुम्ब में वह एक ही आधार सपोर्ट करने के लिए हुआ तो किस प्रकार से वह अपना गुजर करता होगा, यह वही जानते होंगे। यदि इसके लिए गंभीरता से सोचें तो बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं अर्ज करूंगा कि जो टीचर्स का बकाया वेतन है वह उनको शीघ्रातिशीघ्र दे दिया जाये ताकि जो उनको दिक्कतें उपस्थित होती हैं वे न हों।

तीसरा मेरा कटमोशन दांतल और कल्याणपुरा में मिडल स्कूल खोले जाने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, यही दो खास गांव ऐसे रह गये हैं जिनमें मिडल स्कूल खोला जाये तो वहां के विद्यार्थी अपने अध्ययन का काम चला सकते हैं। यह जगह ऐसी है कि दांतल एक कस्बा है जिसकी ५००० की आबादी है। इसमें एक सोता बीच में पड़ता है इसलिए छात्रों को दूसरी जगह जाने में बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां मिडल स्कूल खोला जाता है तो आसपास के जितने छात्र हैं वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए पंचायत समिति और जिला परिषद् ने भी आप लोगों के पास प्रस्ताव भेज दिया है।

चौथा मेरा कटमोशन नारेड़ा कस्बा में हायर सेकन्डरी स्कूल खोले जाने के बारे में है। यह एक ऐसा कस्बा रह गया है जो कि जहां बहुत ही पुरानी ठिकाने का स्कूल है और कोटपूतली डाबला की जो रोड है वहां बसा हुआ है। यहां अच्छी बिल्डिंग है और जो भी लोग यहां रहने वाले हैं वह भी दूसरी बिल्डिंग देने को तैयार हैं और इसके अलावा दूसरी सुविधायें भी दे सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोला जाये।

पांचवां कटमोशन मेरा कोटपूतली हाई-स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने का है। अगर वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल खोला जाता है तो वहां पर जो छात्र हैं वे अपनी शिक्षा आसानी से पा सकेंगे। कॉलेज के साथ साथ वहां के हाईस्कूल को हायर सैकन्डरी बना देते हैं तो जो बाहर पढ़ने के लिए विद्यार्थी हाई स्कूल के बाद जाते हैं उनके लिए दिक्कत मिट जायें। वहां पर आसपास के क्षेत्र में वही एक हाई स्कूल रह गई है। इसलिए इस हाई स्कूल को यदि हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दी जाये तो दिक्कत दूर हो जाये।

मैंने यह कुछ कट मोशन्स आपके सम्मुख पेश किये हैं। आशा है कि वहां की दिक्कतों को देखते हुए आप अवश्य ही इन पर ध्यान देंगे। साथ ही जो अध्यापकों के बकाया वेतन हैं उनके लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि

(श्री रामकरणसिंह)

अल्प वेतन पाने वाले अध्यापकों को उनकी बकाया रकम शीघ्र चुका दी जाये। मैंने जयपुर जिले के ही आंकड़े केवल प्रस्तुत किये हैं कि यहां ७०० अध्यापकों के करीब २॥। लाख रुपये बकाया हैं। इस तरह से पूरे राजस्थान में जितने जिले हैं ७०० के हिसाब से कितने अध्यापक हुए और २॥। लाख रुपये के हिसाब से कितनी रकम बकाया उनकी निकलती है? इसलिए यह निवेदन करते हुए में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७ पर एक कटौती है और वह कनवास तहसील के अन्दर हाई स्कूल खोलने के संबंध में विचार करने हेतु है।

इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि करीब ३ साल से इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, कोटा और डिप्टी डाइरेक्टर के आश्वासन पर वहां की जनता ने करीब १५, १६ हजार रुपया इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाई और वह तहसील हैडक्वार्टर है। इसलिए पूरी आशा थी कि वहां पर हाई स्कूल खोल दिया जायेगा। लेकिन वहां पर हाई स्कूल नहीं खोलते हुए एक दूसरी जगह जो कि उससे ५ मील पर है और वह तहसील हैडक्वार्टर नहीं है वहां पर हाई स्कूल खोल दिया गया। जनता का रुपया लगा हुआ है और बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी तस्दीक हो चुकी है। शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर ने यह चाहा था कि १५ हजार रुपये, डिप्टी डाइरेक्टर के आदेश से उसने मेरे पास यह खबर पहुँचाई थी, वहां की जनता कॉन्ट्रीब्यूट करे और बिल्डिंग बना ले तो खुल सकता है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. ने वहां तस्दीक कर दी कि १५ हजार रुपये के करीब वे लोग लगा चुके हैं और सारा नक्शा जो था वह भी डिपार्टमेंट में पेश कर दिया गया। अब वहां की जनता के साथ में एक बड़ा अन्याय हो रहा है कि वहां पर उनसे रुपया तो खर्च करा लिया गया आश्वासन देकर और वहां पर हाई स्कूल नहीं खोला जाता और उस हालत में वहां के मुकाबले में जहां कि स्कूल खोला गया है वहां तहसील हैडक्वार्टर नहीं है, जब कि यह तहसील हैडक्वार्टर है। इसके तीन तरफ पक्की सड़कें हैं। वहां पर एक एलोपेथिक डिस्पेन्सरी है; तारघर है, टेलीफोन है और पुलिस स्टेशन है। साथ ही आबादी भी ज्यादा है। लड़कों की तादाद दुगुनी थी मिडल स्कूल में। तीन साल से मिडल स्कूल खुला हुआ है और वहां पर बारिश में आमदरफ्त भी बड़ी आसान है। वहां भी अच्छा है, जो कुछ खोल दिया गया है। उससे मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है। सरकार को उसके लिए धन्यवाद है कि वहां पर खोला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है इस हाउस में कि तहसील हैडक्वार्टर्स पर हाई स्कूल खोलने के लिए पहली प्रायोरिटी देंगे, उसका लिहाज रखते हुए वे यहां पर हाई स्कूल खोल देने की कृपा करेंगे. और मैं तीन, चार साल से इसके मुताल्लिक कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही जिद है कि चूंकि वह मेरा क्षेत्र है और वहां का रिप्रेजेन्टेशन मेरे जरिये से होता है और यह मानने में कोई किसी तरह की अड़चन आती है कि शायद उससे मैं ज्यादा पोपुलर हो जाऊं या जनता ज्यादा मुझे पसन्द करने लग जायगी, तो मैं इसके लिए भी इस्तिफा देने को तैयार

(श्री दलीपसिंह)

हूँ, यदि आज ही माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देदें कि वहां पर हाई स्कूल खोल दिया जायगा मेरे इस्तिफा देने पर। हाई स्कूल खोल देने का वहां का बड़ा जिनुआइन (Genuine) केस है। जनता परेशान हो रही है।

मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस केस को कन्सीडर करें। मैंने जो कटौती बताई है उसमें भी ज्यादा बातें नहीं कीं, क्योंकि एक चीज़ कहूँगा वह आसानी से नोट हो सकेगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वह कन्सीडर की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे कई एक कटौती प्रस्ताव हैं, उन सबको मैं एक साथ ही सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

मैं सबसे पहले गैरसरकारी शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में जो मेरा कटौती प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस सदन में ही एक दिन प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जयपुर में इस तरह पर चलने वाली गैरसरकारी शिक्षण संस्थाओं के बारे में अपनी गैरजानकारी प्रस्तुत की थी। मैंने यह बताने का प्रयत्न किया था कि ये गैरसरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं ये एक तरह से कॉमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं और न केवल कॉमर्शियल शॉप्स हैं बल्कि हमारे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और काला बाजार चलाने की एक एजेन्ट है और माननीय मंत्री महोदय ने उस समय कुछ शिक्षण संस्थाओं के नाम जानने चाहे थे, लेकिन मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके थोड़ी ही देर बाद एक स्थगन-प्रस्ताव के सिलसिले में मालूम पड़ा कि यहां पर हाई स्कूल की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र आउट हो गये हैं।

हम सब जानते हैं कि शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और करती आ रही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी सरकार के किये हुए कामों पर ये गैरसरकारी शिक्षण संस्थाएं....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : 'गैर सरकारी' से आपका मतलब क्या है ? Not recnognised or unrecognised?

डॉ० चन्द्रकला : शिक्षण संस्थाएं जिनके चलाने में सरकार का योग नहीं होता है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): वनस्थली तो नहीं है ?

डॉ० चन्द्रकला : कदापि नहीं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं से हमारा मतलब नहीं है। मैं जयपुर की बात कर रही हूँ, जयपुर का उदाहरण दे रही हूँ। बनस्थली जयपुर में नहीं है। महरबानी करके इस तरह से इन्टरप्शन नहीं करें।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर-सु०) : क्या जो शिक्षण संस्थाएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनसे आपका मतलब है ?

डॉ० चन्द्रकला : जी, हां । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जयपुर शहर में इस तरह को प्राइमरी यानी पहली कक्षा से लेकर बी. ए. और एम. ए. तक की पढ़ाई कराने वाली संस्थाएं चल रही हैं । जयपुर शहर में जगह जगह एक वर्ष में २ कक्षाएं पास कराने के विज्ञापन लगे हुए हैं । जगह जगह इस तरह के विज्ञापन लगे हुए देख कर भी हमारी सरकार, हमारे शिक्षा विभाग के संचालक क्यों नहीं सोचते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं के पास में ऐसा कौन सा जादू है जिससे कि वही पाठ्यक्रम जिसको कि सरकार सारी कोशिश करके एक साल में पूरा करती है उसको गैरसरकारी शिक्षण संस्थाएं एक साल में दो पाठ्यक्रम कैसे पूरा करा देती हैं ? अगर कोई जादू है तो उसको विभाग को सीखना चाहिए और अगर जादू नहीं है और हथकण्डें हैं तो उन हथकण्डों का पता लगा कर उचित कार्यवाही करनी चाहिए । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सरकार को बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षण संस्थायें बहुत सारी गड़बड़ करती हैं । झूठे प्रमाणपत्र देती हैं । बिना योग्यता के शिक्षार्थियों को भर्ती करती हैं ; उनका प्रयत्न यह होता है कि किसी तरह से पेपर आउट करके तथा दूसरे सभी उपायों से उनको पास करवा दें और पास करवाने के बदले में खूब पैसा वसूल करें । इतना ही नहीं जब इम्तिहान आने वाले होते हैं तो महीने पहले से 'सुरेश गेस पेपर्स', 'विजय गेस पेपर्स'; इस तरह के गेस पेपर्स की भरमार होकर विद्यार्थियों के संरक्षकों से पैसा वसूल करते हैं । राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की बात करते हैं तो राष्ट्रीयकृत पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन उनकी 'की' (key) जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले जिसका उल्लेख किया है, ऐसी बहुत सारी किताबें और 'कीज़' पहले ही बाजार में आ जाती हैं और यही नहीं; कई कई लेखक तो यह करते हैं कि वह किताबों पर संशोधक का नाम देकर बिल्कुल उसी तरह की किताबें छाप कर बेचते हैं । बाजार में कोर्स की किताबें नहीं मिलती हैं तो विद्यार्थी उन किताबों को खरीदते हैं और पढ़ते हैं । किताबें तो दूर, उनकी 'की' पहले मिलती है । जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन पर सरकार का नियन्त्रण नहीं है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अमान्य कहें ।

डॉ० चन्द्रकला : 'अमान्य संस्थाएं' हैं और जो एक बहुत बड़ी संख्या में चल रही हैं, वे किस तरह से शिक्षा के स्तर को नीचा गिराती हैं ? वे नैतिक स्तर, समाज और शिक्षा को गिराती हैं । इस पर सरकार को अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं सोचती हूँ कि कम से कम एक–दो उदाहरण आ चुके हैं, और भी आगे वे इस तरह का काम करेंगी । इसलिए जल्दी से जल्दी अध्यादेश जारी करके या किसी तरह से कोई भी ऐसा उपाय निकालें जिससे इस तरह की शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का नियन्त्रण हो या ऐसी संस्थाओं को बन्द कर दिया जाय ।

इसके बाद में मैं महिलाओं के शिक्षण के बारे में कहना चाहती हूँ । वैसे महिलाओं के शिक्षण के बारे में पहले भी मैं कह चुकी हूँ । लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें यही ध्यान रख कर महिलाओं को शिक्षा देनी है कि आगे चल कर ये किस तरह से उनके काम आयेगी । उस विषय को मैं नहीं

(डा० चन्द्रकला)

दोहराऊंगी। हमारी सरकार ने अब के इस बजट में विधवाओं की सहायता के लिए प्रावधान किया है। उसके सम्बन्ध में मुझे भी यही कहना है कि विधवाओं के लिए प्रावधान किया है तो जो अपाहिज हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई संरक्षक नहीं है, उनको भी सहायता दें। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो विधवाएं हैं उनको थोड़ी सी सहायता पहुँचाने से ही राहत नहीं दे सकेंगे। इसलिये यदि हम उनके सम्पूर्ण शिक्षण की व्यवस्था कर दें तो इससे दो लाभ होंगे। एक तो उनको राहत मिल जायगी, अपनी जीविका उपार्जन के लिये उनको अवसर मिल जायगा और दूसरा हमको अच्छी कार्यकर्त्रियें मिल जायेंगी। इसलिये प्रौढ़ शिक्षा की योजना को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। और मैं तो यह कहूँगी कि जितनी कन्या पाठशालाएं हैं उनमें यदि महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षण दें और विधवाओं को भी शिक्षित करें तो हमको तो कार्यकर्त्रियें और प्रौढ़ा स्त्रियां और विधवाओं को शिक्षण मिलेगा। ये दोनों काम एक साथ हो सकेंगे।

इसके बाद मेरा कटौती प्रस्ताव है बुनियादी शिक्षण के बारे में। बुनियादी शिक्षण के उपयोग के बारे में दो राय नहीं हो सकती। बुनियादी शिक्षण वह शिक्षण है जिससे ही हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। लेकिन आज सरकार केवल स्कूलों के नाम के आगे 'बेसिक स्कूल' लगा देने से या बेसिक शिक्षा प्राप्त या ट्रेन्ड अध्यापकों को रख देने से ही बेसिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। आज-कल की बेसिक स्कूलों में क्या होता है कि या तो एक दो ट्रेन्ड अध्यापक रख देते हैं या दो चार खेती की क्यारियां रख देंगे लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बेसिक शिक्षा का यह अर्थ नहीं है। इसका दूसरा मतलब भी लेना पड़ेगा। हमें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां जयपुर शहर में ही एक बेसिक स्कूल है जिसमें खेती के नाम पर एक क्यारी भी नहीं है। केवल उसका नाम बदल चुका है। लेकिन पहले की हालत में और अब में एक रत्ती भर का परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं सोचती हूँ कि राजधानी में एक स्कूल की यह हालत है तो दूर दूर की स्कूलों की क्या हालत होगी, यह शिक्षा विभाग ही जाने। केवल नाम में परिवर्तन करना या स्टाफ रखना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगी कि बेसिक शिक्षा की स्कूलें ठीक तरह से चलाई जावें और उनमें पढ़ने वाले छात्र मूल उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके बाद मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है संस्कृत शिक्षण के बारे में। इस बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कह दिया है उसको दोहरा कर मैं हाउस का समय नहीं लेना चाहती, लेकिन यह कहना अवश्य चाहती हूं कि संस्कृत शिक्षण बहुत जरूरी है। यह बात नहीं है कि हम प्राचीन में बहुत जकड़े हुए हैं या उससे हमें मोह करना चाहिये। लेकिन जैसा सम्पूर्ण और समृद्ध साहित्य इस संस्कृत में है वैसा दूसरी भाषा में नहीं है। मैं मानती हूं कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है लेकिन जितना दिया वह काफी नहीं है, इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि धीरे धीरे यह प्रयत्न आगे

(डॉ० चन्द्रकला)

बढ़ेगा और संस्कृत शिक्षा भी आगे बढ़ेगी।

जिस तरह की हालत बेसिक स्कूलों की है उसी तरह की हालत बहुप्रयोजन स्कूलों की है। कहने को तो बहु–प्रयोजन हैं या मल्टी पर्पज़ स्कूलें हैं, इनमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, धन्धों की शिक्षा दी जाती है और देश के अभाव को बहुत कुछ हद तक दूर करनेवाली हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जहां तक हमारा बहु–प्रयोजन शिक्षा देने का उद्देश्य है उसको हम भूले हुए हैं। यह शिक्षा एक साधन है किंतु साध्य की ओर ध्यान नहीं है, साधन में उलझे हुए हैं और साध्य-दृष्टि से ओझल हो चुका है। हम यह चाहते हैं कि हमारे छात्र और छात्राएं इस तरह से शिक्षित हों कि आगे चल कर अपने को निराश्रय नहीं समझें। ये केवल नौकरी ही नहीं ढूंढें और बाबू बन कर कलम के आधार पर ही जीविका उपार्जित करने वाले ही नहीं बनें बल्कि भगवान् ने जो उनको हाथ दिये हैं काम करने के लिये, जो शक्ति दी है, उसके सहारे वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसके लिये हमने बहुप्रयोजन स्कूलें शुरू की हैं। लेकिन उनमें भी यही होता है कि ये नकेन प्रकारेण पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिये। पाठ्यक्रम पूरा हो न हो, किसी तरह से परीक्षा हाउस में ३३ प्रतिशत या ४५ प्रतिशत या बहुत हुआ तो ६० प्रतिशत नम्बर मिल जाने चाहिये। यही केवल मात्र शिक्षण का लक्ष्य होता और यही उद्देश्य सरकार का होता है। यदि यही लक्ष्य है तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम देखते हैं कि कितनी बड़ी धन–राशि शिक्षा विभाग पर खर्च होती है। भोजन और वस्त्रों के बाद तीसरी आवश्यकता शिक्षा की है। जहां तक आवश्यकता का सवाल है, सरकार उसकी आवश्यकता को पूरी तरह से महसूस करती है और अपनी आय का एक-चौथाई हिस्सा उस पर खर्च करती है। लेकिन एक–चौथाई हिस्सा खर्च करना तब सार्थक होगा जब हम सही दिशा में खर्च करेंगे। सही दिशा में शिक्षा को नहीं देना इसका दुरुपयोग होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर अविलम्ब कदम उठाना चाहिये, बुनियादी शिक्षा को ठीक ढंग से चलाना चाहिये और महिलाओं के लिये शिक्षण का समुचित प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये मैं ये कटौती प्रस्ताव पेश करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष, मैंने दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव बीकानेर की अनिवार्य शिक्षण संस्थाओं को जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के सम्बन्ध में है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बीकानेर में राज्य के समय से ही अनिवार्य शिक्षा है और उसके लिये एक बोर्ड बना और उसके अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ, लेकिन जब से राजस्थान के शिक्षा विभाग ने अपने हाथ में इसे लिया उसके बाद में यह देखा गया है कि बीकानेर शहर में जो प्राथमिक शिक्षा के लिये अनिवार्य शिक्षा बोर्ड था उसका कार्य भी समाप्त हो गया। जब तक कोई ऐसा दूसरा कानून नहीं बने, एक नियम के अन्तर्गत शिक्षा चलाई जानी चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

उन नियमों का पालन नहीं हुआ और वह बोर्ड भी समाप्त हुआ। इससे काफी परेशानी हुई। बार बार शिक्षा विभाग को अपने दायित्व के प्रति ख्याल आकर्षित करने के लिये प्रार्थना की गई, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस पर शिक्षा विभाग ने ख्याल नहीं किया और अधिक खेद इस बात का है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग बीकानेर में उसका हेड ऑफिस होते हुए भी वहां अनिवार्य शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था जिस प्रकार से चलनी चाहिये इस बारे में सारी बातें बताने के बाद भी इतने वर्षों में व्यवस्था नहीं कर पाया। सदन में भी इस बात को रखा गया, मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द कार्यवाही होगी, लेकिन उसके उपरान्त भी आज तक व्यवस्था नहीं हुई।

बीकानेर में खास करके जो अनिवार्य पाठशालाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है, इससे मन्त्रीजी परिचित होंगे। वहां पर जितनी पाठशालाएं हैं वे समस्त इस प्रकार की हैं कि किराये की बिल्डिंग्ज़ में हैं। उनके खुद के बिल्डिंग्ज़ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास जो एक शिक्षा देने के लिये शिक्षण का आवश्यक अंग चाहिये, मामूली चॉक, ब्लैक बोर्ड आदि चाहिये, बच्चों के बैठने के लिये चटाइयां चाहिये, आदि जो आवश्यक चीजें हैं, ये तक बालकों के लिये उपलब्ध नहीं हैं। आज हम प्राइमरी शिक्षा के लिये बहुत कुछ खर्च करते चले जा रहे हैं लेकिन खास कर वहां की जो वस्तु स्थिति है, वहां पर राजस्थान शिक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय होते हुए भी, उस पर कोई ख्याल नहीं किया गया है। मैं उम्मेद करता हूँ कि इनकी सारी वस्तु स्थिति की जांच करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वहां पर प्राइमरी स्कूलों की उन्नति क्यों नहीं हो रही है और बच्चों के लिये आवश्यक साधन क्यों नहीं उपलब्ध कर पाये हैं। इतना ही नहीं, वहां के शिक्षकों की स्थिति के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की वेतन-श्रृंखला दूसरी जगह के अध्यापकों की वेतन-श्रृंखला से कम है। वे अब तक भी पुरानी ग्रेड ही पा रहे हैं जो ३०) रुपयों से प्रारम्भ होती है। वही वेतन आज तक उनको वहां दिया जा रहा है और इसके लिए न उनका कोई फिक्सेशन हुआ, न कोई व्यवस्था हुई। तो मुझे इस बात की तरफ खास करके मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना था। उन्होंने विधान सभा में गत वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक महीने में हो जायगा। आज एक वर्ष हो गया। मैं समझता हूँ माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिस बात को कह देते हैं, अधिकांश में बहुत कुछ पूरी करने की कोशिश करते हैं। परन्तु फिर भी न जाने क्यों, इन प्राथमिक पाठशालाओं और शिक्षकों की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में उनका ख्याल क्यों नहीं गया, उसका वायदा करने के बाद भी उनकी देख-रेख क्यों नहीं हुई? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस कटौती प्रस्ताव के बाद माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस वस्तु-स्थिति को ध्यान में लायेंगे और जब इस कटौती प्रस्ताव का जवाब दें तो वे कहेंगे कि पन्द्रह दिन के अन्दर, महीने भर में उस स्थिति को ठीक कर देंगे। मैं समझता हूँ इन शब्दों के साथ में मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

दूसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह खास करके प्राथमिक पाठशालाओं, बेसिक

Page No.48

(श्री मुरलीधर व्यास)

एज्यूकेशन के सम्बन्ध में है कि किस प्रकार उनको स्वावलम्बी बना सकते हैं। उस दृष्टि से मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं यह महसूस करता हूँ कि हमारे राज्य का अधिकांश व्यय, बजट का अधिकांश व्यय शिक्षा के ऊपर करते हैं। अभी जो १९६१–६२ का बजट है उसमें भी सारे विभागों पर जो खर्चा हो रहा है, उनके मुकाबले में जो शिक्षा का बजट है वह करीब २५ प्रतिशत बजट है। इतना शिक्षा के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। उसमें भी करीब करीब आधे से कम प्राथमिक पाठशालाओं के लिए खर्च करते हैं, करीब आधा उन पर खर्च होता है। यद्यपि प्राथमिक पाठशालाओं की तादाद बहुत है, शिक्षकों की तादाद बहुत है, लेकिन जो खर्च का सवाल है वह आधे से कम होता है। फिर भी महसूस करते हैं कि इस प्रकार जो खर्चा, जिस तरह प्राथमिक पाठशालाओं के विकास के लिए कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में जो मूलभूत नीति है उसको परिवर्तित किया जाय और प्राथमिक पाठशालाएं और खास करके जो बेसिक एज्यूकेशन है वह स्वावलम्बी किस प्रकार से हो, इसके लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए क्योंकि हम जितना इस पर खर्च करते हैं वह खर्चा बराबर इस प्रकार बढ़ता गया तो नतीजा यह होगा कि खर्चा बढ़ता चला जायगा। यह बेसिक एज्यूकेशन, जिसको शिक्षा की बुनियाद समझते हैं, इस शिक्षा का महात्मा गांधी ने जो दृष्टिकोण माना है, वह यह है कि जो भी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जो बेसिक स्कूल्स हैं उनके अन्दर इस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध हो कि जिससे वह स्कूल अपने आप में आत्म-निर्भर हो जाय। आत्म-निर्भर इस हालत में हो सकता है, जब हम इस प्रकार की व्यवस्था कर दें जिससे कि उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वे शिक्षा प्राप्त करें और वहां कुछ न कुछ हाथ का काम करके शिक्षा प्राप्त करें; साथ ही हमारी शिक्षा की कद्र हो। मैं समझता हूँ, यह हमारी शिक्षा का केन्द्र है और इसे केन्द्र-बिन्दु मान कर शिक्षा को प्रसारित करें तो नतीजा यह होगा कि सारा काम हस्त कला के द्वारा होगा। उससे कुछ न कुछ उत्पादन होगा और उस उत्पादन से वह इन्स्टीट्यूशन अपने आप में आत्म-निर्भर हो सकेगी। हमारे राजस्थान के अन्दर बेसिक स्कूल का खर्चा जो बताया गया है और हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २५०० प्राथमिक पाठशालाओं को बेसिक स्कूल्स में परिवर्तित करने का इरादा किया था, उन २५०० प्राथमिक पाठशालाओं में से १५०० को बेसिक स्कूल्स में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार की हमारे पास रिपोर्ट है। जिन स्कूलों को परिवर्तित नहीं कर पाये उनके लिए उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमें जगह, जमीन आदि के साधन नहीं मिले, इसलिए दूसरे स्कूल्स को बेसिक स्कूल्स में परिवर्तित नहीं कर पाये। फिर भी जहां तक संख्या का सवाल है वह काफी तादाद में है। हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में २५०० प्राथमिक पाठशालाओं को बेसिक स्कूल्स के अन्तर्गत परिवर्तित करने का इरादा किया था। उनमें से १५०० को किया है तो अच्छा है। परन्तु सवाल यह है कि जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है उसके आधार पर परिवर्तन हुआ या नहीं? अगर हमने नाम के आधार पर परिवर्तन कर दिया है, रेकॉर्ड में संख्या बढ़ाने

(श्री मुरलीधर व्यास)

के लिए कर दिया है तो उसका मतलब पूरा नहीं होता। इसलिए जहां तक शिक्षा की उन्नति के ऊपर सोचता हूँ, तो मेरा दृष्टिकोण बनता है कि अगर बेसिक स्कूल्स को अपने आपमें इतनी अच्छी तरह से संचालित करना चाहें जिससे कि हर स्कूल अपने आप में स्वावलम्बी हो जाय तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने १६३७ के पहले सारे हिन्दुस्तान के अन्दर 'वर्धा स्कीम', 'गांधी स्कीम' के नाम से प्रचारित की थी, जिसमें यह था कि प्राथमिक पाठशालाओं को, बेसिक स्कूल्स को किस प्रकार एज्यूकेशन देनी चाहिए, जो हर गांव में अनिवार्य पाठशालाएं हों, उनमें उनकी अपनी जो जमीन हो, जगह हो, उसमें लड़के काम करें; उत्पादन का काम, हाथ का काम, सूत का काम और जो भी हाथ के काम होते हैं गांव से सम्बन्धित, कागज बनाने का काम है, कातने का काम है, बुनने का काम है, वे करें। मैं समझता हूँ कि शिक्षा इतनी साधारण हो जाय कि हर गांव में जहां स्कूल में ६० बालक पढ़ते है और उस स्कूल में जो जमीन होती है उसमें वे काम करते हैं, उसको जोतते हैं, खेती करते हैं, नर्सरी बनाते हैं; तो इस प्रकार जो सारा प्रबन्ध होता है उससे लड़के सीखते हैं और उत्पादन अधिक होता है। उससे वे कुछ प्राप्त भी करते हैं। तो इस प्रकार के सेन्टर्स 'वर्धा स्कीम, के नाम से चलते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जो हमारा खर्चा लगातार शिक्षा का बढ़ता जा रहा है उसके अन्दर हमने बुनियादी शिक्षा के मूल उद्देश्य को नहीं बदला तो मैं समझता हूँ कि खर्चा ज्यादा बढ़ जायगा और जो शिक्षा सही माने में प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं हो सकेगी। इसलिए जो राजस्थान की वस्तु स्थिति है उसको देखें। आज हर स्कूल के लिए गांव में जमीन उपलब्ध है, हर इलाके में आप जमीन दे सकते हैं, जिसमें वहां के शिक्षक और छात्र मिल कर बेसिक एज्यूकेशन को इस प्रकार चलायें, उसका प्रबन्ध इस प्रकार करें जिससे स्वावलम्बी हो जायं। मैं इसको गहराई के अन्दर नहीं जाना चाहता क्योंकि यह नीति का सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ व मेरा ख्याल बना है, प्राथमिक पाठशालाएं अपने आप में स्वावलम्बी हों उसमें जो खर्चा लग रहा है वह लगायें, परन्तु जिस प्रकार की स्कीम महात्माजी ने शुरू की थी उसके अनुसार स्कूल्स सारे राज्य में चलायें। मैं नहीं समझ पाता कि आज न जाने क्यों इस प्रकार की स्कूल नहीं चलाई जातीं। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार मुख्य मन्त्रीजी ने विकेन्द्रीकरण और अन्य बातों को राजस्थान के अन्दर चालू करके पहल की है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी शिक्षा के अन्दर भी, किस प्रकार बुनियादी शिक्षा और स्कूल्स स्वावलम्बी हो सकती हैं, इस प्रकार की कुछ न कुछ योजना बना कर उसे राजस्थान में प्रारम्भ करें। मैं समझता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में नमूने के तौर पर इसे आरम्भ करने की बात की जा सकती है, जिससे हमारी शिक्षा स्वावलम्बी बन सके और जो खर्चा लगता है वह कम हो, जिससे दूसरे विभागों के काम किये जा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर कुछ विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ग्यारह कट मोशन्स हैं । सब के ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगा, दो चार कट मोशन्स के ऊपर मैं बोलूंगा । बाकी कट मोशन्स हैं उन्हें मुख्य मंत्रीजी खुद पढ़ कर समझ जायेंगे । सबसे पहले जो इस साल का हमारा एज्यूकेशन का बजट है, उसमें कुछ इन्डीकेशन सरकार की तरफ से इस साल कम्पलसरी प्राइमरी एज्यूकेशन के लिए किये गये। मैं उसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करता हूँ । लेकिन ऐसा इन्डीकेशन मुझे मिला नहीं । बजट मैमोरेन्डम में लिखा है, फॉर इन्ट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीट प्राइमरी एज्यूकशन पर इस साल खर्चा ज्यादा होगा । इसके अलावा न तो इस साल गवर्नर महोदय के अभिभाषण में, न वित्त मंत्रीजी की बजट स्पीच में किसी प्रकार का हमको इन्डीकेशन मिला है, किस प्रकार इसका स्टेच्यूट करेंगे, किस तरह करेंगे । मैं चाहूँगा इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री कुछ रोशनी डालें । जहां तक हमारी प्राइमरी एज्यूकेशन का सवाल है इस साल लगभग ३ करोड़ ८० लाख का बजट है और मैं समझता हूँ कि टोटल एज्यूकेशन का प्लान का एलोकेशन है पांच साल का है, उसको देख कर अमाउन्ट निश्चित करना था, वह १४ पर्सेन्ट एलोकेट करना था लेकिन इस साल के बजट में १५ पर्सेन्ट का एलोकेशन किया है यानी २२५ लाख, ३७ एज्यूकेशन में और अबाउट वन करोड़ ऑफ रुपीज़ केपिटल वर्क्स में लिया है । इस तरह टोटल ३१७ का होता है । मैं समझता हूँ कि यह एलोकेशन बिल्कुल सही है, कुछ बढ़ा है क्योंकि यह १४ पर्सेन्ट से ज्यादा है । इसमें लगभग दस हजार, पन्द्रह हजार ज्यादा खर्च करेंगे रेगुलर एलोकेशन से ।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन नं० ४८ है जो मैंने डाइरेक्टोरेट सेकन्डरी एज्यूकेशन के खर्च में कमी करने के सम्बन्ध में रखा है । यहां इस डाइरेक्टोरेट के खर्च को देखें तो सन् १९५९-६० में इस पर ८५७ हजार रुपया खर्च हुआ है । सन् १९६०-६१ में प्राइमरी, सेकन्डरी एज्यूकेशन के डाइरेक्टोरेट पर ८६० हजार रुपया खर्च हुआ, कॉलेज एज्यूकेशन को सेपरेट करने पर ६६ हजार उस पर खर्च हुआ और इस साल सन् ६१-६२ में प्राइमरी, सेकन्डरी एज्यूकेशन पर ६१८ हजार खर्च होता है और कॉलेज एज्यूकेशन पर १२१ हजार खर्च होता है । जब कि सन् १९५९-६० में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन के पहले ८५७ हजार खर्चा था और अब प्राइमरी एज्यूकेशन को ट्रान्सफर कर चुके हैं, १३-१४ हजार प्राइमरी स्कूलों में से ११-१२ हजार स्कूलों को पंचायत समितियों को दे चुके हैं, इनका कन्ट्रोल, बजट सुपरविजन वगैरह सब कुछ पंचायत समितियों को दे दिया है तो इसके बाद कम से कम प्रोपोर्शनेटली कम खर्चा डाइरेक्टोरेट में होना चाहिये । पंचायत समितियों को डाइरेक्टोरेट से जो स्टाफ गया

(श्री पी० के० चौधरी)

है सिर्फ उसके खर्च की कमी हुई है बाकी डाइरेक्शन के खर्चे में कमी नहीं हुई है। डाइरेक्टर्स की पोस्ट्स को देखें सन् १६५६-६० में, विकेन्द्रीकरण के इम्प्लीमेंटेशन के पहले, १ डाइरेक्टर, १ एडीशनल डाइरेक्टर, ७ डिप्टी डाइरेक्टर्स, ६ जोइन्ट डाइरेक्टर्स और ३ असिस्टेंन्ट डाइरेक्टर्स थे। सन् १६६१-६२ में १ डाइरेक्टर प्राइमरी सेकण्डरी एज्यूकेशन का, १ डाइरेक्टर कॉलेज एज्यूकेशन का। प्राइमरी सेकन्डरी एज्यूकेशन और कॉलेज एज्यूकेशन को सेपरेट करने से पहले ७ डिप्टी डाइरेक्टर्स थे पर आज प्राइमरी सेकन्डरी एज्यूकेशन के ८ डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं। ५०० से ६०० के ग्रेड के और एक डिप्टी डाइरेक्टर कॉलेज एज्युकेशन का है पहले कुल मिला कर ८ डिप्टी डाइरेक्टर्स थे और आज १० डिप्टी डाइरेक्टर्स की पोस्ट्स हैं।

मैं समझता हूँ, डिप्टी डाइरेक्टर्स की पोस्ट्स में कटौती होनी चाहिये और खास करके डाइरेक्टोरेट प्राइमरी सेकन्डरी एज्युकेशन की दो पोस्ट्स सरप्लस हैं, एक डिप्टी डाइरेक्टर बेसिक एज्यूकेशन की पोस्ट सरप्लस है और एक डिप्टी डाइरेक्टर, Basic Educatton की पोस्ट सरप्लस है। तमाम के तमाम बेसिक इन्स्टीट्यूशन्स के लिये हम चाहते हैं कि वे सब बेसिक स्कूल्स में कन्वर्ट हो जायं। उनके निरीक्षण के लिए ५ डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, when the Director of Primary and Secondary Education himself is also responsible for this basic education. जब लार्ज मेजोरिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल्स बेसिक बन जायेंगे तो डिप्टी डाइरेक्टर, एज्यूकेशन की पोस्ट प्राइमरी एज्यूकेशन के लिए क्यों रखी जाय? इस प्रकार तीन तीन पोस्ट्स रखने के लिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं समझता। दो डिप्टी डाइरेक्टर्स की पोस्ट्स होनी चाहिये ताकि डेमोक्रेटिक डी. से. लाइजेशन हमने इम्प्लीमेंट किया है, सारी प्राइमरी स्कूलों को पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिया है, तो ऐसी दशा में हैड क्वार्टर में डिप्टी डाइरेक्टर्स की संख्या में कमी नहीं हो तो यह ठीक नहीं।

इसके बाद राजस्थान कॉलेज के सम्बन्ध में मेरा कट मोशन नं० ४६ है, वर्किंग ऑफ राजस्थान कॉलेज। यह राजस्थान कॉलेज स्थापित किया तो इसकी स्थापना के पीछे हमारा यह उद्देश्य था कि it will impart a special type of training यानी It will have the cream. जो दूसरे एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनसे बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी; पर पिछले तीन साल का इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो हालांकि इसमें एडमिशन मेरिट बेसिस पर मिलता है, फर्स्ट डिविजनर्स को एडमिशन मिलता है, पर इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो एक या दो को फर्स्ट डिविज़न मिलता है। एक साल तो ऐसा गया कि एक भी फर्स्ट डिविज़न नहीं रहा। तो जिस पर्पज़ से राजस्थान कॉलेज को स्थापित किया है हमारा वह पर्पज़ सर्व नहीं हुआ। राजस्थान कॉलेज पर दूसरे कॉलेजेज़ से टेन टाइम्स ज्यादा खर्चा होता है। इसमें से जो स्टूडेन्ट्स निकल कर आये हैं उनको मैंने देखा है, they are not above ordinary. It does not appear that they are above average, ऐसा महसूस नहीं होता। इसलिये मेरा सुझाव है कि राजस्थान कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन

(श्री पी० के० चौधरी)

यूनिवर्सिटी को दे दिया जाय। मैं समझता हूं, कम से कम कि आइडियल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास हो ताकि अपने एक्सपीरियेन्स्ड स्टाफ से यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में काम ले सके। आज राजस्थान कॉलेज में हाइली पेड स्टाफ रखते हैं, पर अगर इसको यूनिवर्सिटी को दे दिया जाय तो from their pool, they can spare teachers वे लोग अपना समय दे सकते हैं। एक आइडियल हाई स्कूल के लिए मैं महसूस करता हूं for boys and girls there should be two institutions. इस बात को दुनिया के सब लोग महसूस कर रहे हैं to cultivate and prepare leaders for to-morrow. यहां आज के जमाने में समाज को, राष्ट्र को लीडरशिप देने के लिये केडर तैयार करना है। प्री-इन्डिपेंडेन्स डेज़ में लीडर पैदा हुए हैं पर पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स में लीडर पैदा नहीं हुए हैं। They are more self centred. सिविक सेंस, आइडियलिज्म को लेकर मैं कोई केरेक्टर की संकुचित व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। But character of man to give a lead to the society, वह आज क्रियेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि ऐसा एक कॉलेज हो जिसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होकर युनिवर्सिटी के हाथ में हो। इसमें जो विद्यार्थी लिए जायं वे मैरिट्स पर लिये जायं। इसमें किसी गवर्नर का लड़का भी हो। अगर वह मैरिट्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है तो उसको भी नहीं लिया जावे। इस प्रकार का युनिवर्सिटी का कंट्रोल हो। इसके राजस्थान में दो हिस्से किये जावें, for boys and girls. इसमें यह कोशिश हो, कि इस प्रकार की ट्रेनिंग हो कि जिससे आगे जाकर ऐसे लोग निकलें जिनके लिये गारन्टी के साथ कहा जा सके that the boys coming out of this college will be above ordinary. इसलिये मैंने यह निवेदन किया है। यह जो दो-तीन साल का राजस्थान कॉलेज का एक्सपीरियेन्स रहा है वह मुझे प्रोमिज़िंग नहीं प्रतीत हुआ है। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है and it is high time to make a change in its administration.

इसके बाद में मैंने एडल्ट एज्यूकेशन के लिये अपना कट मोशन ५१ रखा है। एडल्ट एज्यूकेशन का मतलब सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सिखाने से ही नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि कम से कम रीडिंग और राइटिंग का काम नहीं भी करें तो भी यूज़फुल पर्पज़ सर्व हो सकता है। उनको किताबें पढ़ाने के बजाय दस्तकारी का काम सिखाया जाए, information regarding agriculture, information regarding various crafts दी जाय। ये यूज़फुल चीजें हैं। It is useful. जिन बातों से वे अपना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं वे उनको सिखाई जावें। चाहे वे चीजें सिनेमा के जरिये से हों, चाहे रेडियो के जरिये से या अन्य किसी जरिये से हों। आज-कल उनके लिये केन्द्र चलाये जाते हैं। अगर हम वहां पर शिक्षा केन्द्रों को देखें तो मालूम होगा कि वहां पर कोई नहीं आते हैं। जब कभी कोई ऑफिसर इन्सपेक्शन के लिये जाता है तो १५ या २० आदमी वहां चले आते हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि बजाय इसके कि वे केन्द्र जो चलाये जाय उनमें ए. बी. सी. डी. और क, ख, ग सीखते रहें, उसके बजाय कोई न कोई धन्धा सिखाना चाहिये। उनको शिक्षा रेडियो, सिनेमा के जरिये या किसी अन्य प्रकार से दी

(श्री पी० के० चौधरी)

जावे और उनको इन्फॉर्मेशन शिक्षा के सम्बन्ध में दें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसके बाद मैंने रीजनल इन्जिनियरिंग कॉलेज, जयपुर के लिये कट मोशन रखा है। मैं इसके लिये गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार के ७ इन्जीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश किये जा रहे हैं उनमें से राजस्थान के लिये भी एक लाया गया है और इसको जयपुर में एस्टेब्लिश करेंगे इसकी बड़ी खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जल्दी की जाए। कई दफा ऐसा होता है कि there is many a slip between the cup and lip. यह हो सकता है कि दूसरे प्रान्त में न होकर we may lose it even. पहले हमने सुना था कि Leavy electrical plant राजस्थान में गंगापुर के पास लगाया जा रहा है। उसका सर्वे भी हो गया था, लेकिन अब यह सुना है कि यहां नहीं हो रहा है और किसी दूसरी जगह चला गया है। इसलिये जब सेन्टर ने एश्योरेन्स दिया है तो फाउन्डेशन और इसी प्रकार इनिशियल वर्क है वह जल्दी से जल्दी कर दिया जावे। ऐसा न हो कि इस कॉलेज को भी हम उसी तरह से लूज़ कर दें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अगर किसी दूसरी जगह खोला जावे तो आपको क्या एतराज है?

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी जगह नहीं खोला जाना चाहिये। जयपुर में ही होना चाहिये। बजट में जहां पर खोलने का प्रावधान रखा है वहीं खोलना चाहिये। वित मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा है। आप देखेंगे कि बजट मेमोरेंडम के पेज ४६ में लिखा है : "Regional Engineering College at Jaipur."

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

Within a minute, I am finishing.

मैं समझता हूँ कि दूसरी जगह जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम सलूम्बर में तो जावेगा नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर : आपके फुलेरा में हो सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री पी. के. चौधरी : मेरे दूसरे कट मोशन्स ३७, ३८ और ३६ हैं। ३७ नम्बर का कटमोशन सांभर में एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिये रखा है। मैं यह चीफ मिनिस्टर पर छोड़ता हूँ। नम्बर ३६ का जो मेरा कटमोशन है वह फुलेरा में गर्ल्स स्कूल के लिये है। आज वहां एक धर्मशाला है वह किसी सेठ ने इस कार्य के लिये दी थी। आज वह ब्लॉक की प्रोपर्टी मानी जाती है। वहां के चेअरमैन, म्युनिसिपैलिटी का पत्र मेरे पास है जो चीफ मिनिस्टर के नाम का है कि इस धर्मशाला को म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर कर दिया जावे तो इसमें एडीशनल रूम्स जरूरत के अनुसार बना देंगे और मिडल स्कूल हो जावेगा। वहां पर तीन–चार प्राइमरी स्कूलें हैं उनमें ३००–४०० लड़कियें हैं। फुलेरा इसके लिये उपयुक्त स्थान है, इसलिये वहां पर मिडल स्कूल खोला जाना चाहिये

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री पी० के० चौधरी)

(१. १६. म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक मिनट ।

कट मोशन १०१ मेरा है, उसके लिये माननीय चीफ मिनिस्टर ने कह दिया था और ऑर्डर भी पास कर दिये थे। मुझे आशा है कि फुलेरा में हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज़ खुल जावेंगी।

मेरा १०२ नम्बर का एमेंडमेंट फुलेरा हाई स्कूल में एडीशनल एकोमोडेशन के लिए है और कटमोशन नं० ५० है वह मैंसलाना हायर सेकन्डरी स्कूल में कॉमर्स क्लासेज़ खोलने के लिये है।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत के लिये कहना चाहता हूं। दो माननीय सदस्यों ने संस्कृत की फैकल्टी के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि संस्कृत फैकल्टी खोलने से कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर कोई सहूलियत मिल सकती है तो मैट्रिक में संस्कृत को कम्पलसरी कर दिया जावे। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे तो one of the classical languages was compulsory and optional. हिन्दुओं के लड़कों को संस्कृत कम्पलसरी और मुसलमानों के लड़कों को फारसी आदि। मैं समझता हूं कि संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूर रखा जावे कि कम से कम मैट्रिक तक संस्कृत कम्पलसरी रखी जावे। Sanskrit should be one of the compulsory classical languages, तो इससे ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है।

जहां तक बैसिक एज्यूकेशन का सवाल है मैं एक बात कहना चाहूंगा; जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि महात्मा गांधी ने बताया कि बैसिक एज्यूकेशन सेल्फ सफिशियेन्ट होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि बैसिक एज्यूकेशन का कन्सेप्शन जो था वह यह था कि बैसिक एज्यूकेशन प्राइमरी स्टेज में कभी सेल्फ सफिशियेन्ट नहीं हो सकती। बेसिक एज्युकेशन का self supporting का जो conception है it is like the conception of a straight line, that it has length without breadth. In actual practice we cannot draw a line which has no breadth. तो वह एक मैथेमेटिकल कन्सेप्शन है! बेसिक एज्यूकेशन में हो नहीं सकता और अगर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम करने जावेंगे तो इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत थोड़े से कटौती के प्रस्ताव अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा का हाल-चाल है उस पर अर्ज करने के लिये रखे हैं।

सबसे पहले मेरा जो कटौती प्रस्ताव है हमारे देहातों में काम करने वाले या रहने वाले जो सिंगल टीचर स्कूल के अध्यापक हैं, टीचर्स हैं या दूसरे हायर सेकेन्डरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, या मिडल स्कूलों में जो टीचर्स हैं, उनकी जो वर्किंग कन्डीशन्स हैं, सर्विस कन्डीशन्स हैं वे इस तरह की हैं कि मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने उस ओर काफी ध्यान नहीं दिया है और काफी ध्यान इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनायें और विकास के काम हैं वे शिक्षा पर बहुत कुछ डिपेन्ड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पंच-वर्षीय योजनायें सफल हों और गांवों में असली माने में विकास के काम हों तो सबसे बड़ा उसके लिये अगर उत्तरदायित्व किसी पर है तो वह स्कूल टीचर्स पर है। उनका हाल और उनकी जो सर्विस कन्डीशन्स हैं वे आपसे छिपी हुई नहीं हैं। फिर भी मैं यह नहीं पाता हूँ कि उनकी कन्डीशन्स को ठीक कर सकने या उनकी हालत सुधारने में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अक्सर यह हो गया है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में वे टीचर्स भेज दिये जाते हैं जो वहां की बोली नहीं समझते, वहां का रहन-सहन एडॉप्ट नहीं कर सकते, क्लीइमेट एडॉप्ट कहीं कर सकते, जो पेरेन्ट्स हैं उनमें कॉन्फिडेन्स पैदा नहीं कर सकते हैं कि जिन बच्चों को वे उनके स्कूलों में भेजेंगे वे उनको ठीक प्रकार से पढ़ा सकेंगे। पेरेन्ट्स में जब तक कॉन्फिडेन्स नहीं होगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो पढ़ा सकेंगे और उनको फायदा होगा तब तक नहीं भेजेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी फन्डामेन्टल चीज़ है जिससे पेरेन्ट्स में कम से कम यह विश्वास तो होना चाहिये कि मेरा बच्चा स्कूल जावेगा तो उसको टीचर पढ़ा सकेंगे। जब इसके लिये टीचर्स को कहा जाता है तो टीचर्स पचास तरह की जो उनकी दिक्कतें हैं, सर्विस कन्डीशन्स हैं या लिविंग कन्डीशन्स हैं, जो उनके सामने रोजमर्रा आती हैं उनको वे सामने रखते हैं और पेरेन्ट्स में से या हममें से कोई उनको जाकर पूछता है तो जबान बन्द हो जाती है, कहने की कोई गुन्जाइश नहीं रहती। उनकी कन्डी-शन्स को देखें। बाड़मेर के उन दूर इलाके की कह सकता हूँ कि जहां मनुष्य मात्र के लिये जिन्दगी के जो आवश्यक साधन होने चाहिये वे उनको वहां उपलब्ध नहीं होते। रहने को जगह नहीं होती, खाने-पीने को नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। दर असल वहां पर टीचर्स कैसे रहें? हो सकता है कि मन्त्री महोदय वहां पर पधारे हों और वे जानते होंगे जो कन्डीशन्स वहां

(श्री अनूपसिंह)

पर हैं। लेकिन उन कन्डीशन्स को सुधारने के लिये उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाये और जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए; जैसे पीने के लिये पानी है, रहने के लिये जगह, खाने की चीजें उनको मुहैया नहीं होती तो उस पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व रख दें कि हमारे भविष्य के निर्माणकर्ताओं की जिन्दगी तुम्हारे हाथों में है तो वे उसको पूरा नहीं कर सकते। जब आप टीचर्स के भरण–पोषण के लिये पूरा नहीं दे देते हैं, उनको वहां रहने के लिए कोई ऐसा लालच नहीं दे देते हैं, ऐसा कोई एन्चेन्टमेंट नहीं होता है उनके सामने, वे सुदूर इलाके में रहने और वहां पर काम करने, सिन्सियरिटी, लगन और ज़ील के साथ काम करना यह उनके लिए किसी प्रकार से मंजूर या संभव नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि सरकार कम से कम उन इलाकों में रहने वाले स्कूल टीचर्स, अध्यापकों के लिये ध्यान देकर देखे कि उनकी जो लिविंग कन्डीशन्स हैं वे कैसी हैं और उनकी दीगर कन्डीशन्स हैं उनको सुधार कैसे सकते हैं। पानी तो टैंकों में मुहैया कर सकते हैं, साग सब्जी नहीं मिल सकती तो कम से कम उनको तनख्वाह की कोई ऐसी ग्रेडेशन होनी चाहिये और उन इलाकों में काम करने के लिए उनको मिलनी चाहिये। यदि उनको उस प्रकार का कोई अलाउन्स मिलेगा तो उन इलाकों में वे जाने को तैयार होंगे। अलवर और भरतपुर में रहने वाला आदमी बाड़मेर नहीं जायगा, सुदूर इलाके में जाने के लिए तैयार नहीं होगा कभी, जहां कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, जिन्दगी चलाने के लिए चीजें भी उपलब्ध नहीं होतीं और आज स्कूलों से निकले हुए नये नये टीचर्स हैं, कम उम्र होने के लिहाज से एक्सपीरियन्स नहीं है, वे उन जगहों पर रहें, आफतों को सहें, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनमें ऐसी ज़ील हो, मैं मानता हूँ कि उनमें यह ज़ील पैदा नहीं हो सकती क्योंकि मनुष्य मात्र का यह स्वभाव है कि यह नहीं हो सकता कि उनको जिन्दगी की चीजें मुहैया न हो, रहने के लिए स्थान न हो, पीने के लिए पानी न हो और वे वहां पर अपना काम पूरा न करें, तो यह नहीं हो सकता।

इसके सिवाय दूसरा हम यह देख रहे हैं कि मास्टरों की लिविंग कन्डीशन्स या तो खराब हैं, मिडल स्कूलों में दो, चार, सात मास्टर रहते हैं, उनके आपस में इतने झगड़े पैदा हो गये हैं कि जिससे स्कूलों की पढ़ाई का जो स्तर है, बच्चों में टीचर के प्रति जो कॉन्फिडेन्स होना चाहिये वह आज गायब मिलता है। मास्टर इसलिए आपस में लड़ते हैं कि उसके पास तो इतनी ट्यूशन्स और मेरे पास नहीं, उसको तो हैड मास्टर ने अलाऊ कर दिया, मुझे नहीं किया। आप झगड़ा को हर स्कूल में इस प्रकार से आपसी टन्टा मिलेगा। बच्चों पर जो असर पड़ना चाहिए वह इस प्रकार वातावरण बनाने से नहीं पड़ सकता और जो स्तर लाना चाहते हैं वह स्तर तो नहीं रह पाता और बच्चों का आये दिन रिजल्ट खराब होता जा रहा है, बच्चे खराब होते जा रहे हैं। मास्टरों में आपस में झगड़े-टन्टे होते हैं। ये खराब चीजें है, जिनसे बचाने के लिए स्कूल से बच्चों को हटाना

(श्री अनूपसिंह)

पड़ता है, उनके पेरेन्ट्स को मजबूर होकर उनको हटाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय को अर्ज करूंगा कि उनको उन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिये। जगह जगह इस प्रकार से आपस में मास्टरों में झगड़े—टन्टे होते हैं तो चाहे उन मास्टरों को निकाल दीजिये, वे बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं हैं। हैड मास्टर्स को हिदायत कीजिये कि वह इम्पार्शियल होकर ट्युशन की मास्टरों को इजाजत दें न कि इस तरह से कि किसी को तो इजाजत दे दी और किसी को नहीं। आप पूछेंगे कि आखिर यह होता क्यों है ? उनका तनख्वाह से काम नहीं चलता, तनख्वाह कम मिलती है। उनकी लिविंग कन्डीशन्स इतनी खराब हैं कि उनको बाध्य होकर एक-दो ट्युशन रखनी पड़ती है। इस तरह से वे अपनी कन्डीशन्स को चलाने के लिए तनख्वाह को सप्लीमेन्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि उसको ट्युशन की जरूरत हो, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हैड मास्टरों को काये को बनाये बैठा रखे हैं ? यदि आपसी झगड़े कराते हैं, तो मैं कहता हूं कि हैड मास्टर ही कराते हैं और उनका कन्ट्रोल नहीं है कि वे लड़ने वाले मास्टरों को ठिकाने ला सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा का दिन ब दिन यह स्तर नीचे होता जा रहा है।

बाडमेर के अन्दर आज तक मंत्री महोदय भी गये हैं, केबिनेट मीटिंग्स भी हुई लेकिन आज तक कोई वहां पर कॉलेज नहीं बनाया गया। इतने लड़कों की वहां संख्या हो सकती है और है और लड़के मिल सकते हैं जो कॉलेज में जाने लायक हैं लेकिन वहां पर कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। आप कह सकते हैं कि बाडमेर में काफी खर्चा कर दिया है और कॉलेज हो नहीं सकता था इसलिए नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अर्ज करूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं उनको यदि कम्पेयर करने बैठें डिविजन वाइज़ जो खर्चा हुआ है उससे तो आप देखेंगे कि एज्यूकेशन पर खर्चा बाड़मेर में बहुत कम हुआ है सिवाय जैसलमेर के, जहां इससे भी कम है, बाडमेर का सबसे कम है।

उसके साथ साथ अन्य जगहों का हम कम्पेरिज़न करें तो दूसरी जगह और दूसरे डिविज़न के अन्दर काफी खर्चा हो रहा है। जहां तक बाडमेर का ताल्लुक है उसको पिछड़ा हुआ मान कर उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है और जानते हुए भी छोड़ दिया गया है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आबादी वहां नहीं है।

श्री अनूपसिंह : आबादी होते हुए भी खर्च नहीं होता। आबादी का यह मतलब नहीं कि पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिये वहां कुछ नहीं होना चाहिये। वहां बिजली पैदा नहीं हो सकती, पानी लाया नहीं जा सकता, नहर नहीं लाई जा सकती; लेकिन क्या स्कूल भी नहीं हो सकती ? लड़के वहां बैठे हैं, पेरेन्ट्स बैठे हैं पढ़ाने वाले लेकिन पढ़ने वालों के लिये स्कूल्स नहीं हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारे यहां थरमल पॉवर स्टेशन खोले जाय या गंगनहर को लाया जाय। लेकिन जो चीज़ आ सकती है, मैं समझता हूं, इस बारे में शिक्षा विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

(श्री अनूपसिंह)

सिवाणा में एक टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर जरूर खुला है। वह करीब साल भर से चल रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। वहां कुछ रहने की जगह की कमी थी उसको पूरा करने के लिये वहां की पंचायत ने काफी मदद दी है। एक ब्लॉक जो गर्ल्स स्कूल्स के लिये रखा था उसको डोनेट कर दिया गया है। इसके कारण आपके टीचर्स को बड़ी सुविधा हो गई। इस प्रकार का सहयोग हम दे रहे हैं; फिर भी हमारे सहयोग की कद्र नहीं की जाती। जब आप कद्र नहीं करते हैं तो पूरा सहयोग मांगने के हकदार नहीं हैं और हमारा सहयोग देना फालतू रह जाता है। जिस तरह से भी वहां टीचर्स रहे हैं बड़े खुशहाल रहे हैं। वह जगह भी सबको पसन्द है! वहां हर तरह की चीजें उनको मुहैया हैं। एक आदमी के लिये जितनी चीज़ें जरूरी हैं वे सब वहां उपलब्ध हैं। लेकिन इस प्रकार से सब सुविधायें होते हुए भी पर्मानेन्टली वहां वह सेन्टर रह जायगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है। सब चीजें वहां पर हैं, स्कूल बिल्डिंग भी बना हुआ है। इतना होते हुए भी आप अगर वहां पर्मानेन्टली उस सेन्टर के रहने की घोषणा नहीं करते हैं तो हमें यह मान कर चलना चाहिये कि पोलिटिकली होगा जिसके कारण आप टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर को पर्मानेन्ट तौर पर वहां डिक्लेअर नहीं करना चाहते।

इन सब बातों के कहने के बाद एक बात मैं और अर्ज करूंगा। बाडमेर ऐसा इलाका है और ऐसी जगह है कि जहां पर हर प्रकार की सुविधा है। हो सकता है वहां कई चीजे आ नहीं सकती हो, लेकिन जो आ सकती हैं वे भी आप नहीं करते हैं तो आपकी जो योजनायें हैं उनमें हमें तंत मानने का कोई कारण नजर नहीं आता। अगर आप उस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा आपकी योजनाओं में विश्वास करने का कोई कारण नहीं रहेगा।

बालोतरा के अन्दर एक गर्ल्स स्कूल है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसके अन्दर ४०० के करीब लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन उनके बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है। इतना भी नहीं हो सका कि उस स्कूल के लिये हत्था बनाया जा सके। हत्था बनाने के लिये गवर्नमेंट को मदद की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने वायदा भी किया था जिस समय केबिनेट की मीटिंग वहां पर हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हो चुका है कि गर्ल्स स्कूल के लिये मदद दी जाय। लेकिन आज तक किसी प्रकार की सरकार की ओर से मदद नहीं दी गई है। वहां लड़कियां ४०० पढ़ती हैं। जहां आप यह कहते हैं कि हम लड़कियों की शिक्षा को एन्करेज करते हैं लेकिन यह तो एक प्रकार से डिसकरेज करना हुआ। आप उनके पेरेन्ट्स को लड़कियों की शिक्षा के लिये प्रोत्साहन नहीं दिला सके हैं, उनमें विश्वास पैदा नहीं कर सके हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री अनूपसिंह : Half a minute.

श्री उपाध्यक्ष: How can you count half a minute.

श्री अनूपसिंह : माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार की टीचर्स

(श्री अनूपसिंह)

वहां रखी हैं वे योग्य नहीं हैं। इस कारण भी लड़कियों के माता-पिता में वे विश्वास पैदा नहीं कर सकती हैं। लड़कियों के पेरेन्टस जब स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं तो वहां उनको भेजने का दिल नहीं करता। जिस स्कूल में हत्था नहीं वहां उनके माता–पिता भेजना पसन्द नहीं करते। एक तरफ कहा जाता है कि लड़कियों का नम्बर नहीं लेकिन जहां नम्बर हैं वहां पर भी आप पूरी सुविधा नहीं दे पाते तो इस हिसाब से आपकी जो योजना है उसका हिसाब अजीबोगरीब है जहां पर ज्यादा मदद की आवश्यकता होती है वहां नहीं दी जाती और जहां पर ऑलरेडी बहुत हैं वहां और ज्यादा किया जाता है। इस तरह से मैं यह कह सकता हूँ कि लड़कियों को पढ़ाने की तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह इस सम्बन्ध में है कि भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा जो स्कूल बिल्डिंगें राज्य सरकार को सौंपी गईं उनका अभी तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, १७ जून, १६५४ में उनियारा का विलीनीकरण हुआ था।....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या उनियारा इतना बड़ा था ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा अब भी मौजूद है, गया नहीं है कहीं। जिस वक्त में उनियारा की जागीर समाप्ति की गई उस वक्त में वहां जो स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ थीं, एक तो हाई स्कूल उनियारा, तीन मिडल स्कूलें तहसीलों में और कुछ प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्स भी सरकार को सुपुर्द की थीं। तब से लेकर आज तक मैंने सवालों के जरिये, कट मोशन्स के जरिये माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि वहां की स्कूल बिल्डिंग्ज़ की मरम्मत नहीं हो रही है; न तो सरकार उनको पी० डब्ल्यू० डी० को संभलाती है और न विभाग के द्वारा ही उनकी मरम्मत हो रही है। जब सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहते हैं तो वे कहते हैं, एज्यूकेशन विभाग से होगी। अभी मैं हाल ही में मिल कर आया हूँ। उन्होंने कहा है, डिपार्टमेंट द्वारा ही मरम्मत होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शंका नहीं कि जब से एज्यूकेशन विभाग हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के हाथ में आया है तब से शिक्षा में काफी प्रसार हुआ है, काफी स्कूलें नई बनी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि पुरानी जो बिल्डिंग्ज़ संभलाई गई थीं उनकी मरम्मत भी होनी चाहिये। मेरे समझ में यह नहीं आता कि उनियारा के साथ क्या नाराजगी है ?....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : वहां तो नया बनाया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह भी कहां पूरा हो रहा है ? वह भी पूरा हो जाय तो गनीमत है। उनके साथ साथ पहले वाली बिल्डिंग्ज़ को मरम्मत होनी चाहिये। यह नहीं गोद के को तो पटक दिया जाय और पेट की आशा की जाय। आखिर में जो भी बिल्डिंगें हैं वे सब सरकार के ही काम आयगी और जो भवन बन रहा है, मैं आशा करता हूँ कि नये चुनाव से पहले समाप्ति हो जाय और आप

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

ही के द्वारा उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाय तो बहुत ठीक रहेगा। जिस प्रकार इस समय टौंक की बिल्डिंगें पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत हैं उसी प्रकार इनको भी दे दी जाय और जिस तरह से पहले पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा होता रहा है उसी तरह से होता रहे। हमें वहां की जनता ने प्रतिनिधि बना कर भेजा है, इस वास्ते अर्ज करता हूँ। अगर आपकी मेरे पर नाराजगी है तो मैं भी श्री दलीपसिंहजी की तरह इस्तीफा पेश कर दूं। मुझे भी उनकी तरह करना पड़ेगा। आप मेरा भी इस्तीफा ले सकते हैं, यदि आप वहां इस पर भी कुछ कर दें....

श्री सोहनलाल भटनागर : अब तो सिर्फ छः महीने ही रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन सब बातों के साथ मेरा यह निवेदन है कि वहां की स्कूल बिल्डिंग्स की जो हालत है उनको सुधार कर उनकी मरम्मत करवाने की कृपा करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री नाथूलाल कोरल (लालसोट—सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग के सम्बन्ध तीन कटौती के प्रस्ताव हैं जिनके नम्बर ६१,६२ और ६३ हैं। कटौती प्रस्ताव संख्या जो ६१ है वह आदिवासी एरिया के लिये है। यानी पंचायत समिति, लालसोट के अन्दर कल्लावास में मिडल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में है। यह गांव ऐसी जगह है जहां आदिवासियों की संख्या पचास प्रतिशत के करीब है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। वहां मिडल स्कूल की मांग काफी अर्से से की जा रही है और उसमें काफी विलम्ब हो गया है। अतः इस मांग को पूरी की जाय। वहां ६ मील के एरिया के अन्दर कोई मिडल स्कूल नहीं है और बिल्डिंग काफी अर्से से बनी हुई है। इस साल वहां मिडल स्कूल खोलने की कृपा करें। प्राइमरी स्कूल में लड़कों की संख्या काफी है।

इसके बाद दूसरा प्रस्ताव है पंचायत समिति, लालसोट ग्राम मन्डावरी में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने पर बहस करने हेतु। उपाध्यक्ष महोदय, मन्डावरी है वह बामनवास और लालसोट सड़क पर है। यह एक कस्बा है। वहां अच्छी पोपुलेशन है। उसके अन्दर लड़कों की संख्या काफी है, बिल्डिंग बनी हुई है। दो साल का अर्सा हो गया, हाई स्कूल के योग्य बिल्डिंग है। अतः यहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल खोली जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब कुन्दनपुरा पर आ जाइये।

श्री नाथूलाल करोल : उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट तहसील में आदिवासियों की काफी पोपुलेशन है। इसलिये मैं यह निवेदन करूं कि आदिवासी एरिया के अन्दर एक मिडल स्कूल का होना व ग्राम मन्डावरी में हायर सेकेन्डरी स्कूल का होना अत्यन्त आवश्यक है और इस वजह से मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

अब पंचायत समिति, सांगानेर में जो कुन्दनपुरा आदर्श हरिजन बस्ती है वहां भी मिडल स्कूल खोलना जरूरी है। वहां इस

(श्री नाथूलाल करोल)

समय १२०–१२५ लड़के प्राइमरी स्कूलों में मौजूद हैं और पांचवीं क्लास में काफी लड़के हैं। इसलिये निवेदन करता हूँ कि वहां अवश्य ही मिडल स्कूल खोलने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ६५, ६६, ६७, ६८ के द्वारा सरकार का ध्यान शिक्षा सम्बन्धी ६ मुख्य समस्याओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि गत आठ–दस वर्षों में राजस्थान में शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, पर इसके साथ दूसरी कई समस्याएं भी हल करनी हैं, वे इससे भिन्न नहीं हो सकतीं। शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इसके लिये गत वर्ष छुट्टियां कम की गईं, पर फिर भी जो बात मैंने इस वर्ष देखी वह विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के हित में ठीक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों की है। वे माध्यमिक शालाओं के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक भी इस वर्ष कभी सेंसस में, कभी पंचायतों के चुनावों में लगाये गये और काफी समय इसमें खर्च किया गया उनका। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के अलावा और कोई कार्य शिक्षकों से नहीं लिया जावे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा मुख्य मन्त्री महोदय से कि उनका मुख्य काम शिक्षा देना रहना चाहिये। दूसरे काम बहुत गौण रहने चाहिये। जब छुट्टियां हों गर्मी की या अन्य, तभी उनसे दूसरे काम लिये जावें; अन्यथा कतई नहीं।

दूसरा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह है रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, उदयपुर में कायम करने के लिये। जब क्षेत्रीय कॉलेज है तो क्षेत्रीय भावना रखना भी पाप नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : गिल्टी कौंश्यस क्यों रखते हैं? इत्मिनान से कहिये न।

श्री सोहनलाल भटनागर : कुछ महीने पूर्व मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा था कि यहां रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज खोला जावेगा। पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ। यहां सदन में मैंने प्रश्न किया। पर निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे इस बजट स्पीच के वक्त माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह मालूम हुआ कि रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इससे पहले राजस्थान सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या नहीं; इसका पता नहीं लगा। तब भी मैं यही सोचता रहा कि न मालूम यह कहां खुलेगा, क्या क्राइटेरिया इसके लिये फिक्स होगा? पर जब हमने बजट में देखा तो स्पष्ट हो गया कि यह जयपुर में खुलेगा। जयपुर में खुले, इसके लिये मुझे एतराज नहीं हो सकता। पर इसके साथ ही दूसरे जितने क्लेमेंट हैं उनका भी क्राइटेरिया

(श्री सोहनलाल भटनागर)

फिक्स करना पड़ेगा। खर्चा सारा भारत सरकार देगी। पर इसके साथ ही कहा गया कि पचास प्रतिशत छात्र यहां के होंगे और बाकी दूसरे प्रदेश के होंगे। वे दूसरे प्रदेश कौन से हैं? अगर वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात हैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उदयपुर ही उसके लिये केन्द्रीय स्थान हो सकता है। यही स्थान सभी पार्टीसिपेटिंग स्टेटों के जयपुर से कहीं अधिक नजदीक है। इसके अलावा अगर ये स्टेटें पंजाब या दिल्ली हैं तो मुख्य मन्त्री बतावेंगे और अगर ये ही स्टेटें हैं तो क्षेत्रीय कॉलेज के लिये स्टेटों के ग्रुपिंग में तब्दिली कराएं और इसका प्रयत्न करें। यहां जयपुर डिविज़न में कॉलेज ऑलरेडी खुला हुआ है पिलानी में। जो जयपुर से ८० मील दूर है; जब कि उदयपुर में २०० मील दूर तक आसपास में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। वैसे भी वह काफी पिछड़ा क्षेत्र है। अगर क्षेत्रीय भावना भी यहां सम्बन्ध नहीं रखती तो भी जस्टिस को देखते हुए यह उदयपुर में खोला जावे, यह मेरा आग्रह है।

तीसरा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय, वह हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने के बारे में है। इस बजट से मालूम हुआ कि नये पचास हायर सेकेन्डरी खोले जावेंगे और पुरानों में से ८ परिवर्तित किये जावेंगे। इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की, केन्द्र के भी ऐसे निर्देश हैं कि पुरानों को अधिक से अधिक परिवर्तित किया जावे; क्योंकि इन्टर की शिक्षा समाप्त हो रही है और आगे की शिक्षा पद्धति में हाई स्कूल का स्थान नहीं रहेगा। तो अभी २१८ पुराने स्कूल्स हैं जिनको बदलना है। पर अगर यही स्पीड बदलने की रही तो पांच वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। अगर थोड़ी स्पीड आगे और बढ़ी भी तो पचास-साठ पांच वर्षों में तब्दील कर सकेंगे। इसलिये इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैंने सरकार का ध्यान अधिक से अधिक स्कूलों को परिवर्तित किये जाने की ओर आकृष्ट किया है। फिर नये खोलने के लिये भी मैंने निवेदन किया है कि बहुत कम तहसीलें ऐसी रही हैं जहां नये हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता रही है। जिनमें नहीं हैं उनमें खोलने का तो औचित्य है वर्ना एक ही तहसील में दो-दो–तीन तीन खोलते जाना इसमें कोई औचित्य नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मेरा भी ध्यान रखें पुरानों में।

श्री सोहनलाल भटनागर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब दो, ढाई वर्ष पूर्व सलूम्बर हाई स्कूल में सरकार ने कृपापूर्वक विज्ञान की शिक्षा के लिए साइन्स कक्षाओं की स्वीकृति दी। वह चल रहा है लेकिन अभी तक कोई ब्लॉक नहीं बना है इसलिए जो दूसरे कमरे हैं उन्हीं में यह कार्य हो रहा है। तो मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के ख्याल से कटमोशन रखा है कि वह ब्लॉक बहुत जल्दी से जल्दी बनाया जाये।

दूसरे कटमोशन में मैंने सरकार से निवेदन करने की कोशिश की है; जैसे कि मेवाड़ के वक्त और राजस्थान के वक्त भी था कि उस समय मिडल बोर्ड होता था जो कि उस समय की रियासतों के मिडल स्कूलों के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

एग्ज़ामिनेशन होल्ड करता था। अब क्या है कि मिडल तक की स्कूलों को डीसेन्ट्रे-लाइज़ कर लिया है और जो लोकल संस्थायें हैं एवं वहीं के टीचर्स उनको होल्ड करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह महसूस किया है कि मिडल स्कूल तक तो कोई रुकावट नहीं होती है क्योंकि अध्यापक लोग देखते हैं कि उनकी स्कूल के अन्दर अगर ज्यादा लड़के फैल होंगे तो उनकी संस्था को काफी धक्का लगेगा, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा मिडिल तक के लड़कों को पास कर देते हैं और यही कारण है कि हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी में बहुत लड़के फैल होते हैं और उनमें पर्सेन्टेज फैल होने वालों की ज्यादा होती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एक मिडल बोर्ड कायम किया जाये। राजस्थान हमारा बहुत बड़ा इलाका है। इसलिए इसके लिए एक बोर्ड नहीं हो सकता। हर जिले के लिए एक मिडिल बोर्ड हो जाये जहां कि लोकल टीचर्स न होकर अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स को पेपर्स दिये जायें तो इसमें काफी निष्पक्षता होगी और शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी।

मेरा आखिरी कटमोशन है मिडल स्कूलों को जिला परिषद् और प्राइमरी स्कूलों को, जो कि म्युनिसिपल एरिया में हैं, म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रान्सफर करने के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां विकेन्द्रीकरण हो गया है और पंचायत समितियों को प्राइमरी शिक्षा के अधिकार सौंप दिये गये हैं। लेकिन नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूलें थीं उनका ट्रान्सफर म्युनिसिपैलिटियों को नहीं हुआ है जब कि बजट में भी बताया गया और स्पीचेज में भी कि अर्बन कॉयुनिटी डेवलपमेंट खोला जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब इन्हें जल्दी से जल्दी ट्रान्सफर कर देंगे। जिला परिषदों को मिडल स्कूलें ट्रान्सफर कर दी जायें और प्राइमरी स्कूलें म्युनिसिपैलिटीज़ को।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा के सम्बन्ध में रतनगढ़ तहसील में हायर सेकन्डरी स्कूलों की कमी के बारे में एक कटौती का प्रस्ताव रखा है। वैसे तो मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी बहुत उदार हैं और किशनाराम बहुत ही इन्डिपेन्डेन्ट एम. एल. ए. है। यह उनको याद है और मैंने कई बार उनके दर्शन भी किये हैं और इस बार भी मुझे आशा है कि हायर सेकडरी स्कूल खोल ही देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आज उदारता के लिए बड़ी अपील की जा रही है।

श्री किशनाराम : ऐसा होता है कि कभी उदार हृदय भी होना चाहिए और कभी थोड़ा थोड़ा वैसा भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का हृदय उदार ही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहां हायर सेकन्डरी स्कूल खुल जायेगा, हमें विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं अपने विचार रख देता हूं। रतनगढ़ तहसील में सरकार की तरफ से चाहे कस्बा हो, चाहे देहात हो, वह एडेड स्कूल है; देहात में सिर्फ हमारे यहां पर दो मिडिल स्कूल्स हैं। तो मैं शिक्षा मंत्रीजी का इस बात

Page No.64

(श्री किशनाराम)

पर आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब शिक्षा मंत्रीजी का आखिरी पांचवा साल है इसलिए कुछ हमारी तरफ भी ध्यान देंगे । इसमें शक नहीं है कि वह जरूर देंगे । मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । आपको सब मालूम है। हमारे यहां जरूर हायर सेकन्डरी स्कूल खोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल शर्मा ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती का प्रस्ताव नाथद्वारा में कॉलेज खोलने के बारे में विचार करने के हेतु रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके....

श्री उपाध्यक्ष : राजसमन्द को भी साथ ले लेते ।

श्री किशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बनने के बाद राजस्थान में जो शिक्षा की प्रगति हुई उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में १८ तहसीलें और १९ पंचायत समितियां हैं। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि उदयपुर जिले में कई जगह ऐसी हैं कि उदयपुर जहां से २०० मील पड़ता है। उदयपुर कॉलेज में आने के लिए विद्यार्थियों को इतनी दूर से आना पड़ता है। उदयपुर जिला शिक्षा के मामले में वैसे ही पिछड़ा हुआ था और आर्थिक दृष्टि से भी यह पिछड़ा हुआ इलाका है। आज एक तरफ तो हमारे जिले की सीमा ब्यावर से मिलती है तो दूसरी तरफ बम्बई प्रान्त से। एक ही पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उदयपुर में है जब कि इस शिक्षा प्रसार के निमित्त और शिक्षा प्रसार की दृष्टि से उदयपुर जिले में हर तहसील में मिडल स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलें और हाईस्कूल कायम हुई। आज स्कूलों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए समस्या हो जाती है कॉलेज में एडमिशन लेने की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा में जो कि उदयपुर जिले का उदयपुर के बाद दूसरे नम्बर का आबादी वाला कस्बा है, एक कॉलेज स्थापित किया जाये। आज के दिन शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार की शिक्षा प्रसार नीति द्वारा जो आन्दोलन शुरु किया गया जिसके फलस्वरुप गरीब से गरीब गांव वालों ने मिडल स्कूल और हाई-स्कूल के भवनों का निर्माण किया। मुझे याद है कि हमारे उदयपुर जिले में बसोड़ ग्राम ने ४०००) रुपये देकर हाईस्कूल की स्थापना करवाई। आपके प्रयत्नों से इतनी रुचि पैदा हुई है तो दूसरी तरफ हाईस्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए समस्या है आगे कॉलेजों में एडमिशन लेने की। उसकी ओर भी राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज २०० मील से चल कर कोई विद्यार्थी उदयपुर जाकर एडमीशन ले तो आज की स्थिति में यह असम्भव मालूम होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग द्वारा जब कि और दूसरे जिले आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो उदयपुर जिला क्यों उपेक्षा की दृष्टि से देखा

Page No.65

(श्री किशनलाल शर्मा)

जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री इस बात को दोहरायेंगे कि उदयपुर में एक ही कॉलेज है। मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर कॉलेज जरूर उदयपुर में है लेकिन अभी वहां के मिडल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलों में एग्रीकल्चर विषय नहीं है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उदयपुर को मिलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ सारे राजस्थान को भी मिलता है। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा में एक कॉलेज खोल कर वहां की जनता को अनुगृहीत करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

(२. म० प०)

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी कृपा है कि इनके जमाने में राजस्थान में शिक्षा में बहुत अधिक उन्नति हुई है। प्राइमरी सिंगल टीचर स्कूलों की तो बाढ़ सी आ रही है। बहुत से बेसिक स्कूल बने हैं और अनेक हाई स्कूल हायर सेकन्डरी में परिवर्तित हुए हैं। लेकिन इतने बड़े काम में कोई न कोई बात रह ही जाती है उसकी तरफ मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा जिले में छबड़ा सब डिविज़न का हैडक्वार्टर है। वहां म्युनिसिपल बोर्ड मौजूद है लेकिन फिर भी न जाने क्यों शिक्षा विभाग का ध्यान वहां की कन्या पाठशाला की ओर नहीं गया ? वहां पर अभी तक प्राइमरी स्कूल ही चल रहा है। इस प्रकार से वहां कन्याओं की शिक्षा में उन्नति नहीं हो पा रही है। मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर जो कि राजस्थान के बिल्कुल बोर्डर पर है वहां पर लड़कियों के लिये माध्यमिक शाला बनाने की कृपा करेंगे।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव बारां मल्टी पर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, बारां कोटा जिले का दूसरे नम्बर का शहर है। कोटा जिले के बीचोंबीच में स्थित है। २८, ३० हजार की उसकी आबादी है। मेडिकल विभाग की ओर से एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा वहां पर बन रहा है, एक्लास की मन्डी बनने जा रहा है। सभी तरह की फैसिलिटीज़ वहां पर मौजूद हैं। छबड़े में हाई स्कूल है। छीपा बड़ोद में हायर सेकन्डरी स्कूल है। अटरू में हायर सेकन्डरी स्कूल है, अन्ता में हायर सेकण्डरी स्कूल है, मांगरोल में हाई स्कूल है। शाहबाद में हायर सेकन्डरी स्कूल खोल चुके हैं। इस प्रकार से वह चारों तरफ हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलों से घिरा हुआ है। कोटा से ४५ मील दूर है। वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, सन् १६२४ से हाई स्कूल बना हुआ है और इस समय भी इसमें ८०० लड़के पढ़ते हैं जिसमें करीब २०० लड़के ११ वीं क्लॉस में हैं। आस पास के हायर सेकन्डरी स्कूलों और हाई स्कूलों में करीब करीब २५०–३०० लड़के दसवीं और ग्यारहवीं क्लॉसों में हैं। इस प्रकार से वह हाई स्कूल कॉलेज बनने की महत्ता से पूर्णत: एलिजिबल है, इसलिये इसको अगर डिग्री कॉलेज बना दिया जाय तो करीब १००० लड़के जो कि हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल पास करके बाहर निकलते हैं। और उनको डिग्री

(श्री धन्नालाल हरित)

कॉलेज में भर्ती होने में जो परेशानी होती है उससे बच जायं, तो एक बहुत बड़ा काम शिक्षा विभाग इस ओर करेगा।

इसके साथ साथ, इस वक्त मांगरोल में एक हाई स्कूल चल रहा है उसको हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाय तो सारे इलाके में हायर सेकन्डरी स्कूल्स बन जायेंगे, और बारां में डिग्री कॉलेज बन जाय तो इस प्रकार से बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए वहां का इलाका हमेशा हमेशा के लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी को याद रखेगा कि उनके मंत्रित्व–काल में वहां पर डिग्री कॉलेज बन गया और चारों तरफ हायर सेकन्डरी स्कूल्स बन गये। इससे वह कोटा जिले में शिक्षा की बहुत बड़ी उन्नति का साधन बन जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज।

श्री धन्नालाल हरित : चौथा प्रस्ताव मेरा एक ओर है, उपाध्यक्ष महोदय। जो शिक्षा विभाग में समय समय पर इग्नोरेन्स होती रही है, सभापति महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं सभापति नहीं हूँ, डिप्टी स्पीकर हूँ।

श्री धन्नालाल हरित : Sorry, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया है। कई एक टीचर्स को बेसिक ट्रेनिंग भी दिलाई। लेकिन आज हमारी तरफ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जहां पर बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स तो दूसरे स्कूलों में लगे हुए हैं और बेसिक स्कूलों में अनट्रेन्ड टीचर्स लगे हुए हैं। उनके हैडमास्टर्स भी अन्ट्रेन्ड हैं और दूसरा सारा स्टाफ अन्ट्रेन्ड है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि क्यों टीचर्स को बेसिक ट्रेन्ड किया जाता है और क्यों बेसिक स्कूल्स खोले जाते हैं, जब कि टीचर्स बेसिक स्कूलों में प्रोवाइड नहीं किये जा सकते? इसलिए जब तक बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हो जायं पूरी तरह से तब तक बेसिक स्कूल खोलने का कोई उपयोग नहीं है।

कुछ महिलाओं में ऐसी बहुत बड़ी कमजोरी होती है वे अपना घर नहीं छोड़ना चाहती हैं और इनके घर छोड़ने में कुछ कठिनाई भी होती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि कभी कभी आदमी अपने अगर गांव में या अपने घर में ही सर्विस पर भी रहता है तो वहां पर पब्लिक के टच में रहता है और छोटी छोटी बातों का, चाहे विरोध में हो या पक्ष में हो, उस पर असर पड़ता रहता है और उसका असर भी चूंकि एक मनुष्य हृदय से महिला हृदय कुछ इस प्रकार का होता है कि या तो नाराज हो जाय तो एक दम नाराज हो जाय और खुश हो तो एक दम खुश हो जाय; इस प्रकार उन बातों का सीधा असर वहां की बालिकाओं पर पड़ता रहता है। मैं इस बात की विशेष चर्चा तो नहीं करता, लेकिन एक उदाहरण बारां का है जहां कि शिक्षा मन्त्री महोदय की कृपा से हायर सेकन्डरी स्कूल बन गया है, वहां कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि कई मिस्ट्रेसेज़ ने एक प्रकार से वहां घर बना लिया है। जब से वे सर्विस पर चली हैं वहीं पर ही चल रही हैं। वहां की कई लड़कियों पर उनका असर पड़ता है। यह

Page No.67

(श्री धन्नालाल हरित)

वहां की जनता में आम चर्चा है। इस प्रकार शिक्षा विभाग मेरी इस बात पर ध्यान देगा, और इन सब में जो कुछ कमियां हैं उनकी पूर्ति करेंगे। अ ग मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बारां एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है कि जहां डिग्री कॉलेज खोला जाय जो....

श्री उपाध्यक्ष : वह डिस्कस कर लिया।

श्री धन्नालाल हरित : सारे इलाके के लोगों को लाभान्वित करेगा। उनके सम्बन्ध में जब जब भी आप वहां पधारे हैं जनता ने यह मांग प्रस्तुत की है। आज मैं भी आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे ४ कटौती प्रस्ताव है। पहला कटौती प्रस्ताव झालावाड़ जिले की प्राथमिक, माध्यमिक कन्या पाठशालाओं की अव्यवस्था पर बहस करने के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर करीब करीब प्रत्येक तहसील के सदर मुकाम पर मिडल गर्ल्स स्कूल्स हैं और उनमें छात्राएं शिक्षा पाती हैं। इनमें केवल विभाग की ओर से ४४ अध्यापिकाएं स्वीकृत हैं। १२–१३ स्कूलों में ४४ अध्यापिकाएं इतनी कम हैं कि किसी स्कूल में २, किसी में ४, किसी में ३, और किसी में ५, इस तरह की गर्ल्स स्कूलों की हालत हो रही है। विभाग के पास इस विषय में समय समय पर प्रार्थना की जाती हैं तो उत्तर मिलता है कि शिक्षा विभाग की ओर से केवल ४४ अध्यापिकाएं ही स्वीकृत हैं, इसलिए हम अधिक अध्यापिकाएं आपके यहां बढ़ाने में असमर्थ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या १२–१३ मिडल स्कूलों के अन्दर ४४ अध्यापिकाएं ही पूरा काम कर सकती हैं और छात्राओं को पूरी शिक्षा दे सकती हैं ? फिर हालत यह है कि एक एक मिडल स्कूल के अन्दर, मैं, श्रीमान के सामने निवेदन करूंगा कि बकानी, मनोहर थाना, अकलेरा, खानपुर आदि आदि स्कूल्स हैं उनमें केवल २–३ अध्यापिकाएं इस वक्त मौजूद हैं और २–२, ३–३ अध्यापिकाएं मिडिल स्कूल चला रही हैं। उन दोनों में भी एक मैट्रिक पास है और एक मिडल पास है। मैं निवेदन करूंगा कि एक मिडल पास और एक मैट्रिक पास अध्यापिका ही एक कन्या पाठशाला को जो कि मिडल स्कूल के स्तर पर है चला सकती है ? इस विषय में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ऑफ कोटा डिविजन को बार बार निवेदन किया जा रहा है तो उत्तर दिया जाता है कि हमारे पास अधिक अध्यापिका को गुन्जायश नहीं है, डाइरेक्टर साहब से निवेदन करिये। डाइरेक्टर साहब से निवेदन करते हैं तो वे नीचे भेज देते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो हालत चल रही है झालावाड़ जिले में वह २–३ साल से चल रही है। जब वह दो-दो, तीन–तीन साल से चल रही है तो उसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि यह हालत इस स्तर पर क्यों पहुंची ? इसके ३–४ कारण हैं। पति अध्यापक और पत्नि

Page No.68

(श्री सम्पतराज जैन)

अध्यापिका एक जगह नहीं रखे जाते हैं। शिक्षा विभाग पति का ट्रान्सफर कहीं कर देता है और पत्नि का कहीं कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि पत्नि को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अध्यापिकाओं की कमी पड़ती है। विभाग को कहते हैं तो वे कहते हैं कि अध्यापिकाएं मिलती नहीं हैं, अगर अध्यापिकाओं में कोई उम्मीदवार हो तो हम तुरन्त ही उनको नौकरी दे सकते हैं और नौकरी देकर उसमें रख सकते हैं। यह कमी बताई जाती है। लेकिन इस तरह से पहले से अध्यापिका जो हैं उनको क्यों अलग किया जाता है, पति और पत्नी को क्यों अलग किया जाता है ?

दूसरी तरफ जहां स्त्री शिक्षा का सवाल आता है तो माननीय मुख्य मंत्री स्वीकार करते हैं कि वहां पर स्त्री शिक्षा की ओर जितनी प्रगति करनी चाहिए थी वह नहीं कर पाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब उनका ध्यान इस ओर है तो इस कमी को दूर करना चाहिए। अध्यापिकाओं की जो कमी है और जो स्तर मिडिल स्कूल के अन्दर है उसको दुरुस्त करना चाहिए। मिडल स्कूल में ग्रेजुएट अध्यापिकाएं जरूर होनी चाहिए, ग्रेजुएट नहीं हों तो इन्टर पास तो जरूर होनी ही चाहिए। वहां से जो लड़कियां निकलती हैं वे या तो घर पर बैठ जाती है या फिर वे उन स्कूलों में दाखिल होती हैं जहां कि एक–दो क्लास पढ़ कर वापिस घर में बैठ जाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले में प्राथमिक और माध्यमिक कन्या पाठशालाओं में जो अव्यवस्था है उसको तुरन्त दुरुस्त करने की कृपा फरमावें।

दूसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह झालावाड़ जिले में हायर सेकन्डरी स्कूल की स्थापना पर बहस करने के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ जिले में एक हाई स्कूल खोला गया खानपुर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कमी को पूरा किया गया और चार जगह हायर सेकन्डरी स्कूल खोले गये, बकानी, पिड़ावा गंगधार और चौथा मनोहर थाना में। इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ जिले के साथ पूरी तरह से न्याय हुआ है। पर पहली पंचवर्षीय योजना में भी न्याय नहीं पाया था। इस प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ के साथ न्याय होना चाहिये। अब सवाल एक ऐसा उठाया गया है कि जहां की आबादी सात आठ हजार की है वहां हायर सेकन्डरी स्कूलें नहीं खोली गई हैं। डीग ऐसा स्थान है। इसके अलावा सरोली, असनावर, आसरलाई ऐसे स्थान हैं जिनकी आबादी ३ हजार के आसपास है और दस दस माइल की दूरी पर कोई दूसरी हायर सेकन्डरी नहीं है। वहां पर जो पुरानी मिडल स्कूलें हैं उनको हायर सेकन्डरी बनाना चाहिये।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव ८६ नम्बर पर है। वह प्राथमिक स्कूलें खोली जाने के लिये है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हमने की है और सन् ६१-६२ में हम काफी खर्चा इस पर करने जा रहे हैं। इसलिये हमारी सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है कि इसने शिक्षा को इस स्तर पर पहुंचाया है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां की प्राथमिक

(श्री सम्पतराज जैन)

स्कूलों की हालत क्या है ? बिल्डिंग बनाने के लिये गांवों के लोग बॉन्ड्स भरते हैं, छात्रों की तादाद के लिये बॉन्ड भरते हैं, लेकिन हालत क्या होती है कि किसी स्कूल में १० लड़के रह जाते हैं तो किसी में ५ और किसी में ३ ही रह जाते हैं। अब प्राथमिक स्कूलों को राजस्थान सरकार ने पंचायत समितियों को सौंप दिया है। उनकी व्यवस्था का जिम्मा पंचायत समितियों का है। फिर भी राजस्थान सरकार को निश्चय करना चाहिये कि जहां इस तरह से तादाद गिर जाये वहां पंचायतों को चाहिये कि या तो इन स्कूलों को पास के किसी दूसरे गांव में ले जावें या बॉन्ड भरने वालों को मजबूर किया जाना चाहिये कि वे बालकों की तादाद घटने नहीं दें।

मेरा चौथा कटौती प्रस्ताव नम्बर ८७ है जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के बारे में है। पहले प्राथमिक विद्यालयों का परीक्षण शिक्षा विभाग लेता था और माध्यमिक विद्यालयों का परीक्षण इलाहाबाद बोर्ड द्वारा लिया जाता था। अब स्टेट्स मर्ज हो गई और राजस्थान बना और यहां की शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि प्राथमिक परीक्षा स्कूल में ही ले ली जाती है और माध्यमिक की भी वहां स्कूल में ले ली जाती है और नतीजा यह होता है कि जब हायर सेकन्डरी स्कूलों में लड़कों का दाखिला होता है छठी में या नवाभी में तो बड़ी कठिनाई होती है और वे लड़के इतने कमजोर होते हैं कि वहां के अध्यापकों को काफी परेशानी होती है और आखिर में नतीजा यह होता है कि वे फैल होते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माध्यमिक और प्राथमिक परीक्षाएं स्कूलों में ही नहीं होनी चाहिये। प्राथमिक परीक्षा जिला बोर्ड द्वारा ली जानी चाहिये और माध्यमिक या जो मिडल स्कूल्स हैं उनकी फाइनल परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सेकन्डरी द्वारा होनी चाहिये। इससे न तो छात्रों को कठिनाई होगी और न अध्यापकों को।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम मुलाणिया (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के दो प्रस्ताव हैं। उनके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करके यह निवेदन करना चाहता हूँ कि परिगणित जाति के छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाने के लिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखे हैं। इसके द्वारा मैं बतलाना चाहता हूँ कि राजस्थान में परिगणित जाति के छात्रों के लिये अलग व्यवस्था है और उसके द्वारा वे लोग विद्या अध्ययन करते हैं। हालांकि उनको जो सुविधाएं हैं वे इस प्रकार की हैं कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिये वे नहीं मिल पाती हैं और राज्य सरकार का ध्यान उधर नहीं जाता है तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये, अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करनी चाहिये और अच्छे टाइम टेबल की व्यवस्था करनी चाहिये, तभी वे अच्छी तरह से विद्या अध्ययन कर सकते हैं।

ऐसे छात्रालय हैं जहां परिगणित जाति के छात्र विद्या अध्ययन करते हैं, लेकिन पिछले सेशन में प्रश्न आया था कि उनको भोजन क्या दिया जाता था, तो हरिजन मिनिस्टर

(श्री लादूराम सुलाणिया)

साहब की तरफ से उत्तर मिला था कि ३ दिन जौ की रोटी दी जाती हैं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कहां दिया जाता है ?

श्री लादूराम सुलाणिया : परिगणित जाति के छात्रावास हैं उनमें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो सोशियल वेलफेयर विभाग का काम है, एजुकेशन का नहीं है।

डा. बहादुरसिंह (धौलपुर) : इनको इस बारे में मालूम नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मुझे मालूम है लेकिन आपको मालूम नहीं है, आप वहां पर नहीं जाते हैं। ये रोटियां मिनिस्टर के बंगले पर ले जाकर दिखाई गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न शिक्षा विभाग से संबन्धित नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप प्रश्न उठा रहे हैं। चर्चा करें, मुझे ऐतराज नहीं पर तात्पर्य कहने का यह है कि अनुसूचित जाति के छात्रावास के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन यह आज की डिमान्ड से सम्बन्धित नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं कहना चाहता हूँ कि जहां लड़कों को शिक्षा मिलनी चाहिये और जिस चीज़ से पूर्ति होती है उसकी पूर्ति न हो तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, मस्तिष्क बलवान नहीं बन सकता। इसलिये जरूरी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

डा. बहादुरसिंह : शिक्षा विभाग से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष : चलने दीजिये, १० मिनट समाप्त करने हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : उनको इसमें विशेष सुविधाएं होनी चाहियें।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव था जो अध्यापकों द्वारा अनियमितताएं बरती जाती हैं उस ओर ध्यान खींचने के लिये। जो छात्र स्कूलों में विद्याध्ययन करते हैं उनको छात्रवृत्तियां वगैरह मिलती हैं, निश्चित टाइम पर अध्यापकों द्वारा छात्रों को फॉर्म भर कर भेज देने चाहिये और उनको फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आप सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं।

श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : आप शिक्षा के "सतर" पर बोल रहे हैं या 'स्तर' पर ?

श्री लादूराम सुलाणिया : जो अनियमितताएं बरती जाती हैं और जो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार है, आज तक उसके निवारण के लिए सरकार ने विशेष कदम नहीं उठाये हैं। अतः इसके निवारण के लिये विशेष

(श्री लादूराम सुलाखिया)

कदम उठाये जावेंगे इस आशा से इस मांग को पास किया जायगा, ऐसी मेरी मंशा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब चौतरफ से आवाज़ बुलन्द है कि शिक्षा की तरक्की हो रही है तो इसमें कहीं ऐसा न हो कि सब भाइयों के साथ परिगणित जाति के भाई न हों। मैं चाहता हूँ कि वे भी इसमें साथ रहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : श्रीमान्, मेरे कटौती प्रस्ताव में विशेष रूप से दो–तीन बातें हैं जिन्हें मैं संक्षेप में अर्ज कर देना चाहता हूँ।

एक तो आम बात इस सम्बन्ध में की जाती है और अनुभव भी होता है कि हमारी शिक्षा का जितना प्रसार हुआ है उसी अनुपात में शिक्षा का स्तर नीचा गिर गया है। मैं अपने निजी तौर पर और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें कि आज से २० वर्ष पहले जितनी योग्यता की एक मैट्रिक पास व्यक्ति से उम्मीद करते हैं आज उसी स्तर की योग्यता की बी. ए. पास व्यक्ति से आशा नहीं कर पाते। न केवल उसकी मालूमात और जानकारी बल्कि उसकी कार्य-दक्षता, अपने विषय के अन्दर लिखने पढ़ने की साधारण दक्षता में उच्च स्तर नहीं दिखता। यह आखिर क्यों हुआ ? मैं इसका विशद विश्लेषण नहीं करना चाहता। एक मोटा कारण, जो मैं समझता हूँ वह जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Whip to look-after the lobby please.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आज-कल जो शिक्षा की परीक्षा प्रणाली है और केवल परीक्षा के आधार पर ऐसा मान लेते हैं कि अमुक विद्यार्थी ने फलानी परीक्षा पास कर ली तो इसमें फलानी योग्यता आ गई। यह परीक्षा प्रणाली के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन करते हैं, मैं समझता हूँ, यह गलत तरीका है। आज सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारे यहां, तो उनमें से ६० विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं जिनका पढ़ने-लिखने में ध्यान नहीं होता, वे परीक्षा पास करने की दृष्टि से ही पढ़ते हैं, चार-पांच साल के पर्चे देख कर अन्दाज लगा लेते हैं, यह सवाल आ चुके हैं, यह पूछा जायगा, यह नहीं पूछा जायगा। उनको एक महीने में रटाई लगा कर येन-केन-प्रकारेण परीक्षा पास कर लेते हैं। आज जिन्होंने बी. ए., एम. ए. पास कर लिया है, उनकी योग्यता उतनी नहीं होती जितनी एम. ए., बी. ए. पास व्यक्ति की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, कोई न कोई तरीका हमें ईजाद करना है, अगर हम यह चाहते हैं कि जो हमारे यहां शिक्षा का स्तर हो, हम जो डिप्लोमा या सर्टीफिकेट देते हैं, उनके अनुसार सही मायने में योग्यता देने वाला हो तो शिक्षा के आधार पर हमें योग्यता नापने का तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे कई तरीके हैं, मैंने सुना है कि पाश्चात्य देशों में परीक्षा का तरीका नहीं है, वहां पर शिक्षा के आधार पर सर्टीफिकेट दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है। जैसे आपने किसी रिकग्नाइज़ स्कूल में दो साल तक शिक्षा प्राप्त की, वहां जो सप्ताह में आपने अध्ययन किया, उसका रेकॉर्ड

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

रहता है। किस स्तर की योग्यता का परिचय दिया मन्थली टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, हाफ इयरली टैस्ट में, इयरली टेस्ट में, उसके आधार पर उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। केवल दो साल के समाप्त होने पर परीक्षा के आधार पर सर्टीफिकेट नहीं दिया जाता है, उसको बेसिस नहीं बनाया जाता। मैं समझता हूँ कि शिक्षा–प्रसार के साथ साथ योग्यता का स्तर कम होता जा रहा है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और जो परीक्षा के आधार पर पास कर लेते हैं, इस दृष्टि से डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं कई बुद्धू लोग, वे प्राप्त न कर सकें।

दूसरी बात मैं कहूँगा, आज-कल बच्चों की शिक्षा का भारी प्रसार करने जा रहे हैं। कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन का विधेयक हमारे सामने आने वाला है। तो बहुत विशद् पैमाने पर यह नया काम करेंगे। लेकिन वर्तमान शिक्षा के आधार पर जो नये नये मैट्रिक आते हैं, इन लोगों को बच्चों को शिक्षा देने का काम सुपुर्द कर देते हैं। मैं समझता हूँ इस विषय में बहुत गहराई से सोचना है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चों को शिक्षा में केवल बारहखड़ी सिखा देना, लिपि ज्ञान करा देना तथा अंकगणित पढ़ा देना तथा थोड़ी बहुत इस विषय की इन्फोर्मेशन दे देना ही काफी नहीं होता। बच्चों की शिक्षा में चारित्रिय एक प्रधान अंग है। इसलिए शिक्षक की बौद्धिक योग्यता अधिक नहीं होती तो शिक्षक अपने व्यक्तित्व, पर्सोनेलिटी से विद्यार्थी के मानस में नहीं घुलता है। आज कम से कम जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, उसमें शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, बुद्धि का प्रभाव इस पर नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैट्रिक पास लड़के लड़कियों के सुपुर्द कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वह अनुपयुक्त तरीका है। जिन लड़के-लड़कियों ने गृहस्थ की चहार-दीवारी नहीं देखी, वे बच्चे जैसे नाजुक चीज़ को क्या समझ सकते हैं। और बच्चे को जब तक अन्दर से समझ नहीं पाते, जैसे कुशल कारीगर कलम और कूंची को समझता है, तब जाकर कला की रचना करता है, उसी तरह बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। जब तक बच्चों को समझें नहीं, बच्चों का अन्दर बाहर का अनुभव नहीं हो, तब तक वे ज्यादा-तर लोग, जिन्होंने शादी विवाह का मुंह नहीं देखा, मैट्रिक पास करके आये हैं, उस स्तर से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। वे मेरे ख्याल से आठवीं–दसवीं क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल सूचना मात्र देनी हैं। लेकिन जहां बच्चों को पढ़ाकर ज्ञान देना है, उनको वे लोग नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उनको सीनियर टीचर्स के द्वारा पढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे अनुभवी लोग, जो शासन में होते हैं, इन्जीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रशासन के दूसरे अधिकारी, जो कुछ जीवन का अनुभव अपने में रखते हैं, जब वे रिटायर हो जाते हैं तो सरकार उनको एक्सटेन्शन देती है, सरकार अपनी इस नीति को बदल कर बच्चों को पढ़ाने में उनका उपयोग करे। वे अपने जीवन के अनुभव, प्रशासन के अनुभव और उनकी जो पर्सोनेलिटी होती है, उस सबको लेकर बच्चोंको शिक्षा दें तो सुन्दर रूप से शिक्षा दे सकते

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

हैं। यह पुराने गुरुकुल का आदर्श है । आज के मैट्रिक पास लड़के-लड़कियों की बच्चों को शिक्षा देने की हैसियत किस प्रकार मानी जा सकती है, यह समझ में नहीं आता । इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मेच्योर्ड टीचर्स को रखना पड़ेगा । यह जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट सर्विस में एक टीचर को १८ साल की उम्र में भर्ती किया जाय और ५५ साल की उम्र में रिटायर किया जाय । आप शिक्षा के लिए दूसरे नियम बना सकते हैं । बच्चों की शिक्षा के लिए मेच्योर्ड तरीके के शिक्षक रख सकें, इस विषय में सोचना चाहिए ।

एक बात की ओर खास तौर पर ध्यान दिला दूं । यह शिक्षा विभाग की टिप्पणी है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । मेरे नोटिस में आया है कि लाइब्रेरीज़ के लिए, पुस्तकालय के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं, उन पुस्तकों को खरीदने का तरीका गलत है । तरीका यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से एक लिस्ट निकलती है–लिस्ट मोटी है, एप्रूव्ड लिस्ट । यह लिस्ट किस आधार पर बनती है ? पहले पब्लिशर्स को नोटिस देते हैं, उनसे लिस्ट मांगते हैं । उनके पास से जो लिस्ट आती है, उसमें दी गई किताबों का कमीशन तय करते हैं । उसके बाद वे किताबें एप्रूव्ड लिस्ट में लिखी जाती हैं । मेरा अनुभव है कि वह लिस्ट निकम्मी है, उसमें बेस्ट और वर्डली लिट्रेचर की बेस्ट अवेलेबल बुक्स हैं वे नहीं दी जाती हैं, बल्कि सस्ते और छोटे छोटे गटर पब्लिशर्स की उनमें किताबें मौजूद हैं । इस तरीके से जो लिस्ट बनाई जाती हैं, यह बेस्ट तरीका नहीं हो सकता । मैं समझता हूँ, जो पुस्तकालयों के इनचार्ज हैं, वे पढे लिखे हुए होते हैं, वे अपनी अपनी संस्था के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए जिस प्रकार की किताबों को अच्छी समझते हैं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं । Teachers are the best judge, the Director is not the best judge for that.

डाइरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर का हाथ इसमें रहता है, वह नहीं रहना चाहिये; उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन करने का है । टीचिंग पर्पजेज़ के लिए जो उस इन्स्टीट्यूशन का हैड है वह किताबों को सिलेक्ट करें और बेस्ट अवेलेबल स्टफ किताबों का लाये, सस्ती से सस्ती कीमत पर लाये । जिस तरह आप फाइनेन्शियल रूल्स बना सकते हैं, उस तरह आप किताबों की खरीद के लिए रूल्स बना सकते हैं, टेन्डर इनवाइट करके लें, मंहगी किताबों के लिए एक लिमिट तय कर दें । किसी भी केटेलॉग में लिखी हुई किताबें हैं उनको ही खरीदें, यह गलत है । मैं निवेदन करूं कि किसी भी पुस्तक विक्रेता का केटेलॉग इतना एक्ज़ॉस्टिव नहीं हो सकता । तारापुर वाला जो बहुत बड़ा पुस्तक विक्रेता है वह भी अपना केटेलॉग इतना एक्ज़ॉस्टिव नहीं निकाल सकता । इसके साथ ही हर किताब हर पुस्तकालय के लिए उपयोगी हो, यह जरूरी नहीं है । किसी भी स्कूल में हर स्तर के विद्यार्थी होते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ, सोचने की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव रखता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, ११ नम्बर पर मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्तुत मांग पर, चार कटौती के प्रस्तावों हैं। मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं किसी आरजू को लेकर निवेदन नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं, जो नीति से सम्बन्ध रखती हैं, उनके ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके के सम्बन्ध में होने से मेरा अधिकार है और उसके सम्बन्ध में मांग रखी जा सकती है। उसमें किसी प्रकार की आरजू नहीं है।

पहली बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की नीति है वह नीति, मैं समझता हूँ, कोई निर्धारित नहीं है और अगर निर्धारित है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का अमल नहीं किया जाता। हमारे देखने में आता है कि एक पंचायत समिति के अन्दर दो-दो, तीन तीन, चार-चार हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खुल जाते हैं। कितनी ही पंचायत समितियां और विकास खंड हैं, जिनके अन्तर्गत अभी तक भी हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोला गया। मैं समझता हूँ, यह नीति का दोष है। मैं पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहता और न कोई दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कुछ मुद्दों के ऊपर, लिहाज़ के ऊपर झुक जाते हैं और उसके कारण जो न्याय जिसके साथ होना चाहिए वह नहीं होता। उस नाते मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में जो नये हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोलने हैं, ५० और नये हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी में बदलना चाहते हैं, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम राजस्थान के अन्दर २३२ पंचायत समितियां हैं, उनके नक्शे को अपनी आंखों के सामने रखें और कम से कम उन पंचायत समितियों को नजर अन्दाज न कर दें, जहां आज तक हायर सेकेन्ड्री स्कूल नहीं खोले गये हैं। एक भी जिसके अन्तर्गत नहीं। यदि आप समूचे राजस्थान को अपना समझते हो, समूचे राजस्थान के साथ न्याय करना चाहते हो, यदि आपका किसी के साथ लिहाज़—मुरव्वत, पक्षपात नहीं है तो मैं आपके सामने नीति की बात रखना चाहता हूँ, कोई मांग मैं नहीं कर रहा हूँ, जहां कहीं भी पंचायत समिति में हायर सेकण्डरी स्कूल्स नहीं खुले हों, पहले प्राथमिकता उनको देनी चाहिये। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कोटा जिले में एक पंचायत समिति है सुल्तानपुर पंचायत समिति। उसकी दोनों तहसीलों में एक भी हाई स्कूल नहीं है। एक और पंचायत समिति ऐसी है जिसमें एक भी हाई स्कूल नहीं है। तो यह नीति की बात है कि किसे पहले प्राथमिकता दी जाय, इस प्रकार का सिद्धान्त बनाना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि जहां भी हाई स्कूल्स या हायर सेकण्डरी स्कूल्स खोले जाते हैं तो जिला परिषदें सुझाव देती हैं, यद्यपि जिला परिषदें

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सुझाव देने वाली संस्थाएं मानी जाती हैं, पर उनके सुझावों पर अमल नहीं किया जाता। जो सुझाव उनके द्वारा दिये जाते हैं उनको हमारा सचिवालय बदल देता है। जब सभी प्रधानों ने बैठ कर फैसला किया है और बहुमत से राय दी है और प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा है तो यह उनके प्रस्तावों का निरादर है कि सचिवालय उनके प्रस्तावों को न मानकर अपनी इच्छानुसार करता है। जिला परिषदों के प्रस्तावों का इस प्रकार निरादर किया जाता है तो फिर पहले से ही प्रस्ताव उनसे पास ही नहीं कराने चाहिये थे। सचिवालय खुद ही तय कर दे। पर जब आप यह मानते हैं कि जिला परिषदों से राय लेकर जहां आवश्यकता है वहां हाई स्कूल्स और हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जिला परिषदों को इतना अधिकार-सम्पन्न बनायें कि उनकी राय को सचिवालय बदल नहीं सके। इस प्रकार जनतान्त्रिक तरीकों से निर्मित कोई संस्था निर्णय लेती है, सुझाव देती है, उनको नहीं मान कर, उसके सुझावों के विपरीत करना, यह उनकी मखौल होगी, जो उन संस्थाओं की महानता है उसको खत्म करना होगा। तो मैं मांग करूंगा कि जिला परिषदें जो निर्णय देती हैं, उन निर्णयों का आदर करना चाहिये।

तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि बजट भाषण में यह बात रखी थी कि एक क्षेत्रीय इन्जीनीयरिंग कॉलेज, एक सैनिक स्कूल, एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्व विद्यालय खोलने वाले हैं। मैंने बजट पर बहस के समय अपने भाषण में बताया था कि कोटा डिविज़न के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। चित्तौड़ में सैनिक स्कूल खोलने का कहा गया, विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज जयपुर में खोला जायगा। एक एक डिविज़न का नाम इस प्रकार पोइन्ट आउट हो जाता है पर कोटा डिविज़न का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हमारे यहां के कई हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट थे, उनको भी स्थानान्तरित करके उदयपुर ले जाया गया या जयपुर में लाया गया। यह पक्षपात-पूर्ण व्यवहार कोटा डिविजन के साथ हो रहा है। यदि आप समझते हैं कि समूचे राजस्थान को आप एक दृष्टि से देखते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि सैनिक स्कूल चित्तौड़ में खोलने का निर्णय ले लिया गया है और क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज जयपुर में खोलने का निश्चय कर लिया है तो विश्व विद्यालय और तीसरा मेडिकल कॉलेज कोटा में रखें। क्या कोटा का विकास चम्बल के विकास के साथ छोड़ देते हैं? यदि चम्बल ने वरदान बन कर कोटा के विकास का रास्ता खोल दिया है तो शिक्षा की दृष्टि से मुख्य मन्त्री की ओर से नहीं खोला है। कोटा पर उनकी कुदृष्टि ही रही है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। मैं अब भी मांग करूंगा कि कोटा का विकास सही तरीके से हो तो मेडिकल कॉलेज या विश्व विद्यालय को कोटा में खोलिये। केवल चम्बल के गुणगान हम कर सकते हैं, नहरों की बात हो सकती है, पर शिक्षा के नाम पर कोटा में अभी तक किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं की गई है। इस दिशा में मैं मांग करूंगा कि मेडिकल कॉलेज या विश्व विद्यालय कोटा में खोलें और जिस तरह चित्तौड़ और जयपुर का नाम लिया गया है उसी तरह कोटा का भी नाम लिया

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाय कि विश्व विद्यालय कोटा में खोला जायगा, मेडिकल कॉलेज कोटा में खोला जायगा।

अब मैं एक अन्तिम बात निवेदन करना चाहूँगा, वह यह है कि संस्कृत का नाम लिया गया है। हमारा राजस्थान संस्कृत का स्थान रहा है, जयपुर में और राजस्थान के और और हिस्सों में, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान् हुए हैं। काशी तो बड़ा पूजनीय स्थान रहा है, पर राजस्थान में भी संस्कृत का स्थान रहा है। आज संस्कृत के प्राध्यापक और अध्यापक हैं उनके साथ औरों के मुकाबले में वेतन का फर्क अखरता है। सदन में पहले भी इस प्रकार के प्रश्न आये थे कि संस्कृत के प्राध्यापकों एवं अध्यापकों का वेतन दूसरे अध्यापकों के मुकाबले में कम है। संस्कृत हिन्दी की माता है, संस्कृत से हिन्दी शब्दों को उधार लेती है, हिन्दी की पुष्टि करने वाली संस्कृत है, आज नहीं तो कल उसे मातृ भाषा स्वीकार कर सकेंगे। ऐसी संस्कृत भाषा की उपेक्षा करते हैं तो फिर कैसे हम अपने देश का और अपनी संस्कृत का विकास कर सकेंगे। राजस्थान में संस्कृत के उद्भट विद्वान् पैदा होते रहे हैं। वहां संस्कृत के अध्यापकों के वास्ते बाधा आवे, झालावाड़ में संस्कृत अध्यापक पहुंचे ही नहीं, सभी तरह से संस्कृत और संस्कृत के अध्यापकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस भेदभाव को मिटाया जाय ताकि हम अपनी पुरानी धरोहर, संस्कृत, की तरक्की कर सकें, मैं यही मांग करता हूँ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव इसलिए है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन किसी दाता द्वारा एक बार कोई बिल्डिंग वगैरह का दान कर देने से दाता के नाम पर ही चलते रहते हैं, ऐसा न किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट के रूल्स इस सम्बन्ध में हैं, उनके बारे में मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। किसी बिल्डिंग को देकर पीढ़ियों तक उस संस्था का नाम दाता के नाम पर रखा जाय इस तरह के रूल्स नहीं हैं। किसी दाता के नाम से स्कूल का, किसी इन्स्टीट्यूशन का नाम तभी होगा जब कि उस पर हमेशा होने वाले खर्च का ६० प्रतिशत उसकी तरफ से दिया जाता रहे। इस प्रकार रूल्स में है, पर हमारे राजस्थान में ऐसा किया गया है कि डोनेशन के समय बिल्डिंग दे चुके हैं और कुछ नहीं दिया, सरकार करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर चुकी है, फिर भी वह इन्स्टीट्यूशन उस दाता के नाम से चल रहा है। मैं एक–दो संस्थाओं की मिसालें दूंगा, जैसे जोधपुर में इन्जीनियरिंग बांगड़ कॉलेज है जो 'बांगड़ इन्जीनियरिंग' के नाम से प्रख्यात है। मगर उस पर सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और वह कॉलेज उनके मेमोरियल पर चलती है। मेरे ख्याल से ४ लाख रुपये देकर मगनीराम बांगड़ के नाम से इंजीनीयरिंग कॉलेज बनाया गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि उस पर आज १७ लाख रुपया खर्च होता है। उस कॉलेज की बिल्डिंग की मरम्मत और नोन रेकरिंग दूसरे एक्सपेन्सेज़ भी १ करोड़ के होंगे। इसमें डोनर की तरफ से एक पैसा नहीं दिया गया होगा। इसलिए इस सम्बन्ध में हमारे रूल्स हैं उनमें परिवर्तन होना

Page No.77

(श्री मोतीलाल)

चाहिये। इसलिये मैं यह कहूँगा कि अगर कोई ऐसा होता है तो डोनर से यह तय होना चाहिये कि इतना रेकरिंग और इतना नोन रेकरिंग एक्सपेन्स उसकी तरफ से होगा।

इसी तरह से दूसरी मिसाल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की है। वह उनके व्यक्तिगत फन्ड से बनी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उनके व्यक्तिगत फन्ड से बनी है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ।

श्री मोतीलाल : अगर वह व्यक्तिगत खर्चे से बनी है तो भी मेग्ज़िमम उस पर....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : आपने जो कहा है उससे मेरे हिसाब से कुतब मिनार को कुतब मिनार नहीं कहना चाहिये।

श्री मोतीलाल : खर्चा हुआ है उससे कई ज्यादा सरकार को करना पड़ेगा। मैं यह कहूँगा कि इसके लिए यह होना चाहिये कि डोनर को रेकरिंग और नोन रेकरिंग खर्चा भी बर्दाश्त करना चाहिये। कलकत्ते की मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि वहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल अंग्रेज के नाम से था। उसमें सरकार का सारा खर्चा लगता था। सरकार ने उसके नाम को बदल दिया। इसी तरह से जोधपुर में पहले विन्डम हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल था लेकिन सरकार उसका खर्चा देती थी। उसको महात्मा गांधी हॉस्पिटल के नाम पर बदल दिया गया है।

मेरे ख्याल से हमारे यहां पर इस संबन्ध में रूल्स हैं उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति एक लाख या दो लाख रुपया देकर स्कूल खुलवाए। मगर उसके बाद तो करोड़ों रुपये सरकार को ही खर्च करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से यह पब्लिक की दृष्टि से ठीक नहीं है। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मगर जनता की दृष्टि से यह उचित नहीं है।

इसी तरह से जोबनेर कॉलेज का एग्रीकल्चरल कॉलेज, जोबनेर है उसके लिये कितने लाख रुपये देते हैं? ५ लाख का खर्चा होगा?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : एक तो ऐसा दूसरा करके आप बता दें।

श्री मोतीलाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सेठों के डोनेशन से कोई कॉलेज या स्कूल या बिल्डिंग बनाई जाती है तो उन पर उनका नाम होता है। जिस प्रकार आज पिलानी में इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है बिड़ला का उसी तरह से जब लोग बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज का बोर्ड देखते हैं तो वे यह समझते हैं कि यह सेठ का है और सारा खर्चा सेठ ही चलाता है जिस तरह से पिलानी में चलाया जाता है। पब्लिक में यह गलतफहमी हो जाती है। एक करोड़ रुपया सेठ खर्चा करता है, उसके बाद २० करोड़ रुपया सरकार का उस पर खर्च होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मान्यता है कि जोबनेर कॉलेज का नाम बदल दिया जाए?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस तरह से तो गांधीनगर का नाम और बल्लभनगर का नाम भी बदला जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को अब भी उसका नाम रखने में कोई आपत्ति है ?

श्री मोतीलाल : महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने जो देश के लिए कार्य किये हैं उनकी तुलना एस. एम. मेडिकल कॉलेज व बांगड़ आदि के साथ नहीं की जा सकती। इसलिए उसके साथ इनकी तुलना अनुचित होगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : देना ही देना है।

श्री मोतीलाल : मैं यह कहूंगा कि हमको इन रूल्स में परिवर्तन करना चाहिये। इसके अलावा दूसरा मेरा कट मोशन गांवों में लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम गांव में रहने वाले सचमुच कहें कि वहां की लड़कियों में शिक्षा का प्रचार किस हद तक है, तो मैं यह कहूंगा कि आपको वहां एक प्रतिशत लड़कियें भी शिक्षित नहीं मिलेगी। अगर सच पूछें तो गांवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए खर्चा किया जाता है सरकार की तरफ से वह नहीं के बराबर है। अगर सरकार से यह पूछा जावे कि वहां प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है तो सरकार की तरफ से शायद यह उत्तर मिलेगा कि गांवों की प्राइमरी स्कूलों का काम पंचायत को दे दिया गया है और अब उनकी मार्फत आसानी से यह काम अच्छी तरह से हो सकेगा।

मै समझता हूं कि आज शहरों में कितना रुपया खर्च होता है और गांवों में कितना खर्चा होता है, उसकी तुलना को जावे तो गांवों में बहुत कम खर्चा होता है। हम देखते हैं कि शहरों में खेल कूद (गैम्स एन्ड स्पोर्टस) है उसके लिए १ करोड़ ६ लाख से ज्यादा खर्चा होता है। जब २५ प्रतिशत पोपुलेशन शहरों में रहती है और गांवों में ७५ प्रतिशत पोपुलेशन बसती है; मगर फिर भी शहरों में शिक्षा पर ज्यादा खर्चा किया जाता है और गांवों में उसके मुकाबले में कुछ नहीं। आप देखेंगे कि गांवों में कितना खर्चा किया जाता है और शहरों में कितना ? इससे आपको मालूम होगा कि गांवों में लड़के और बच्चों की शिक्षा के लिए २ करोड़ ५४ लाख और लड़कियों के लिए ६० हजार रखा गया है। बच्चे–बच्चियों के लिये जो २५ प्रतिशत शहरों में रहते हैं उनके लिये गैम्स आदि में एक करोड़ १३ लाख ३१ हजार जब कि गांवों में ७५ प्रतिशत लोग रहते हैं, उनके लिये प्राइमरी स्कूलों में २ करोड़ ५४ लाख और लड़कियों के लिए ६० हजार। आज दोनों को मिलावें तो कितना फर्क पड़ता है ? इसके बाद यदि हम वनस्थली में लड़कियों के स्पोर्ट में जो खर्च होता है उसको देखें तो मालूम होगा कि वह भी इससे ज्यादा है। इसलिए गांवों में लड़कियों पर ६० हजार का खर्चा होता है वह कम है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : कौन से स्पोर्ट में खर्चा होता है ?

श्री मोतीलाल : बांगड़ कॉलेज में स्पोर्ट का १०७६, Repairs to college buildings का ६०,०००। इस तरह से ६० हज़ार का वहां गांव में लड़कियों के लिए खर्चा रखा गया है।

(श्री मोतीलाल)

बांगड़ कॉलेज में शहर की लड़कियों के लिये :

प्राइमरी स्कूल में गैम्स के लिए	११ हजार
रिपेअर के लिये	६ हजार
रेन्ट के लिये	४० हजार

इस प्रकार ६० हजार का खर्चा होता है। वहां पर गैम्स, रिपेअर आदि के लिऐ खर्चा होता हैं ६० हजार। वहां ७५ प्रतिशत लड़कियों के लिए, मास्टरों को रखने के लिये खर्चा रखा जाता है। गांव वाले मास्टर को रहने के लिये मकान देते हैं और स्कूल के लिए मकान देते हैं और दूसरी फैसिलिटी भी देते हैं।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

मैं दूसरी मिसाल दूंगा कि गांव और शहरों के बच्चों के लिए इतना फर्क है। जो रकम हमने रखी है उसमें कोई गैम्स की गांव वालों के लिये नहीं है। न मकान की व्यवस्था है। मकान गांव वाले देते हैं। इसलिये १ लाख ६० हजार रुपये प्राइमरी स्कूल में देते हैं। इसके अलावा और मिसालें दूं, कुल कितना खर्चा होता है गर्ल्स पर :

१३ लाख ७६ हजार	आर्ट्स कॉलेजेज़
४३ लाख	सेकन्डरी स्कूल्स
१३ लाख ६१ हजार	प्राइमरी स्कूल्स।

कुल ७१ लाख होता है आर्ट्स, कॉमर्स व साइन्स और प्राइवेट स्कूलों के लिये। चीफ मिनिस्टर कह दें कि वहां गांव की लड़कियें आकर पढ़ती हैं। आज भी आप देखेंगे कि १ प्रतिशत लड़कियें गांवों में नहीं पढ़ती हैं। मुश्किल से पांच या ७ लड़कियें यहां कालेजों में आ सकती हैं। न उनको एकोमोडेशन मिल सकता है। क्योंकि गांवों में किसानों के लड़के लड़कियें एजुकेशन में बहुत कमजोर होंगे और हाई स्कूल पास नहीं कर सकते। इन्टरमीनियेट, साइन्स पास नहीं कर सकते। न उनके लिये कोई रिजर्वेशन है, न कॉलेजों व मेडिकल कॉलेज में गांव वालों के लिये २५ प्रतिशत या ३० प्रतिशत का रिज़र्वेशन उनको मिलता है। वह भी नहीं होता है। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां शहर की २५ प्रतिशत जनता की लड़कियों के लिए ७१ लाख रुपया का खर्चा करते हैं गांवों की ७५ प्रतिशत जनता की लड़कियों के लिए ६० हजार रुपया खर्च करते हैं और वह ८ प्रतिशत होता है। इस तरह से तो गांवों की लड़कियों को पचास वर्ष में भी उन्नति नहीं हो सकती और न ही आशा की जा सकती है।

दूसरा, मैं चाहूँगा कि ग्रामीण लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था करें। यदि उनके लिए अलग ही कॉलेज हो तो अच्छा है। उसके साथ बोर्डिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि उनको तो बोर्डिंग में ही रहना पड़ेगा। यदि लड़कियों के लिए गांवों में ही सेकन्डरी स्कूल की व्यवस्था कर दी जाय तो अच्छा होगा। बोर्डिंग की व्यवस्था कर सकें तो सेकन्डरी स्कूलों में ही लड़कियां पढ़ा करें। बच्चों के लिए भी हो जाय, अन्यथा ग्रामीण

(श्री मोतीलाल)

लड़कियां कभी नहीं पढ़ सकेंगी। और जब गांवों में मां यदि पढ़ी–लिखी नहीं होगी तो लड़की को कैसे शिक्षा मिलेगी और इस प्रकार से गांव अनपढ़ ही रहेंगे। लड़कियों के लिए मिडल और सेकन्डरी स्कूल्स अलग करें। उसके बाद....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद समाप्त करिये। मैं एक मिनट और देता हूं।

श्री मोतीलाल : दूसरा कट मोशन प्राइवेट स्कूलों के बारे में है। हाउस में काफी कहा गया है। दो तरह की प्राइवेट संस्थायें हैं। एक रिकॉग्नाइज्ड और दूसरी अन-रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड वे संस्थायें हैं, उदाहरण के तौर पर वनस्थली विद्यापीठ, सेन्ट जेवीयिर इत्यादि। हाई स्कूलों में कई गड़बड़ियां होती हैं उन प्राइवेट संस्थाओं में। गवर्नमेन्ट स्कूलों में जिस प्रकार के ट्रेन्ड टीचर्स रहने चाहिये उस तरह से वहां पर ट्रेन्ड टीचर्स रहते नहीं हैं। एजुकेशन की पूरी व्यवस्था नहीं होती उनमें और ट्युशन फी इतनी ज्यादा लेते हैं कि गरीब लड़की पढ़ नहीं सकती। इतना ज्यादा खर्चा है कि हिम्मत नहीं कर सकती। उन संस्थाओं को लाखों रुपया ग्रान्ट-इन-एड देते हैं। इसलिए ऐसी संस्थायें जहां कि गरीब लड़के पढ़ सकें, लड़कियां पढ़ सकें स्थापित करनी चाहिये।

गड़बड़ियां उनमें क्या होती हैं? इसके लिए मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा। उन प्राइवेट स्कूलों के अन्दर लड़के और लड़कियों को पढ़ाया जाता है। हाई स्कूल में जो जाने वाला नहीं है कोई लड़का उसको रूल के माफिक न अलाऊ करके रूल को तोड़ कर बैठा दिया जाता है। जैसे सन् ५२ में एक लड़का मिडल पास करता है और सन् ५३ में ही प्राइवेट स्कूल के द्वारा हाई स्कूल में बैठ जाता है। चोपासनी स्कूल, जोधपुर है। सन् ५२ में मिडल पास करता है। ५३ में आकर वह लड़का हाई स्कूल पास करता है प्राइवेट स्कूल से। ६० में वह बी. ए. पास करता है tas a eacher. जागीर कमिश्नर के दफ्तर में वह नौकर था और बताता है कि मैं टीचर था चिल्ड्रन्स हाईस्कूल जोधपुर में। मास्टर बताता है जब कि वह एक्चुअली नौकर था जागीर कमिश्नर के यहां। किस प्रकार से रूल्स तोड़ने का मैंने आपको एक ज्वलन्त उदाहरण दिया है। एक तो रूल तोड़ा उसने एक साल में हाई स्कूल परीक्षा में बैठ कर जब कि उसने ५२ में मिडल पास किया और फिर ५३ में हाई स्कूल परीक्षा में जयपुर आकर बैठ गया। सन् ६० में जागीर कमिश्नर के दफ्तर में नौकर होते हुए भी अपने आपको बताता है कि चिल्ड्रन्स स्कूल, जोधपुर का वह अध्यापक है जब कि वास्तव में वह नहीं था; हाई स्कूल का मास्टर बनता है। उसको रिकमन्ड किया जाता है। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स से रिकमन्ड कराता है। इस तरह से प्राइवेट स्कूल्स-रिकॉग्नाइज्ड और अन–रिकॉग्नाइज्ड-किस तरह से गड़बड़ियां करते हैं? इन संस्थाओं को जो एड दी जाती है उनकी छानबीन करने के लिए एक कमेटी बैठानी चाहिये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों की और फिर वह कमेटी यह निर्णय करे कि ग्रान्ट-इन-एड देनी चाहिये या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य नाम बोले जाने के समय उपस्थित नहीं थे उनके कटौती प्रस्ताव लेने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। एक, दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं असमर्थ हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : समय है अभी तो थोड़ा समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा सम्बन्धी मांग प्रस्तुत की गई एक प्रकार से कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सुझाव सही प्रकार के सामने आये, लेकिन आम तौर से सभी ने शिक्षा विभाग के द्वारा जो कार्य हुए हैं उनकी प्रशंसा की है, अगर मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): नहीं साहब की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके साथ ही, उपाध्यक्षजी, ये आंकड़े समय समय पर आते रहते हैं लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए दो बातों के बारे में केवल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर शिक्षा क्षेत्र के लिए जो धन-राशि निर्धारित की गई थी १० करोड़ ५६ लाख की वह बढ़ कर ११ करोड़ ६७ लाख खर्च की गई। जो धनराशि थी उससे अधिक शिक्षा विभाग में खर्चा हुआ और सौभाग्य से जो हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले यानी सन् १९५५–५६ में प्राइमरी स्टेज पर २४ प्रतिशत के करीब लड़के और लड़कियों को मिला कर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के अन्दर हमारा स्तर था वह बढ़ कर सन् १९६०–६१ में ४९.९ प्रतिशत पर पहुंचेगा। करीब दुगुने के आसपास प्राथमिक शिक्षा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त कर सकेगी। उसी तरह से मिडल स्कूलों का स्तर ८–९ प्रतिशत पहले था वह बढ़ कर १४ प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या उनमें पहुंचेगी। हाई स्कूल स्टेज और हायर सेकन्डरी में जहां पहले ३.८ प्रतिशत था, उससे बढ़ कर ७.४ प्रतिशत पर वह बढेगा और हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी का विशेष तौर से ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् १९५०–५१ में, हमारी आजादी के तीन वर्ष पश्चात्, हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की तादाद १.७ प्रतिशत थी वह बढ़ कर ७.४५ प्रतिशत पर पहुंचेगी। मैं अधिक समय इन आंकड़ों को देकर नहीं लेना चाहता। लेकिन तात्पर्य यह है कि शिक्षा को जितनी तेजी से फैलाया जा सकता था उसको फैलाने का एक नम्र प्रयास किया गया है। साथ ही यह भी निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि जब तेजी से शिक्षा का प्रसार किया जाता है खास तौर से एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पिछड़े हुए प्रदेश के अन्दर तो कुछ बातें सामने आती हैं उनको भी, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य हम लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको ध्यान में रख कर चलेंगे । मैं इस बात से पूरी तरह से परिचित हूं कि वित्तीय साधनों को देखते हुए जो कुछ भी प्रयत्न किया है वह काफी बड़ा

(३.०० म. प.)

प्रयत्न किया है । क्यों ? हम यह मानते हैं कि आखिर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की जरूरत है कि हमारा सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो और इस लिहाज़ से इन क्षेत्रों में प्रगति करने का अधिक से अधिक प्रयत्न किया गया है । उनका परिणाम तत्काल नहीं मालूम होगा और मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अगले दस–पन्द्रह वर्षों में जब स्कूलों में अधिक तादाद में विद्यार्थी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उसका असर सारे राजस्थान को मिलेगा और आज के किये हुए प्रयत्नों का परिणाम भी राजस्थान को मिलेगा ।

लेकिन इस वक्त इस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है और जब कि हम इतनी तेजी से विकास करते हैं; हमारे सामने जो समस्या है ट्रेनिंग स्कूल्स की कमी, उनको जितनी तेजी से बढ़ाये और बढ़ाया है । हमारे पास मकानों की कमी थी उसके साथ साथ अन्य साधनों की कमी थी । पढ़ाने वाले अध्यापक जितनी तेजी से चाहिये थे और उनके साथ साथ उनके ट्रेनिंग के लिये अध्यापकों की कमी; इन सारी चीजों के बावजूद एक प्रकार से स्ट्रगल होने के बावजूद भी एज्युकेशन डिपार्टमेंट अपनी कोशिश बराबर करता रहा है । इन बातों के बताने के अन्दर मैं समझ सकता हूँ कि जिस ओर हम बढे हैं उसके अन्दर किसी प्रकार की खामियां भी होंगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । कहीं पर मकानों की कमी हो सकती है, कहीं पर अध्यापिकाओं की कमी हो सकती है । यदि कहीं अध्यापिकायें हैं तो वे उपयुक्त तरीके की नहीं, यह भी हो सकता है । लेकिन हमारी परिस्थितियों और साधनों को भी ध्यान में रखना होगा । राजस्थान के अन्दर सौभाग्य से कुछ वर्षों में शिक्षा के लिये आम जनता में जागृति पैदा हुई है और यह बहुत बड़ा कारण है हमारी शिक्षा के इस प्रसार में क्योंकि गांवों के अन्दर एक प्रकार की भूख पैदा हुई है कि उनको शिक्षित होना चाहिये, उनके बच्चे शिक्षित होने चाहिये इस प्रकार की भूख पैदा हुई है । इस वजह से भी इस शिक्षा प्रसार में बहुत सहयोग मिलता है । एक प्रकार से जो शिक्षा का वातावरण बना है तो मैं गल्ती नहीं करता यदि मैं यह कहूँ यह सब जनता के सहयोग पर हुआ है । कोई भी चीज़ आगे ले जानी होती है उसमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है । और यह सही मायने में जब शिक्षा की कल्पना करते हैं तब ।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिये ज्यादा अनुभवी लोग चाहिये, यह बात उनकी सही है । जितने ज्यादा छोटे बच्चे को पढ़ाना हो उतना ही ज्यादा अनुभवी अध्यापक उसके लिये होना चाहिये । लेकिन हमारे सामने आर्थिक परिस्थितियां भी हैं । उसके साथ हमें देखना है कि आज जो हमारी आर्थिक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्थिति है उसके अन्दर क्या इस प्रकार से अध्यापक हम लगा सकते हैं. इतना आर्थिक भार उठाने को हम तैयार हो सकते हैं ? जब यह व्यवहारिक दिक्कत हमारे सामने खड़ी होती है तब हमें देखना होता है कि हम इसको वास्तविक तौर पर जो वैधानिक अधिकार है, जो हमने गारन्टी विधान द्वारा दी है उनका कितना निर्वाह करते हैं। उसके साथ साथ निरक्षरता जो फैली हुई है उसके बारे में हम तेजी से नहीं बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आज की पीढ़ी को हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। राजस्थान की कुल लिट्रेसी का पर्सेन्टेज कम आता है, वह भविष्य के लिये और भी कम हो जायगा। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो जो हेन्डीकेप रह जाता है वह पूरा नहीं हो सकेगा, उसमें हम बहुत पीछे रह जायेंगे। इसलिये जरूरी हो जाता है कि इस ओर हम प्रयत्न करें।

अभी अभी हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य बतला रहे थे कि जितना रुपया खर्च होता है शहरों पर और वहां के प्राइमरी स्कूलों पर उसके बजाय गांव में बहुत कम हो जाता है। आज गांवों के अन्दर अलग अलग जगहों पर जितने हाई स्कूल और मिडल स्कूल खोल चुके हैं उन पर होने वाले व्यय को भी हमें अपनी निगाह में रखने की जरूरत है। वह खर्चा गांवों के अन्दर हो रहा है। शहरों में कॉलेजेज़ हैं और इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो सारे जिले या डिविजन की सेवा करने वाले हैं, ऐसी संस्थायें कुछ होती है लेकिन आज वह बात नहीं कि हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी की शिक्षा के लिये शहरों में आना पड़े या यह बड़े बड़े कस्बों तक सीमित रहते हों। यह बात नहीं है। आम तौर पर राजस्थान में आठ दस तहसीलों को छोड़ कर पांच, सात या पन्द्रह मिला के आसपास सभी जगह एक न एक हायर सेकन्डरी स्कूल हर इलाके के अन्दर हो, ऐसा प्रयत्न किया गया है। हर पंचायत समिति के अन्दर जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई पंचायत समितियों के अन्दर हायर सेकन्डरी स्कूल्स नहीं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जहां पर भवन की सुविधा हो, पढ़ने वाले लड़कों की संख्या उपलब्ध हो, ऐसी जगहों पर इस साल भी हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने में हमें किसी प्रकार की झिझक नहीं होगी। हम निश्चय तौर पर ऐसी जगहों को प्राथमिकता देंगे। परन्तु ये सब सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये। इसके साथ साथ जहां सरकार द्वारा ये सब सुविधायें उपलब्ध कराने का सवाल है वहां के लिये भी हम सतर्क हैं। यह नहीं कि जहां इस प्रकार की सुविधायें नहीं उस इलाके को हमेशा के लिये हम पीछे रख दें, यह नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी जगहों के लिये समय लग सकता है। सारा मकान का मकान पूरा तैयार करवा कर और अन्य साधनों की पूर्ति करना जरा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिये लेकिन हम यह निगाह में रख कर चलते हैं जहां पर इन साधनों की पूर्ति हो वहां पर हमें किसी प्रकार से भी झिझक नहीं है हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने में। इसी को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जायगा।

इसी सिलसिले में चर्चा के दौरान में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़मेर की तरफ सरकार उपेक्षा की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दृष्टि से देखती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझसे जितना हो पाया है इस बात का प्रयत्न किया है कि किसी क्षेत्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखने का प्रयत्न नहीं किया है। बहुत बार यह समझा जाता है कि राजनैतिक आधार को सामने रखते हुए किया जाता है। जहां से विरोधी पक्ष के लोग आये हैं वहां हम स्कूल न खोलें, इस दृष्टि में मैं विश्वास नहीं रखता। हर हालत में हम चाहते हैं कि हमें राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाना है और यह भी नहीं कि आज विरोधी पक्ष के लोग आ गये तो हमेशा ही वे ही आते रहेंगे।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : इसी लिहाज से तो कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजनैतिक लाभ के आधार पर हम आपके क्षेत्र में कुछ न करें, यह बात नहीं। इस दृष्टिकोण को मैं कभी रख कर चलता नहीं।

श्री अनूपसिंह : आपके पास आंकड़े हैं, देख लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ कि बाड़मेर के इन्टीरियर में हमने हायर सेकन्डरी स्कूल खोले हैं। पूरी तादाद में पढ़ने वालों को नहीं तब भी हमने खोले हैं, तहसीलों में कुछ न कुछ किया जाय इसलिये। सिवाणा के अन्दर एस० टी० सी० के लिये उपयुक्त भवन नहीं है फिर भी हमने वहां एस० टी० सी० को वहां रखा है। इससे माननीय सदस्य इन्कार नहीं करेंगे। सिवाणा से बालोतरा क्यों ले जाते हैं, इस तरह से आप यदि कहना चाहते हैं तो आपको बाड़मेर जिले की बात न कह कर केवल अपनी कॉन्स्टिटीट्यूएन्सी की बात कहनी चाहिए थी।

श्री अनूपसिंह : बाड़मेर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिवाणा से एस० टी० सी० सेन्टर को हटाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर विचार कर रहे हैं, वहां जब सहयोग देने के लिये तैयार हैं तो हम यह कभी नहीं चाहते कि वहां से हटा कर दूसरी जगह उसको ले जाया जाय।

एक माननीय सदस्य जो कोटपूतलीसे आये हैं, इस वक्त यहां नहीं हैं, लेकिन उसी तरह से कुछ और जगहों के माननीय सदस्यों ने अपने यहां कॉलेज और खास तौर से डिग्री कॉलेज खोलने के बारे में प्रस्ताव रखे।

पहले मैं कह दूं कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को इस सदन में उठाया कि दूसरी यूनिवर्सिटी राजस्थान में क्यों स्थापित करना चाहते हैं, जब कि एक यूनिवर्सिटी अभी अपने शैशव—काल से आगे बढ़ रही है ? तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं इन सदस्य को और दूसरों को भी कि राजस्थान शायद भारतवर्ष के अन्दर एकाध स्टेट को छोड़ दीजिये पर शायद इतनी आबादी के लिहाज़ से इस माने में अकेली है जिसमें दो करोड़ की आबादी में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हो।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां इस वक्त जो सुविधाएं यूनिवर्सिटी की है ज्यादा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एफीलियेटिंग टाइप की हैं जिनमें अलग अलग कॉलेज तो हैं पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कॉलेज और दूसरे दूसरे, पर असल में राजस्थान अब उस स्टेज में भी पहुँच गया है जब कि सही मायने में यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिये इस बात को हम कह सकें कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो सम्भव हों, उतनी पैदा कर सकें, जिसमें अगर विद्यार्थी एकाध जगह अन्डर ग्रेजुएट भी है तो वहां से यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग के साथ चले और इसके बाद यूनिवर्सिटी की फेसीलिटी भी उसको उपलब्ध हो।

जो दो यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं उसके विस्तार के बारे में इस वक्त नहीं पड़ना चाहूँगा कि उसका क्या स्वरूप होगा। पर जैसा संक्षेप में कहूं, जो कुछ मैंने कहा, उतना कहने के बाद इसलिये इस विस्तार में नहीं पड़ना चाहता कि हमने एक बहुत ही एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है जिसके चेयरमैन डॉ० खोसला हैं जो प्लानिंग कमीशन (शिक्षा विभाग) में और रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर रहे हैं, वे चेयरमैन हैं। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर और चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर हैं। डॉ० कोठारी उस वक्त तक यू. जी. सी. के. चैयर-मैन नहीं हुए थे, उनको रखा था कि ये लोग मिल कर एक पैटर्न इवोल्व करें कि यूनिवर्सिटी के लिये किस प्रकार से कुछ करें जिससे प्रगति में ठीक तौर से सबके साथ चल सकें। इसलिये इस पर जोर देकर चलना चाहते हैं कि जहां यह सही है कि राजस्थान में शिक्षा का प्रसार कम हुआ है और हम प्राइमरी एज्यू-केशन पर अधिक से अधिक ध्यान दें, पर जो स्टेन्डर्ड की बात आती है जो कि एक हद तक सही है सारे देश के लिये उसको ठीक करने के लिये मेरा निश्चित विश्वास है कि एक तरफ से वह सैट नहीं हो सकता, सारे ढांचे को ही ठीक करने से काम चलेगा। यूनिवर्सिटी से लेकर नीचे तक। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से और हायर सेकन्डरी से पढ़ा कर निकलते हैं वे कॉलेजों में और हाई स्कूलों से लेकर प्राइमरी स्कूलों तक के टीचर बनते हैं जो स्टेन्डर्ड का भी एक सिलसिला है। इसलिये यूनिवर्सिटी स्टेन्डर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, अगर शिक्षा के स्तर को ठीक तरह करना चाहते हैं तो। इस लिहाज से खर्चा ज्यादा रखते हुए भी प्रयत्न में हैं कि इसे ठीक करें। इतना ही नहीं, इस दृष्टि से भी कि हमारे यहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेक्चरार खास तौर से सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने तक सीमित न रह जावें। आपने राज्यपाल का भाषण भी सुना होगा और उसमें भी खास तौर से देखा होगा कि हमने इस बात की विशेषता करने की कोशिश की है, जो कि इस साल से चालू हो जावेगा, कि जो अध्यापक अलग अलग जगह पढ़ाते हैं और जो टैक्निकल लोग हैं अगर वे लोग कुछ रिसर्च के तौर पर कुछ अपना कन्ट्री-ब्यूट करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उनको हम सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये एडीशनल पे दे दें जो उनको बराबर मिलती चली जावे, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और वे क्रिएटिव साहित्य सृजन पर सोचने लगें जिससे हमारा स्टेन्डर्ड बनने में सहायता मिले। अपने ढंग की यह एक योजना है जिसे राजस्थान में हमने लागू किया है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलने का रास्ता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सामने आता है । जो वैज्ञानिक खोज करना चाहते हैं । इस प्रकार स्टेन्डर्ड के बारे में सिर्फ यही कह कर दलील समाप्त करना नहीं चाहता कि जो राजस्थान में है वह सारे भारत में है । मैं यह कहूँ कि वह ठीक होते हुए भी हमें प्रयत्न करना है कि हम स्टेन्डर्ड को ज्यादा से ज्यादा कैसे ठीक कर सकें ।

इस लिहाज़ से राजस्थान पहली स्टेट है जिसमें हायर सेकन्डरी एज्यूकेशन के बारे में, जब हमें यह मालूम हुआ कि हायर सेकन्डरी एज्यूकेशन की वजह से फैलियरों की तादाद बढ़ रही है, इसके स्टेन्डर्ड के बारे में शिकायत आते ही, आपको मालूम होगा, साल भर पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर जो थे श्री चटर्जी उनकी चेयर-मैनशिप में कुछ दिल्ली के और कुछ राजस्थान के भी और लोगों को लेकर हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई जो सारी परिस्थिति का रिव्यू करे कि हायर सेकन्डरी के स्टेज पर जो हमने सिलेबस फिक्स किया है और एग्ज़ामिनेशन का तीन साल का मैथड है वह, इन सब को देखते हुए बतावें कि अगर स्टेन्डर्ड में कमी है तो उस स्टेज पर हमें क्या करना है, दूसरी, तीसरी स्टेज पर करने की जरूरत हो तो उसके लिए क्या करना है । और इसकी रिपोर्ट, आशा करके चलता हूँ कि करीब एक महीने में हमारे समक्ष होगी । उन्होंने एक इन्टेरिम रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि आज जो तीन साल के अन्दर सारे पब्लिक एग्ज़ा-मिनेशन्स होते हैं उनके बजाय दसवीं के बाद एग्ज़ामिनेशन्स हों और ग्यारहवीं का एग्ज़ा-मिनेशन न हो । चाहे स्टेन्डर्ड का सवाल हो, चाहे विस्तार का सवाल हो, इन सारे क्षेत्रों में सतर्कता के साथ पूरी निगाहें रखने की हम कोशिश कर रहे हैं । एक्सपर्टों की राय लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इस एटीटयूड को लेकर खड़े हों कि जो हमने कर दिया वही ठीक है, बल्कि हमारे अलावा जो एक्सपर्ट और तटस्थ व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं उनकी सलाह और सहयोग हमें बराबर मिलता रहे, जिससे हम इस क्षेत्र में समुचित विकास करते रहें । यह दृष्टिकोण हमारा रहा है और इसी दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ कि हमने यह किया है ।

रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्निकल इन्जीनियरिंग के लिए, जो एस्टेब्लिश होने वाली है तीसरी योजना में, उसके सम्बन्ध में भी चर्चा आई कि जयपुर में क्यों हो । एक माननीय सदस्य कोटा का कहूँ या उदयपुर का कहूँ उनके भी अलग अलग सुझाव आये । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी जो रीजनल टैक्निकल कॉलेज स्थापित होने की बात है उसके बारे में सारे हिन्दुस्तान का एक टैक्निकल एजूकेशन के लिए काफी सीनियर और जिसे कहना चाहिये टॉप आदमियों की एक बॉडी है, जो उन सारी चीजों पर विचार करते हैं और उनके सामने यह प्रश्न था कि जोधपुर के बाद हमने तो अपनी तरफ से जोर देने की बात थी, उस बात पर जोर दिया कि राजस्थान में यह कॉलेज होना चाहिये; क्योंकि यहां यह होता है तो दो के बजाय तीन हो जाते हैं और आगे जा कर टैक्निकल एजूकेशन की वजह से इन्डस्ट्रियल सैक्टर में हमें और आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है वह मौका

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमारे यहां के नवयुवकों को मिले। खुशी है कि उन्होंने हमारी यह मांग स्वीकार की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम जयपुर में इसे खोलना चाहते हैं; क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी का एडवान्टेज है। इसलिये जो निर्णय लिया गया है कमेटी के द्वारा लिया गया है।

इस प्रकार मैं निवेदन करूं कि यहां पर जो सवाल सामने आया यूनिवर्सिटी का तो शायद बहुत से माननीय सदस्यों को पता होगा कि जोधपुर में यूनिवर्सिटी के बारे में आज कोई नया प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ, बल्कि १९५१–५२ की बात होगी तब से वहां यूनिवर्सिटी दूसरी कैसे शुरू हो सकती है, विचार चल रहा था। यहां तक विचार चला एक स्टेज पर तो कि यहां की वहां शिफ्ट करें तो क्या हो। पर कई कारणों की वजह से यहीं पर स्थायी तौर से चलाने का निर्णय हुआ। इसलिए दूसरी का सवाल था तो वह स्वाभाविक था। जहां पहले से डेवलपमेंट इतना हुआ तो वहां के लिए फैसला किया गया।

इसी प्रकार मैडिकल कॉलेज की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी कमेटी बैठाई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। मैडिकल कॉलेज के बारे में बैठाई थी। जिसने सोच कर अपना निर्णय दिया तो किसी क्षेत्र अथवा दूसरों की भावना से इस प्रश्न पर चलने का सवाल नहीं आता। पर मुझे कोटा से आने वाले प्रतिनिधि से यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि कोटा के प्रति अवज्ञा है, उसके प्रति अन्याय हुआ है। मैं समझता हूँ सदन में बैठे हुए सदस्यों में से कोई भी सदस्य उनकी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि कोटा के प्रति अन्याय हुआ है, हालांकि माननीय सदस्य जिस गम्भीरता से अपनी बात कहना चाहते हैं उनका भी निराकरण स्वयं कर देते हैं क्योंकि कोटा में जो कुछ विकास हो रहा है उसको माननीय सदस्य के कहे बिना भी हरेक स्पष्ट तौर से देख सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): मैं निवेदन कर दूं....

श्री मोहनलाल सखाड़िया : मैं अपनी बात कह लूं।

तो मेरे कहने का मतलब है कि कोटा के साथ अन्याय है; इतनी बात कह कर अगर वे अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूं कि और कुछ हो सकता है, पर अन्याय किसी के साथ है, खासकर कोटा के साथ है, इसके कहने में या तो उनको संकोच होना चाहिये था, नहीं तो फिर पूरी तौर से सुझाव रखने की बात आनी चाहिये थी। आपने कहा मेडिकल कॉलेज हो जावे। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ इसके लिए कि इसके लिए ७००–८०० बेड्स चाहिये। अभी कोटा 'ए' ग्रेड हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंच पाया ; जिसके लिए दो साल पहले खर्चा किया गया और हर साल ऐसा करते जा रहे हैं। अब इमीजिएटली वहां कॉलेज शुरू करने के बाद

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जितना हाई एक्सपेन्डीचर होता है, इस बात को भी कन्सीडरेशन में लेना चाहिये ।

इसी प्रकार यूनिवर्सिटी के लिए कहा तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य यहां पर हैं डिसुपेशनेट तरीके से इसके ऊपर विचार करें तो बहुत सी बातें सामने आती हैं, उनको सोचने के लिए आसानी हो जायेगी । मैं निवेदन करूं कि कोटा डिविज़न के लिए आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से कमी रही । मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसी कोटा डिविज़न में एक कॉलेज था । आज एक के बजाय ४ कॉलेजेज हैं और उसके अलावा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्यूशन है । तो वहां अवज्ञा का प्रश्न नहीं आता है । झालावाड़ में एक डिग्री कॉलेज है । बूंदी को देखते हुए जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां डिग्री कॉलेज है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा डिविज़न के हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है । और दूसरी जगह तो फिर भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में डिग्री कॉलेज नहीं है । तो यह डिविज़न के प्रति अवज्ञा है। इन बातों को ध्यान में लाने का प्रश्न नहीं आता । उसी प्रकार से मैं निवेदन करूं कि जहां डिग्री कॉलेजेज़ को फैलाने का प्रश्न है हम मुकाबले में इस बात को रखकर चलना चाहते हैं कि जिन जिलों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पहले प्राथमिकता देकर चलना चाहते है । एक तरफ तो कहते हैं कि तीस चालीस मील क्यों जायें और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ६०–७० मील में कोई सुविधा ही नहीं है । इसलिए पहले वहां प्राथमिकता देकर हम आगे चलना चाहते हैं । उसी दृष्टि से मैंने कहा है कि पाली में अगर और सुविधायें उपलब्ध हुई तो इसी साल डिग्री कॉलेज, डूंगरपुर में भी डिग्री कॉलेज इसी साल शुरू करना चाहते हैं । इसी साल से मेरा मतलब नैक्स्ट फाइनेन्शिल इयर से है । फिर कुछ जिले बचते हैं उन जिलों में हम फिर करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय सौभाग्य से सारे बीकानेर डिविज़न में हर जिले में है, कोटा डिवीज़न में हर जिले में कॉलेज है, जयपुर और अजमेर में हर जिले में है, जोधपुर और उदयपुर सिर्फ ऐसे डिविज़न्स हैं जिनके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर वहां की जरूरत के माफिक कॉलेजेज़ नहीं हैं, ऐसा माननीय सदस्य मानेंगे । उनके वहां भी कुछ हों तो इसके लिए एतराज की बात नहीं हो सकती कि इन जिलों में सुविधाओं को उपलब्ध किया जाये ।

कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कॉलेज के लिए जोर दिया, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिले की दृष्टि से विचार करें तो आज जिले की दृष्टि से जयपुर शहर में जितने कॉलेजेज़ हैं उनको गिनाने की जरूरत नहीं है कि जो अलग अलग कॉलेजेज़ हैं लेकिन दौसा में डिग्री कॉलेज और कालाडेरा में भी डिग्री कॉलेज हैं । अब इसके अलावा तीसरी जगह और डिग्री कॉलेज शुरू करने का सवाल आया तो लोगों की तरफ से बहुत बड़े एफर्ट्स न हों जब तक डिग्री कॉलेजेज़ को प्राइमरी और मिडल स्कूलों की तरह फैलाते हुए नहीं जा सकते । यही प्रश्न धौलपुर के बारे में कह सकते हैं । धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने किसी मकान के बारे में बताया तो उसके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वहां पर चार बड़े बड़े कमरे हैं और छोटे छोटे हैं । तो डिग्री कॉलेज के लिए सरकार वहां पैसा खर्च कर दें तो फिर जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और मिडल स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल खुलने के हैं उनका काम रुक जाता है। दूसरी तरफ भरतपुर में ९०० लड़के कॉलेज में हैं इसलिए वहां भी सरप्लस और जा सकते हैं। इसलिए यह प्रयत्न हमारा होता है कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज से इतनी स्थिति हो गई है कि लड़कों को एडमिशन में दिक्कत हो गई है तो एडीशनल सुविधा उसी डिस्ट्रिक्ट के उसी कॉलेज में करते हैं; जैसे जयपुर में की गई। अगर आसपास सुविधा हो या उसी कॉलेज के और बढ़ाने की गुंजाइश या पोसिबिलिटी हो तो पहले उसका प्रयत्न किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसलमेर के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि यहां जैसलमेर को रिप्रेज़ेन्ट करने वाला अभी सदन में कोई नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दोनों बातें मैं समझता हूँ। कॉलेज के बारे में काफी आप जानकारी रखते हैं और अपने धन का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग, हो इसका भी ख्याल है तो मैं समझता हूँ कि जैसलमेर में डिग्री कॉलेज इस स्टेज पर शुरू करने से उसका क्या परिणाम होगा। उसका परिणाम आप समझ सकते हैं। इसलिए ग्रेजुअली उसकी बात पूरी करनी होगी....

श्री दयाकृष्ण विजय : एक बात निवेदन करनी है और वह यह कि आपके जो और जिले हैं वे दो–तीन तहसीलों के हैं जब कि बारां सब–डिविज़न ४ तहसीलों से बना है; जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि फिर भी यह मान कर चलें कि जो जिले भर की आबादी है उससे दुगुनी आबादी के जिले भी मौजूद हैं। दौसा जयपुर से इतना ही दूर है जितना कि बूंदी वहां से नहीं है।

संस्कृत और आयुर्वेद की फैकल्टीके बारे में जो कटमोशन्स यहां मूव किये गये हैं उनके बारे में यही निवेदन करना है कि मैं माननीय सदस्यों की भावना का स्वागत करता हूँ कि संस्कृत और आयुर्वेद को फैकल्टी हो। संस्कृत की फैकल्टी के बारे में काफी अर्से से मूव किया जा चुका है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से जानकारी करने के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके, इस मामले में हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान में आयुर्वेद और संस्कृत की शिक्षा के बारे में हम वजन देना चाहते हैं। तो उसकी फैकल्टी होने में, उसके स्टेन्डर्ड को आगे बढ़ाने में सुविधा मिलती है।

फिर रतनगढ़ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने बहुत जोरों से पैरवी की थी कि पड़िहारा के अन्दर हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल होनी चाहिए। अगले वर्ष अगर मकान की सुविधा हो जायेगी तो ऐसा मान कर चल सकते हैं कि वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दी जायेगी।

राजस्थान कॉलेज के बारे में फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो परिणाम हम चाहते हैं उससे नहीं आये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना समय निकला है उस समय भी जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

परिणाम वहां के आये हैं वे परिणाम काफी अच्छे हैं। उसका कभी विस्तार से वे चाहें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां के प्रिन्सिपल से या दूसरे आदमियों से आप बात कर सकते हैं। जो दो साल का समय निकला है उसमें काफी फर्क रहा है। खर्च के बारे में और दूसरे प्रश्न आते हुए भी आज राजस्थान के अन्दर एक ऐसा कॉलेज है कि जिसमें इन्टेन्सिव तरीके से ट्यूटोरियल करें और अच्छी तरह से ध्यान दे सकेंगे तो वह एक लाभदायक होगा। उसी दृष्टि से उसको यहां शुरू किया है। उसके परिणामों को देखना होगा एक अर्से तक कि क्या उसके परिणाम आते हैं। यह बात हमने शुरू से ध्यान में रखी है कि यह कॉलेज सिर्फ पैसे वालों के लिए ही न बन जाये इसलिए, काफी स्कॉलरशिप इसके लिए रखी गई है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से किसी की स्थिति कमजोर हो तो वह विद्यार्थी वहां का लाभ उठा सकता है।

बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने वहां के कम्पलरी स्कूल्स की स्थिति है उसके बारे में फिर से इस साल ध्यान आकर्षित किया है और मुझे सुन कर दुःख है कि पिछली साल भी यह सवाल आया और इस साल भी उनका प्रश्न था व उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जोर दिया। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी के अण्डर में ही चलते हैं, यह दिक्कत है। लेकिन म्युनिसिपल वालों से बात करके अगर उनका भी सहयोग मिला और उन्होंने स्कूलों को सरकार के अन्तर्गत लाने में सहयोग दिया तो उनको भी उसी ग्रेड में ला सकें, उसके लिए आसानी हुई तो मैं देखूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो जाय क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो बात लाई जा रही है वह उचित है। इसको मैं पर्सनली देखूंगा कि यह सारी परिस्थिति क्यों पैदा हुई है।....

माननीय अध्यक्षजी, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्कूल के बारे में कहा कि कोई मेरी व्यक्तिगत तौर से नाराजगी होने से वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं हुआ है, और अगर जरूरी हुआ तो वे त्याग–पत्र भी दे देंगे लेकिन वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल किया जाय। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां के बारे में निर्णय कर रहा हूँ और जो कुछ निर्णय लिया जायगा बिना उनके त्याग पत्र के ही निर्णय हो जायगा, जो भी उचित होगा वह।

एक पोलिटैक्निक के बारे में कहा गया है कि सांभर में पोलिटैक्निक स्कूल होना चाहिए। वह कहते आये हैं कि कई अलग अलग जगह मिडल स्कूल और हाई स्कूल खोले जांय। यह सब स्वभाविक है कि अलग अलग क्षेत्र के लिए सब इस तरह से कहें तो उसी तरह वह बात कही गई। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूं कि ४ पोलिटैक्निक स्कूल्स थर्ड फाइव इअर प्लान में राजस्थान में खोले जायेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर खोले जाने की प्रायोरिटी होगी। मैं इसलिए यह निवेदन कर दूं जिससे माननीय सदस्य अलग अलग जगहों के लिए कटमोशन लाने का कष्ट न करें और वे यह समझ कर चलें कि उनका निर्णय होने वाला हैं इन्डस्ट्री और दूसरी आवश्यकताओं को देखते हुए।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जयपुर से आने वाली माननीय सदस्यों का एक प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है एक दृष्टि से और सिद्धान्ततः मुझे इसका विरोध नहीं है, यह बात कह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमान्य संस्थाएं, अमान्य गैरसरकारी संस्थाएं जो हैं वह एक तरह से एक्स्प्लायट करती हैं कुछ लड़कों को। वे गलत इम्तिहान दिलाती हैं, और उनको रोका जाना चाहिए। मैं इसके सिद्धान्त से सहमत हूँ, लेकिन सारे प्रश्न को कानूनी तरीके से कैसे रोका जाय, और कानूनी तरीके से जब रोका जाय और शायद कानून इस सदन में लाया जाय, तो समझता हूँ कि माननीय सदस्य उससे यह समझेंगे कि जो गैर सरकारी प्रयत्न हो रहे हैं उनमें भी उससे आघात हो सकता है, क्योंकि किसी को निकालते हैं तो उसको एक्जामिन करेंगे, लेकिन यह शंका की जाती है कि शायद ऐसा कानून बनना मुश्किल है जिसके अन्दर कुछ क्लीयरली यह कह सकें कि अमुक केटेगरी की संस्थाओं को निकालेंगे। ऐसाभी हो सकता है कि इसकी वजह से जो दूसरी संस्थाएं गैरसरकारी कुछ काम करती हैं उन पर भी आघात पहुंच जाय। इस प्रकार की बात हो सकती है। लेकिन जो भी इस संबंध में उन्होंने कहा हम उसकी पूरी तरह जांच करेंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रयत्नों को रोका जा सकता है, और अगर रोकना ठीक समझेंगे तो इस सदन में वह बात लायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, ज़िला परिषद् के द्वारा की हुई सिफारिशों की बातों को नहीं मानने के सम्बन्ध में जो बात सामने आई है तो सिद्धान्ततः मैं निवेदन कर दूं कि सरकार के पास जो कुछ लिखा जाता है और जो उनकी बात आती है वह सलाह के रूप में आती है, और सलाह के रूप में वे देते हैं। हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जहां तक हो पाये ज़िला परिषद् जो निर्णय करके भेजे उसको पूरा कर सकें। लेकिन सामान्यतः यह देखने में आया है कि अगर उनसे यह कहें कि वहां पर २,३ मिडिल स्कूल्स खोलने हैं, और वहां पर ११, १२ पंचायत समितियां हैं तो उनकी सिफारिश १२ मिडिल स्कूलों की आयेगी। इस प्रकार से अगर हो सकता है कि ज़िला परिषद् १, २ खोलने को लिखते हैं तो हम वहीं कर देते हैं, लेकिन हम कहें कि १ या २ की सिफारिश करो और वे ११ की लिस्ट भेज देंगे तो हमारे सामने यह पेचीदगी पैदा होती है, क्योंकि हम को निर्णय लेना पड़ता है। कोई निश्चित तौर से फैसला करके भेज दें कि अपने ज़िले में यह हमने यह फैसला किया है कि फलां फलां जगह हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल होगा और दूसरी जगह नहीं होगा उसका सबसे ज्यादा मैं स्वागत करूंगा हमारी सब उलझन दूर हो जाती है, हमारे लिए आसानी हो जाती है, और आपको भी यहां पर कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह व्यवहारिक तौर से दिक्कत आती है। कहीं कहीं ऐसा उदाहरण भी हो सकता है कि रिकमन्डेशन आई हो उसको विभाग ने उचित नहीं समझा हो दूसरे कारणों से देखते हुए कि वहां उसको कैसे खोला जाना चाहिए। सामान्यतः हम उसको मानते हैं। दरअसल में वह एडवाइस की तौर पर गवर्नमेंट के सामने आती है। अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार पर है।

माननीय उपाध्यक्ष, जो ग्रान्ट–इन–एड के रूल्स हैं उन रूल्स के बारे में जयपुर से आने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वाली माननीय सदस्या ने भी जोर दिया, कि इसमें परिवर्तन आदि कुछ करने की आवश्यकता है और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कहा। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें सामने आई थीं कि ग्रान्ट–इन–एड के रूल्स के अन्दर कुछ खर्चों को मान्य नहीं किया जाता है, इसको ज्यादा लिबरल बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार और कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कहीं थीं कि जो पहले ग्रान्ट–इन–एड रूल्स थे उनमें अर्से तक एक काम हुआ। उसका जो अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार पर उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी सैट–अप की थी। जिस कमेटी की रिपोर्ट पर जल्दी ही गवर्नमेंट निर्णय लेगी और उससे कुछ सुविधाएं और बढ़ेंगी, ऐसा मान कर चलना चाहिए क्योंकि आज नॉन ऑफिशियल इन्स्टिट्यूशन्स इस क्षेत्र में काम करनेवाली हैं।

राजस्थान के अन्दर, मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे तो यह खुशी की बात है कि इस बार उसमें कोई खास वाद–विवाद नहीं हुआ, पे स्केल्स के लिहाज़ से टीचर्स की स्थिति अच्छी है। अच्छे से अच्छे प्रान्तों से, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान के अध्यापकों के आज के दिन जो उनके पे स्केल्स हैं और अलाउन्सेज़ वगैरह हैं वे कहीं ठीक हैं, जो कि राजस्थान के अन्दर इन पिछले वर्षों के अन्दर हमने करने का प्रयत्न किया है।

लेडी टीचर्स की शोर्टेज के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि डिग्री पास होना चाहिए, मैट्रिक तो कम से कम हो ही। हम खुद चाहते हैं कि वह सब हो। लेकिन ये सब चीजें सम्भव कैसे हों? लेडी टीचर्स नहीं मिलती हैं तो उसके लिए हमने कन्डेन्स्ड कोर्सेज़ शुरू किये हैं, कहीं पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जिससे कि लेडी टीचर्स की उपलब्धि नहीं होने की जो परेशानी है वह कम हो।

उसी प्रकार से अजमेर से आने वाले एक माननीय सदस्य के कटमोशन में उन्होंने जिक्र किया है कि लेडी टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के कार्य में लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। मैं समझता हूँ कि उसूलन इससे मतभेद की बात नहीं आती है, लेकिन दरअसल में इतनी लेडी टीचर्स उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं समझता हूँ कि ज्यों ज्यों वे उपलब्ध होंगी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तो वह ठीक होगा।

इसी प्रकार से लाइब्रेरी बुक्स के बारे में कहा गया है कि एक लिस्ट बना दी है, जिस लिस्ट के अन्दर विभाग में काम आने वाली बुक्स टीचर्स को खरीदनी पड़ती हैं। मुझे बताया गया है कि एक लिस्ट तो है, लेकिन लिस्ट के बाद दूसरी किताब खरीदना चाहे तो डिप्टी डाइरेक्टर की कन्सेन्ट लेकर वह खरीद सकता है, ऐसा सक्यूलर भी जारी किया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बुक्स के खरीदने के लिए ज्यादा अधिक स्वतन्त्रता होती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो पूरा स्वतन्त्रता नहीं होने के बारे में या होने के बारे में शिक्षा की डिमान्ड पर किताबों की खरीद के बारे में वह बहस बन जाती है। तो कानून कायदे और फाइनेन्स की दिक्कतों की वजह से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कुछ रिजिडिटी; मैं समझता हूँ, हुई है। नहीं हो तो ठीक है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई बार चोइस ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन चोइस के करने के बाद जो दूसरे दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं कि पब्लिशर से मिल गये, इस तरह की किताबें खरीद लीं, उन चीजों को एवोइड करने का एक प्रश्न डिपार्टमेंट के सामने रहता है कि इन्क्वायरीज़ हों, और ये सारी उलझनें पड़ती हैं।

मैं समझता हूँ कि खास खास जो मुद्दे उठाये गये उनके ऊपर संक्षेप में मैंने कुछ कहने का प्रयत्न किया है। स्कूलों को म्युनिसिपैलिटीज़ को ट्रान्सफर किया जाय और दूसरा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि मिडल स्कूल तक जिला परिषद् को ट्रान्सफर किये जायं, उसके बारे में मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि अभी शायद १०–१५ रोज पहले गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेट-अप की है जो कमेटी इसको इस लाइट में एग्ज़ामिन करना चाहती है कि राजस्थान में एक परम्परा एज्यूकेशन की ऐसी रही है कि प्राइमरी से लगा कर ऊंची से ऊंची शिक्षा गवर्नमेंट के हो जरिये सारी की सारी चली आ रही है। जब कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने तो वहां पर कुछ उन्होंने लिया है और इस तरह से एज्यूकेशन की व्यवस्था रही है। तो राजस्थान में कौन सा पेटर्न इवोल्व करें दूसरों जगहों के साधनों और अनुभवों को देखते हुए, इसके लिए एक कमेटी सेट–अप की है। उसमें इस सदन के शायद १, २ माननीय सदस्य भी रहेंगे, जो कुछ जगह का अध्ययन करके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, उसके बारे में राय देंगे और उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

म्युनिसिपैलिटीज़ को प्राइमरी स्कूलें देने के बारे में सरकार जल्दी ही निर्णय प्रकाशित करने वाली है। मैं समझता हूँ कि इससे माननीय सदस्यों के जो कटमोशन्स हैं उनकी बहुत ज्यादा पूर्ति होगी। ऐसा मान कर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ....

रावराजा श्री सरदारसिंह : मकानों की मरम्मत के बारे में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तीन-चार बातें और कहनी रह गई हैं। एक तो यह कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक किताब की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया कि इसमें कुछ जगह पर लिखा है वह अश्लील है, अच्छा नहीं है। मैं दुःख के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ कि उनका कहना सही है। इस प्रकार की कमियां हैं जिसे वे ध्यान में लाये, उसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। पहले भी ध्यान में आई हैं; गवर्नमेंट के ध्यान में भी थीं, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं थी, आदेश भी जारी किये गये हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि डिपार्टमेंट की तरफ से इस प्रकार की किताब क्यों आई....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): बोर्ड की तरफ से है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी की तरफ से हो, मैं समझता हूँ इस तरफ बात करते हैं तो ध्यान दिया जाना चाहिये।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आगे इस तरह की बात हो तो सही बात नहीं होगी ।

पुरानी इमारतों की मरम्मत करने के बारे में उनियारा के माननीय सदस्य ने कहा था कि इस पर ध्यान सरकार को रखना चाहिये । वैसे तो इस पर ध्यान रखने की बात आती है तो रखा जाना चाहिये । इस ओर ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहते हैं उनियारा के बारे में तो इस बात को मैंने नोट कर लिया है, इतना ही कहना चाहता हूँ ।....

श्री उपाध्यक्ष : जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में कट मोशन नहीं है इसलिये कुछ कहना नहीं है । लेकिन एक बात निवेदन कर दूं जिससे भ्रान्ति न रहे । डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को रखा था कि जहां पर डोनेशन चल रहे हैं और उनके आधार पर नाम चल रहे हैं उनको बदलना चाहिये । मैं समझता हूँ । यह उचित बात नहीं है क्योंकि जिस आदमी से एक बार वादा करके रुपये लेते हैं तो उस पर टिका रहना चाहिये । बांगड़ इन्जीनियरिंग कॉलेज जिस समय शुरू किया उस समय २० लाख से ही काम हुआ होगा, लेकिन आज यह बढ़ गया है । इसी तरह की और इन्स्टिट्यूशन्स की भी बात हो सकती है, लेकिन आगे के लिये हमने नियम बनाये हैं । ५० पर्सेन्ट रखा है या कितना रखा है, ठीक याद नहीं है, यदि कोई ५० पर्सेन्ट देता है तो व्यक्ति विशेष के नाम के साथ 'गवर्नमेंट' शब्द भी जोड़ा जायगा और ७५ पर्सेन्ट तक नॉनरेकरिंग में कोई डोनेशन देता है तो उसका पूरा नाम जोड़ा जायगा । इससे यह है कि सरकार को भी लाभ होगा और उसके साथ ही जो आदमी देना चाहते हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिससे उनका सहयोग मिलता रहे । मैंने इसे इसलिये स्पष्ट किया कि भ्रान्ति न हो।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): वैसे तो मेरा कहना ठीक नहीं है, फिर भी बता देना चाहता हूँ कि दो इन्स्टिट्यूशन्स दो गरीब आदमियों ने अपने पर्सनल एफर्ट्स से बनाये, एक जोबनेर में और दूसरा वनस्थली में और ये दोनों ही जोबनेर के रहने वाले थे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बात यह है कि माननीय सदस्य का विशेष एफर्ट रहा इसलिये दरअसल में जोबनेर में यह चीज कायम है । माननीय उपाध्यक्ष, इन्हीं शब्दों के साथ....

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : छबड़ा की गर्ल्स स्कूल के बारे में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि हाई स्कूल और मिडल स्कूल कहां खोली जायगी, कहां नहीं खोली जायगी एक एक के बारे में यहां बताना कठिन हो जायेगा। आपका ध्यान आकर्षित करने का काम था। मैंने नोट कर लिया है, लेकिन माननीय सदस्य आशा नहीं करेंगे कि मैं यहां निर्णय करूं ।

मुझे आप से यह निवेदन करना था इस मांग के सम्बन्ध में। मैं समझता हूँ, इस प्रकार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की कोई बहस खड़ी नहीं हुई, मुद्दे खड़े नहीं हुए जिसके लिये कोई माननीय सदस्य अपने कट मोशन विड्रा नहीं करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग में जो राजस्थान की सेवा करने का प्रयत्न किया है इस मांग पर सब कट मोशन्स विड्रॉ करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कट मोशन्स विड्रॉ करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री नागर ने ५ से ६ तक प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जो कटौती प्रस्ताव डॉ. बहादुरसिंह ने नं. १० से १६ और ७२ प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

श्री दलीपसिंह (बांरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री दलीपसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दलीपसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to withdraw my cut motions, Sir.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैं मेरे कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास, श्री पी.-के. चौधरी और रावराजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motions.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपने कट मोशन्स वापिस लेता हूँ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : आपका जो आश्वासन है उसको मान कर मैं अपना कट मोशन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं अपना कट मोशन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री अनूपसिंह और श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अनूपसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री नाथूलाल करोल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री किशनाराम ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

Page No.97

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा-मु.) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री किशनलाल शर्मा, श्री धन्नालाल हरित और श्री सम्पतराज जैन ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री सम्पतराज जैन : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री धन्नालाल हरित : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री लादूराम ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : I beg leave of the House to withdraw my cut motion...

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं अपना सं० १०७ का कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ और बाकी के कटौती के प्रस्ताव वापिस नहीं लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी रखता हूँ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री महेन्द्रसिंह पंवार ने प्रस्तुत किया है उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I withdraw. my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव संख्या १०७, am I corret श्री दयाकृष्ण विजय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : I withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री दयाकृष्ण विजय ने जो अन्य कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री मोतीलाल ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मोतीलाल : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,२७,३७,००० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १६

(३. ५३ म० प०)

मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन इत्यादि

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक एक डिमान्ड लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : I would satisfy the House as I am well supported by a decision of the Business Advisory Committee which says that...

१९६१ की अनुदान की मांगों पर मतदान । प्रतिदिन एक ही मांग पर विचार किया जाकर मतदान होगा । अगर समय हुआ तो अन्य मांगें भी ली जा सकेंगी ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : There are only seven cut motions which can be disposed of today.

श्री उपाध्यक्ष: Yes, if the House so decides, it will be too easy.

(विराम)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

डॉ० बहादुरसिंह : अभी डिमान्ड मूव नहीं हुई ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि डिमान्ड संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन तथा जल–निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) कार्यवाहक व्यय, १७–सिंचाई निर्माण कार्य (वाणिज्यक) पर व्याज, १८–अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्वों से अर्थ–प्रबन्ध किया जाता है, १८–सिंचन (संयुक्त) स्थापना, औजार और स्थिर यंयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१२,६६,००० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

[इस मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

डॉ० बहादुरसिंह :

(६) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर–डांग क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था पर वाद–विवाद करने हेतु) ।

श्री सूबेदारसिंह :

(११) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (नहरों के द्वारा समय पर पानी वितरण व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

(१३) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पार्वती बांध की डूब में आये ग्रामों को मुआवजा न मिलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकुलचन्द जाटव :

(१८) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (टोडा बांध की मरम्मत के विषय पर बहस करने हेतु ।)

श्री किशनलाल शर्मा :

(२०) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (बांध में डूबने वाली जमीन को समय पर मुआवजा नहीं देने पर बहस करने हेतु) ।

श्री सम्पतराज जैन :

(२३) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (कालीसिंह (हींचर) व भऊ बोरहा बांध की नहरों में आई जमीन के मुआवजे पर बहस करने हेतु) ।

(२४) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (नदियों के देहों के पानी का सिंचाई में उपयोग न किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(२५) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि

(श्री सम्पतराज जैन)

में १) रु० की कटौती की जाय (लघु सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा पर बहस करने हेतु) ।

(२६) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (महू–बोरदा बांध के डूब में आने वाले ग्रामों को हटाये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(२७) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (होक कैनाल की दुरुस्ती करने पर बहस करने हेतु) ।

(२८) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (साकरी बांध तथा नहरों की मरम्मत पर बहस करने हेतु) ।

(२६) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौति की जाय (डीग तहसील में सिंचाई साधनों के अभाव पर बहस करने हेतु) ।

(३०) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–,सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (गुड़गांव कैनाल की प्रगति पर बहस करने हेतु) ।

(३१) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पथेना कैनाल को आगे बढ़ाने पर बहस करने हेतु)।

श्री सोहनलाल भटनागर :

(३२) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सिंचाई विभाग को रेवेन्यू स्टाफ समाप्त नहीं किया जा रहा है उस पर बहस करने हेतु) ।

(३३) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

(३४) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द बंध के पानी का पूरा उपयोग नहीं किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री धन्नालाल हरित :

(३४) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल की नहरों में भी सिंचाई हेतु उद्वहन सिंचन (लिफ्ट इर्रिगेशन) योजना लागू न करने पर बहस हेतु) ।

(३५) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में

(श्री धन्नालाल हरित)

१) रु० की कटौती की जाय (कोटा जिले में लघु सिंचाई की योजनाओं की उपेक्षा पर बहस करने हेतु)।

(३६) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पार्वती बांध व नहर एवं अंडेरी की नहर की मरम्मत न करने पर बहस हेतु)]

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): लिस्ट नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई।

श्री उपाध्यक्ष : I just find out about the grievance.

डॉ० बहादुरसिंह : लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट आई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह : लिस्ट मिली नहीं है ।

श्री पी.के.चौधरी(फुलेरा): The list has not been circulated.

श्री उपाध्यक्ष : It is being distributed.

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करूंगा कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय। यह....

श्री पी० के० चौधरी : सूची नम्बर एक मिली है, सूची नम्बर दो नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Just coming to you.

डॉ० बहादुरसिंह : यह जो कट मोशन मेरा है, यह इस सम्बन्ध में है कि धौलपुर का

(डॉ० बहादुरसिंह)

डांग एरिया है वह छोटा है लेकिन इससे माननीय गृह मन्त्रीजी को सबसे ज्यादा दु:ख है और उनका बहुत ज्यादा खर्चा और उनको परेशानी होती है....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : शुक्रिया, आपने इतना ख्याल अता फर्माया ।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर का डांग एरिया है, उसमें इतने डिस्टरबेन्स होते हैं कि उस एरिया में पुलिस के ऊपर काफी खर्चा करना पड़ता है आर. ए. सी. और दूसरी फोर्स लगाने के लिए। राजस्थान में शांति–व्यवस्था कायम रहे, उसको कायम रखने के लिए सिंचाई मन्त्री महोदय को सहायता करनी चाहिए। बात यह है, मैंने पिछली दफा भी कहा था, दो–तीन जगह हैं, जहां बांध बना दिया जाय, एक तो रात का खार, और तीन चार खार हैं।

३. ५५. म. प.

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति पदासीन)

तो छोटे छोटे बांध हों तो इससे हमारे लॉ एण्ड ऑर्डर पर होने वाला खर्चा बचेगा और खर्चा बचने के साथ एरिया में क्राइम करने की मनोवृत्ति है उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा क्योंकि वहां रहने वाले लोगों की स्थिति सुधरेगी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे जिससे जिस एरिया में ज्यादा डिस्टरबेन्स हो रहे हैं उसका विकास हो सकेगा और उसके साथ साथ दूसरी परेशानी मिट सकेगी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में कुछ आश्वासन देंगे।

श्री सभापति : श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं इस बारे में अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करता हुआ सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जहां आज करोड़ों रुपये बांध में लगा कर किसानों की आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए आबपाशी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती जा रही है वहां हम देखते हैं कि जब काश्तकार अपने खेतों में फसल बो देता है और जिस समय पर उसको पानी की जरूरत है उस समय पानी की अवहेलना होती है, पानी ठीक समय पर हमको नहीं मिल सकता है। सभापति महोदय, इस वास्ते मैं कहूँ कि अक्सर किसान लोग अक्टूबर के महीने में खेतों में बीज बो दिया करते हैं और नवम्बर के महीने में काश्तकार को पानी देने की आवश्यकता पड़ जाया करती है। इस साल गेहूँ जहां अक्टूबर के महीने में बोया गया उस गेहूँ को पानी जनवरी के महीने तक नहीं मिल सका। उससे किसानों की खेती की हालत जो सुधरने वाली थी और जो बीज डाला था, उसके जरिये से उनको अच्छी रिटर्न मिलने वाली थी, वह ढंग से नहीं मिल सका। सभापति महोदय, अगर यह हालत रही तो मैं महसूस करता हूँ कि यह जो राज्य सरकार हर साल खर्चा करती जा रही है, बड़े-बड़े बांध बनाती जा रही है, नहरों के जरिये पानी देती हैं, पानी इकट्ठा होकर खेतों में जाता हैं, हमारी नहरों की सफाई न होने के कारण बर्बाद हो जाता है और किसानों को फायदा नहीं हो सकता।

(श्री सूबेदारसिंह)

इसलिए इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह ठीक से नहरों की व्यवस्था करे, ठीक से सफाई करे। नवीं के सागर, जो धौलपुर में है उससे पंचगांव के खेतों में पानी जाता है। वह पानी ठीक समय पर न मिलने के कारण खेती बर्बाद हो चुकी है। अब आखिर में पानी मिलने की बात हुई, अब पानी खोला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नहरों का पानी ठीक समय पर मिलना चाहिए।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि पार्वती बांध में जो गांव डूब में आ गये हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। सभापति महोदय, कुछ गांव ऐसे थे, जहां सदियों से लोग बसते चले आ रहे थे और अपनी खेती और दूसरे रोजगार चलाते थे। पार्वती बांध बनने से ३० हजार एकड़ में खेती की जा रही थी, कुछ गांव डूब में आने से बर्बाद हो गई, खेत डूब गये। वहां के किसान दूसरी दूसरी जगह चले गये और पक्के पक्के मकान, बाजार डूब गये और जमीन बर्बाद हो गई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न आया करते हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। यह कह कर सभापति महोदय, मैं बैठ जाना चाहता हूँ कि पार्वती बांध में जो गांव डूब में आये हैं, उस कारण जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए उनको शीघ्र मिल जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लछ[illegible]) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (टोडा बांध की मरम्मत के [illegible] पर बहस करने हेतु)। दूसरा एक और मेरा कटौती प्रस्ताव था पर वह आया नहीं। टोडा बांध लछमणगढ़ तहसील में है। इस [illegible] की मरम्मत के लिये अलवर में ए[illegible] इन्जीनियर हैं उनसे मैं मिला। उन्हों[illegible] अपने नीचे के अधिकारियों से पूछताछ की, जांच पड़ताल की और माना कि इस [illegible] की मरम्मत हो जाय तो अच्छा होगा [illegible] कहना उचित नहीं समझता। मैं स[illegible] हूँ, इस पर जरूर ध्यान दिया जायगा।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद [illegible]।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल शर्मा।

श्री किशनलाल शर्मा(नाथद्वारा): सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (बांध में डूबने वाली जमीन का समय पर मुआवजा नहीं देने पर बहस करने हेतु)।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा तहसील में बनास नदी पर एक बांध बांधा गया था और उस बांध से सिंचाई हुए करीब दो साल हो गये पर उस बांध में आने वाली जमीन का मुआवजा उन जमीनों के मालिकों को अभी तक नहीं चुकाया गया है। इसके अलावा मेरा एक और भी कटौती प्रस्ताव था, वह भी शायद अब आ गया। इस बन्ध की डूब में आने वाले गांव वालों ने तहसीलदार से लेकर मिनिस्टर साहब तक अप्रोच किया पर उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार को कल्पना करनी चाहिये कि जिन लोगों की जमीनें डूब में आ गईं उन किसानों को तीन–तीन, चार–चार साल तक मुआवजा नहीं देना और जो डूब में जमीनें आई हैं उनको जमीनें नहीं दी जायं और यह नारा दिया जाय कि हम देश को, प्रान्त को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें शक नहीं है कि सिंचाई की दृष्टि से देश आगे बढ़ रहा है, उत्पादन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, उनकी हालत क्या हो सकती है। इसलिए किसानों को या तो जमीनें दी जानी चाहिये या मुआवजा शीघ्र दिया जाना चाहिये। हमारे वहां मादड़ी का बांध बन्धा! उस नहर के एक हिस्से में काश्तकार रहते हैं। उनकी जमीनों को उस नहर से पानी मिलता है और दूसरे हिस्सेवाले काश्तकार अपनी जमीन के पास से बहता हुआ पानी देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारी तहसील से बाहर पानी लोगों को मिल रहा है पर हमें इसी तहसील के रहने वालों को नहीं मिलता। मन्त्रि मण्डल की बैठक उदयपुर में हुई तो काश्तकारों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। पर आज तक नाथद्वारा तहसील के काश्तकारों को जो उस नहर का पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। पानी देने से पूर्व एग्जीक्युटिव इन्जिनियर ने इस तरह की गलतफहमी पैदा की कि तालाब में इस साल पानी नहीं है, राजसमन्द और रेलमगरा तहसीलों को पानी नहीं दिया जायगा। इसकी जांच और अधिकारियों ने को और कलेक्टर साहब भी बीच में पड़े और जांच कराई तो मालूम हुआ कि बन्ध में पूरा पानी है। इस प्रकार की गलतफहमी फैलाने से कई किसान पन्द्रह पन्द्रह दिन काश्त करने में पीछे रह गये। बाद में फसल करने के कारण उनकी फसल पीछे पड़ गई। तो मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमारे करोड़ों रुपये लगते हैं और लाखों रुपया खर्च होता है और एक विभाग का एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर इस प्रकार की गलतफहमी पैदा करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो एक तरफ तो जहां पानी है वहां पानी के वितरण में व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ इस तरह की गलतफहमी पैदा की जाती है।

आज तालाबों में पानी है, पानी होते हुए भी एक एक महीने तक नाथद्वारा तहसील के गांवों को पानी नहीं दिया गया है। मादड़ी गांव है, उसमें एक महीने से पानी नहीं दिया गया है। जब एक चार्ज करते

(श्री किशनलाल)

हैं, किसानों की सुनते नहीं, दूसरी तरफ लाखों रुपया खर्च करके किसानों के लिये बांध बनाते हैं और दूसरी तरफ अधिकारी इस प्रकार की गलतियां करते हैं। इस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

बेटरमेंट लेवी का सवाल हमारे जिले में चल रहा है। इस तरह बेटरमेंट लेवी लांच कर दी है कि जमीनों का तो पता नहीं है और बेटरमेंट लेवी के पर्चे दे दिये गये हैं कि इतनी लेवी वसूल की जायगी, जब कि उनकी जमीनों को पानी नहीं दिया गया है। विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के आदेश स्पष्ट हैं, फिर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती ? तो मेरा कटौती प्रस्ताव इन्हीं शब्दों के साथ पेश करता हूँ कि जो जमीनें बन्ध में डूब गई हैं उनका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाने की व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतराज जैन।

(४. म० प०)

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव नं० २३, २४, २५ और २६ हैं, चारों एक साथ पेश करता हूं।

झालावाड़ जिले में पहली और दूसरी पंचवर्षीय-योजना में एक भी बड़ी सिंचाई योजना प्रारम्भ नहीं की गई। केवल वे ही सिंचाई योजनाएं जिनको मध्यम सिंचाई योजना कह सकते हैं सन् ५२–५३ में प्रारम्भ की गई थीं। वे दोनों सिंचाई योजनाएं अब तक अपूर्ण हैं और उनसे आज तक सिंचाई नहीं हो रही है। पहली पंचवर्षीय योजना बीत गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना के केवल दस–बारह दिन रह गये हैं, पर वहां दोनों सिंचाई योजनाएं अपूर्ण हैं।

कालीसिंध योजना शुरू हुई थी। उस सिंचाई योजना में जितना अनुमान किया गया था बांध के लिये उससे सवा दो गुना अधिक पैसा खर्च हुआ। नहरों का जहां सवा दो लाख का अन्दाज था वहां साढे चार लाख खर्च हुए और इस तरह दोनों योजनाओं में १८ लाख के स्थान पर २२॥ लाख का खर्चा हुआ, पर आज तक उससे कोई सिंचाई नहीं की गई। कालीसिंध बांध सन् ५९–६० में टूट गया। उसकी फिर मरम्मत की गई दूसरी बार फिर टूट गया। फिर मरम्मत कराई गई। पहली बार टूटा तो भी सरकार ने जांच नहीं कराई कि किसकी गलती से यह टूट गया और फिर दूसरी बार और टूट गया, अभी तक उससे कोई सिंचाई नहीं की गई है। और इस तरह मैं कह सकता हूं कि झालावाड़ जिले में सिंचाई के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग फेल हुआ है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बिजली के मामले में ?

श्री सम्पतराज जैन : उसमें तो हमारे ही मन्त्री हैं।

दूसरी सिंचाई योजना हुई उसकी भी यही हालत हुई। कोटा स्टेट के समय में यह योजना

(श्री सम्पतराज जैन)

तैयार की गई थी । उस समय देखा गया कि इस योजना पर पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और इससे जनता को लाभ भी नहीं होने वाला है । तो जांच के बाद स्टेट ने इस योजना को बन्द कर दिया । १९५३ में बिना विचारे ही इस योजना को शुरु कर दिया गया । तब तखमीना किया गया था कि कितना रुपया खर्च होगा, कितनी ऊंचाई तक ले जाना होगा और कितनी जमीन की सिंचाई इससे होगी । इन तीनों बातों में सरकार फेल हुई है और इसलिये १९६० में गत वर्ष केबिनेट जब झालावाड़ आई वहां पर भी निवेदन किया गया और यहां पर भी निवेदन किया था कि यह योजना तैयार करनी है, इसलिये सर्वे किया जावे । १९६० के मई या जून में सर्वे हुई और फिर योजना बनाई । मगर नतीजा यह हुआ कि अभी तक कोई भी योजना शुरु नहीं हुई है । खानपुर तहसील पर दो बांध बन रहे हैं । दोनों बांधों में जो नहरें बनाई गई उनमें खानपुर तहसील की काफी गांव वालों की जमीनें ली गई हैं मगर आज तक बावजूद सदन में कई बार प्रश्न पूछे जाने पर भी उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । काश्तकारों की तरफ से मुआवजे की बात कही जाती है तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह कहते हैं कि कागज़ात तैयार हो रहे हैं । कलेक्टर के पास कागज़ात पड़े हैं और काश्तकारों को अभी तक सिंचाई विभाग की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया है । काफी मांग की गई कि उनको मुआवजा दिया जाए मगर अभी तक नहीं दिया गया ।

इसके अलावा खानपुर तहसील का जिला ऐसा जिला है जहां की भूमि हाड़ौती के जिले के समान उपजाऊ है । कोटा जिले में इस प्रकार की उपजाऊ जमीन है । यहां पर जमीन का मुआवजा लगान का १५ गुना देने का तय किया गया है । लेकिन चम्बल में हाड़ौती, बारां, और मांगरोल आदि तहसीलों में जो जमीनें आई हुई हैं, उनकी वहां पर जो जमीनें ली गई हैं उनका ४० से ७५ गुना तक मुआवजा देने का तय किया गया है । मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार दो तरफी चाल चल रही है । एक तरफ तो हाड़ौती का जो इलाका है उसका मुआवजा ४० से ७५ गुना और कोटा में भी ७५ गुना मुआवजा देती है । मगर खानपुर के काश्तकारों को इतना कम मुआवजा देकर इन काश्तकारों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, जबकि उनकी जमीन उन हाड़ौती और कोटा आदि की जमीनों से कम उपजाऊ नहीं है ? इसके अलावा आप मुआवजा भी देंगे तो जमीन लेने के १० या १२ वर्ष बाद दे रहे हैं और फिर वह मुआवजा भी इतना कम सिर्फ १५ गुना ही दे रहे हैं । यदि १) रुपया बीघा लगान हो तो १५) रुपये ही हुये । अगर १॥) रुपया हुआ तो २२॥) रुपया होंगे । मैं यह कहूँगा कि यह झालावाड़ जिले के काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है । इस अन्याय को दूर करना चाहिये और उनको किसी तरह से भी कोटा बांध से निकली हुई नहरों व चम्बल आदि एरिया में जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा जिस रेट से दिया गया है उस रेट से खानपुर तहसील के काश्तकारों को भी मुआवज़ा दिया जाना चाहिये । यही मांग मैं सिंचाई मंत्री से इस कटौती प्रस्ताव द्वारा करता हूँ ।

दूसरा मेरा नं० २४ का कटौती का प्रस्ताव है । इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा

(श्री सम्पतराज जैन)

कि झालावाड़ में ६ बड़ी बड़ी नदियें हैं और उनमें ५४ देह ऐसे हैं जहां काफी पानी रहता है। सैकड़ों वर्षों में जमीन में एक–एक मील लम्बे, दो–दो मील लम्बे और एक–एक मील चौड़े और तीस–तीस और पैंतीस पैंतीस हाथ गहरे नदी के खड्डे भरे हैं और वे इतने काफी तादाद में हैं और उनमें इतना पानी है कि उनसे हजारों, लाखों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। यह मामला दो–तीन वर्ष पहले राजस्थान सरकार के सामने रखा गया था। अभी गत वर्ष जब केबिनेट झालावाड़ आई थी उस समय भी यह मामला केबिनेट के सामने रखा गया था कि इसकी सर्वे कराई जावे। यहां पर ५४ देह ऐसे हैं जिससे दो, तीन हजार बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। जब इनसे सिंचाई हो सकती है तो फिर नदियों के इस पानी का क्यों नहीं उपयोग किया जाता है ? राजस्थान सरकार सैकड़ों रुपये लगा कर जमीन के नीचे से पानी निकाल कर सिंचाई के लिये काम में लाती है तो मैं नहीं समझ पाता कि झालावाड़ जिले के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है कि इस पानी का उपयोग नहीं किया जाता। जब सरकार के सामने यह मांग रखी जाती है तो सरकार की ओर से यह जबाब दिया जाता है कि सहकारी समितियां बना कर इस कार्य को किया जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या यह उन सहकारी समितियों के लिये उपयुक्त होगा ? आप जानते हैं कि मामूली सहकारी समिति को लोग अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जो 'ए' क्लास की सहकारी समितियां होती हैं वे 'बी' में आ जाती हैं और 'बी' की 'सी' में और 'सी' की 'डी' में चली जाती हैं। तो यह काम सहकारी समिति द्वारा नहीं कराया जा सकता। यहां तो सिंचाई पंपिंग सेट से होनी चाहिये और किसी तरह से पानी का उपयोग होना चाहिये। इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इन ५४ देह से करीब १॥ लाख बीघा की सिंचाई हो सकती है। फिर वहां जमीन भी कैसी है, वह मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। बात सिंचाई की रहती है। वहां पर आप देखेंगे कि बीघा भी १३ बिस्वा का ही है। अगर दूसरी जगह की तरह से बीघा होता तो और भी ज्यादा पैदावार हो सकती है। जब बगैर सिंचाई के भी ५ या ६ मन प्रति बीघा पैदा किया जाता है तो अगर दो फसल हो जाए और सिंचाई होने लगे तो पैदावार बहुत बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ कि २० मन प्रति बीघा पैदावार हो सकती है। इस प्रकार से २० लाख मन उन देह का पानी का उपयोग करने से पैदावार बढ़ सकती है और इससे काश्तकारों की आमदनी बढेगी और राज्य सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी और हर तरह से काश्तकार को, सरकार को और जनता को लाभ ही लाभ होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि झालावाड़ में बिजली आने वाली है और उसे एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये प्रयोग में लाई जावेगी। इसलिए इन ५४ देहों पर सरकार की ओर से बिजली लगा कर उपयोग किया जावे तो बहुत फायदा होगा और पब्लिक की ओर से जो इमदाद की जरूरत होगी वह सरकार को मिले।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव २५ नम्बर पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि झालावाड़ जिले में जैसा मैंने पहले निवेदन

(श्री सम्पतराज जैन)

किया कि बड़ी-बड़ी सिंचाई योजना यहां पर नहीं हो पाई, न प्रस्ताव स्वीकार किया गया। दूसरी मध्यम वर्ग की योजना के हिंचर और भीमसागर बांध भी पूरे नहीं हुए। अब तीसरी योजना है वह लघु सिंचाई योजना है और मैं समझता हूँ कि यहां पर इसके लिये काफी बड़ा स्कोप है। यहां पर जमीन में १० या १५ या २० फिट खोदने पर पानी निकल जाता है और करीब करीब पानी ऊपर ही है। इसलिये कुंओं के द्वारा सिंचाई हो सकती है और इसके लिये किसानों को मदद देकर आप कुंए बनवा सकते हैं। अब तक झालावाड़ जिले में १० प्रतिशत खेती सिंचाई के आधार पर है और ६० प्रतिशत सिंचाई के लिये बाहर पड़ी है। कुल एरिया ६६,७५,००० एकड़ पर आता है। ६ लाख एकड़, १० पर्सेन्ट एरिया के हिसाब से झालावाड़ के अन्दर सिंचाई में आता है। जब यहां पर बड़ी सिंचाई योजना पूरी नहीं हुई, मध्यम वर्ग की योजना पूरी नहीं हुई तो छोटी–छोटी योजनाओं को अगर सरकार झालावाड़ जिले के लिये लागू नहीं करेगी तो झालावाड़ जिले की उपेक्षा ही होगी। यहां पर नालों और तालाबों के जरिये सिंचाई हो सकती है। काश्तकारों को तकावी देकर लघु सिंचाई योजना से झालावाड़ जिले में ५० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। अभी वहां पर १० प्रतिशत सिंचाई के साधन हैं और सरकार का ध्यान इस ओर न होने से ६० प्रतिशत जमीन पर सिंचाई नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि मध्यम योजना अगर कारगर नहीं है तो यह सिंचाई लघु योजना अवश्य कारगर हो सकती है। अब तक बड़ी नहीं, मध्यम वर्ग की योजना भी यहां चालू नहीं हुई; मगर मैं यह कहूँगा कि अभी तक एक भी छोटी योजना भी यहां पूरी नहीं हुई है। २५ हजार से कम जिस योजना में खर्च होता है वह लघु योजना है उसमें भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है।

मैं अभी भी लघु सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक तहसील से काश्तकारों की कुओं के लोन के लिये दर्ख्वास्तें आई हुई पड़ी हैं। अगर उनको ५००), ६००) या ८००) रु० का लोन दे दिया जाता है तो प्रत्येक काश्तकार कुआं बना सकता है और ६ महीने के बाद वह उसका उपयोग कर सकता है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी ?

राजस्थान सरकार बड़ी–बड़ी योजनायें बनाती है, मध्यम योजनायें भी बनाती हैं, लेकिन वे दस-दस साल तक पूरी नहीं होती। काश्तकारों को पांच सौ रुपयों का लोन दिया जाता है वह भी पूरा नहीं पड़ता। यदि उनको पूरा लोन दिया जाय तो छः महीने बाद ही देखिये कि किसान और उसका सारा परिवार मदद देकर सिंचाई शुरू कर देते हैं। किसानों के आवेदन पत्र प्रत्येक तहसील और पंचायत समिति में पड़े हुए हैं और उनकी तादाद तीन लाख के लगभग है। कई दफा इस विषय में सदन के सामने निवेदन किया गया, मंत्री महोदय से निवेदन किया गया; लेकिन सरकार के कान पर जूं ही नहीं रेंगती। आप किसी भी पंचायत समिति और तहसील का रेकॉर्ड मंगा लीजिये आपको मालूम हो जायगा कि काश्तकारों को कितनी दर्ख्वास्तें पड़ी हुई हैं, उनकी तादाद मैं आपको बता

(श्री सम्पतराज जैन)

रहा हूँ कि तीन लाख है। सरकार देती है उनको पांच सौ-चार सौ रुपया, वह रुपया लोन का केवल पांच प्रतिशत लोगों को ही मिल पाता है, वह भी पूरा नहीं। सरकार को चाहिये तो यह कि कम से कम ५० लाख रुपया उनको लोन के बतौर दे दे। वहां के जिले में सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था होना सम्भव हो सकता है। न तो सरकार पूरी तरह से सर्वे करा कर बड़ी योजनायें बनाती हैं और बनती भी हैं तो वे योजनायें दस दस साल तक भी पूरी नहीं होती, न मध्यम योजनायें बनाती हैं और न ही सरकार पूरा लोन ही देती है तो फिर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, और देश में उत्पादन बढ़ाने का जो सरकार का नारा है वह गलत रहता है। सरकार को इस प्रकार का फिर नारा नहीं लगाना चाहिये। तो इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और खास तौर से मन्त्री महोदय से कि छोटी योजनाओं को स्वयं विभाग द्वारा तैयार करावें और लगभग २० लाख रुपया झालावाड़ जिले को सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए काश्तकारों को लोन के बतौर मंजूर फरमायें।

चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव है मऊ कोटला बांध में असनावर और सात अन्य गांव डूब में आने वाले हैं उनको न हटाये जाने बाबत। इस बांध के लिए कोटा स्टेट के जमाने में सर्वे कराया गया था, फिर यह बताया गया कि यह सिंचाई योजना ठीक ढंग से सक्सेस नहीं होगी और सरकार द्वारा जो निर्धारित किये गये लक्ष्य हैं वे पूरे नहीं होंगे तो कोटा स्टेट ने उस योजना को छोड़ दिया था लेकिन राजस्थान सरकार ने बिना सोचे-समझे, बिना ठीक ढंग से उसका सर्वे कराये, उस योजना को चालू कर दिया। योजना चालू हो गई, इसकी डूब में आने वाले सात गांव हैं और आठवां आता है असनावर जो कि गांव नहीं है किन्तु एक बड़ा कस्बा है। काफी आबादी है। कोटा स्टेट का यह एक बड़ा कस्बा था, अस्पताल वगैरह है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सन् ६० तक उस असनावर गांव को डूब में आने का नोटिस नहीं दिया। सन् ५३ से यह योजना बनी थी! पिछले ८ साल से इसके लिए सरकार की ओर से नहीं बताया गया कि यह गांव डूब में आवेगा। इससे गत सात सालों में लाखों की इमारतें नयी बन गई और पहले भी बहुत इमारतें थीं। सरकार को यह मालूम होना चाहिये था कि यह कस्बा डूब में आवेगा तो फिर सरकार को पहले से ही ऐलान करना चाहिये जिससे कि इन सालों में जो काम हुए हैं, इमारतें आदि बनी हैं और नये सिरे से जो सात आठ लाख रुपयों की लागत लगी है वह नहीं लगती। सरकार की भी चीज बनी है। सरकार को और गांव वालों को यह नहीं मालूम था कि यह डूब में आवेगा। पहले इस बांध को ७५ फीट का बनाने की योजना थी। उसकी जगह इसको १०१ फीट का किया गया, फिर भी असनावर गांव को डूब में आने का नहीं बताया गया। राजस्थान सरकार को यह बताया जा चुका था कि ४० हजार बीघा की सिंचाई सरकार करना चाहती है वह नहीं हो सकेगी इसलिए इस बांध को १०१ फीट की जगह १३८ फीट किया जाय। जब यह बात हुई तो सन् १९६० के मई महीने में असनावर गांव को यह नोटिस दिया गया कि इस गांव से हट जाओ। यह बांध की डूब में आने

(श्री सम्पतराज जैन)

वाला है। आगे से कोई निर्माण कार्य न कराये जाय क्योंकि यह गांव डूब में आने वाला है, इस बाबत सिंचाई मन्त्रीजी से भी और जब केबिनेटकी मीटिंग अप्रेल में हुई तो उनसे भी निवेदन किया गया था कि इसकी पूरी तरह से सर्वे कराई जाय और असनावर गांव को वहां से न हटाया जाय और हटाया जाता है तो जितने भी नये सिरे से निर्माण के काम हुए हैं उनका ७-८ लाख रुपया और जो पहले थे उनका ७-८ लाख रुपया सरकार को मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। सन् ५३ से लेकर ६० तक यह बांध शुरू है। डूब का नोटिस नहीं दिया गया, ७-८ लाख की लागत पहले लगी हुई थी, ७-८ लाख की लागत फिर लग गई। इस तरह से वहां पर १८-२० लाख की लागत लगी हुई है। सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां गांव वालों की १८-२० लाख की लागत पहले ही लग चुकी है और उनको ७-८ लाख रुपया मुआवजा किस प्रकार से दे रहे हैं ? सरकार की गलती थी कि सन् ५३ से लेकर ६० तक लोगों को कभी भी यह नहीं चेताया कि यह गांव डूब में आने वाला है। सरकार की यह भी गलती थी कि सरकार ने निश्चित रूप से इसका सर्वे नहीं कराया, न ही सरकार ने कोई इस प्रकार का नोटिस दिया कि निर्माण के कार्य न कराये जायं। यह सब सरकार की गलती थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि असनावर गांव को हटाना ही जाना है और डूब से नहीं बचाना चाहते हैं; चाहिये तो यह था कि इसको बचाते, लेकिन नहीं बचाना चाहते हैं तो उनको ठीक तरह से मुआवजा दिया जाय, सात गांव वाले हैं उनको भी ठीक प्रकार से मुआवजा दिलाया जाय। पहले उनके प्रतिनिधियों से बात करके, निश्चित करके ठीक तरह से मुआवजे की रकम का तय किया जाय। यह भी उनके साथ विचार किया जाय कि उनको ठीक प्रकार से ठीक समय पर पेमेन्ट कर दिया जायगा और उनको साल भर के अन्दर दूसरी जगह ठीक प्रकार से बसा दिया जायगा। न तो मुआवजा दिया गया और न ही उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया और ८-६ लाख रुपये का मुआवजा देने का तय कर दिया जब कि उनकी १८-२० लाख की लागत पहले ही लग चुकी है। यह असनावर और सात गांव वालों के साथ सरकार का सरासर अन्याय है। उनके मकान, बाजार, खेती की जमीनें आदि सबका मुआवजा उनको मिलना चाहिये और मुआवजा पूरा दे देने के बाद ही उनको हटाया जाना चाहिये, नहीं तो असनावर और सात गांव वालों को वहां से हटने के लिये बाध्य न किया जाये।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, इस शीर्षक के अन्तर्गत मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं जिनका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है।

सभापति महोदय, आरम्भ में मैं आपके द्वारा अपनी सरकार को इस बात की सूचना दूं कि भरतपुर की भूतपूर्व रियासत किसी जमाने में अपने बांधों और नहरों के लिए प्रख्यात रही है। मैं समझता हूँ, लगभग ६०, ७०,८० वर्ष पहले भी वहां पर बहुत अच्छे ढंग के बांध और उन बांधों से बहुत अच्छी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहरें निकाली गई थीं, जिन नहरों के द्वारा न केवल सिंचाई की व्यवस्था होती थी बल्कि वहां के खारे क्षेत्र को मीठा बनाने में बहुत सहायता मिलती थी। वे बांध बहुत अच्छे २ कुशल इंजीनियरों के द्वारा तैयार कराये गये थे और उनकी मरम्मत प्रायः प्रतिवर्ष होती रहती थी। इस प्रकार जो नहरें थीं वे भी अच्छे ढंग से निकाली गई थीं और उनकी खुदाई और गहराई प्रायः प्रतिवर्ष होती रहती थी। उनके ठीक तरह के आउट लेट्स बनते थे और उससे किसानों को बहुत फायदा होता था और किसी जमाने में बहुत अच्छी ईख की खेती, कपास की खेती और जो भी अच्छी कमर्शियल क्रॉप होती है, उनमें अच्छी होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब दस-पन्द्रह साल के अन्दर वह सारी व्यवस्था एक प्रकार से नष्ट-भ्रष्ट सी हो चुकी है। कुछ बांधों की मरम्मत तो होती है लेकिन कुछ बांध ऐसे भी हैं जो शायद पिछले बीस तीस सालों से नेग्लेक्टेड रहे हैं और आज तक जमींदोज हो चुके हैं, उनके चिन्ह भी नहीं। पुराने, बूढे लोग बताते हैं कि यहां बांध था, नहरें भी थीं। वे प्रायः भूमिसात् हो चुके हैं। बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि वहां नहरें थीं, बांध थे। तो जो प्रस्ताव रखा है, ऐसी ही पक्की नहरों और बांधों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के लिए।

श्री सभापति : I hope, you have moved them altogether.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, इसको होम केनाल नाम देते हैं होम केनाल की दुरुस्ती के लिये यह कटौती प्रस्ताव है। होम केनाल भरतपुर की बहुत पुरानी और सबसे पुरानी नहर है, उत्तर सिरे से निकलती है और लगभग चार-पांच तहसीलों में होती हुई वह दूर दक्षिण तक पहुँच जाती है। उत्तर में नगर तहसील में होती हुई डीग, भरतपुर, कुम्हेर तहसील से गुजरती हुई यू० पी० के सिरे तक लग जाती रही थी। अभी भी कहीं कहीं वह जरूर उस हालत में मिलती है जिसको नहर कह सकते हैं लेकिन कितनी ही जगहों पर इसके दोनों तरफ जो दीवारें है, वे तहस नहस हो चुकी है। रूपारेल नदी जो अपना पानी भरतपुर ले जाती है और जिससे सीकरी का बांध भरता है वह नहर यहीं से निकलती है, वह नहर भर चुकी है, जिस नहर से होती हुई, वह नदी प्यासी भूमि को सिंचित करके उर्वरा बनाती थी, इधर उधर फैल जाती है। सब से पहले जो इसके लिये काम है वह यह कि इसका पहले सर्वे कराया जाय और देखा जाय कि कहां कहां केनाल ठीक दशा में है और कहां कहां नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : Thre is no quorum, Sir.

श्री सभापति : Let the quorum bell be sounded ?

(गण-पूरक घंटी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगर उसको देखा जाय तो उससे यह पता पड़ेगा कि वह नहर कितनी जगहों से टूटी हुई है और इस तरह से उस पानी का सदुपयोग होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सम्बन्धित मंत्री महोदय और

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उनका विभाग इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करेगा।

इसी तरह से मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है सीकरी बान्ध की दो नहरों की मरम्मत के बारे में।

सीकरी बांध भरतपुर में पहला बान्ध नहीं तो दूसरे नम्बर का बांध हैं। और लगभग यह चौदह पन्दह मील लम्बा बांध है। किसी समय में उसमें कई बड़े बड़े मोरे थे, जिनमें से होकर पानी बाहर जा सकता था। इस बान्ध को बहुत ही सुव्यवस्थित बान्ध माना जा सकता था। लेकिन कुछ कालान्तर के बाद उसकी मरम्मत और दुरुस्ती नहीं होने के कारण आज उसकी हालत बहुत खराब है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि रूपारेल का पानी बरसात में एक साथ पहुंच जाता था वह बांध उस पानी को रोकने में असमर्थ हो गया है उसके कारण नगर के पास जो पहाड़ी तहसील है और दूसरी तहसील है वहां तक उसका पानी पहुँच जाता है और व्यर्थ में वहां की फसल को खराब कर देता है। उस बांध के अन्दर भी पानी का रहना बहुत आवश्यक है उसकी पूर्ति भी वह नहीं कर पाता। सब से पहली मांग है कि सीकरी बान्ध जहां से उसकी टूट फूट हो गई है उसको दुरुस्त कराया जाय और इसी तरह से उसमें जो पानी की मोरी रखी हुई है वह भी कई स्थानों से टूट-फूट गई है। उसके लिये किसी जमाने में शटर्स रहते थे आज वहां सिर्फ तख्ते लगा दिये जाते हैं इसका उपयोग वहां के रहने वाले मन चाहे तब कर लेते हैं, बिना सिंचाई विभाग की अनुमति लिये उनके तख्तों को हटा दिया जाता है और चाहे जब बन्द कर दिया जाता है। अगर बाकायदा शटर्स लगा दिया जाता है तो आवश्यकता के समय उस पानी का उपयोग हो सकता है। इसी तरह से उसमें जो नहरें निकली है, उनकी खुदाई नहीं होती, उसको गहरा नहीं किया जाता है, तो जो पानी कृषि योग्य भूमि में पहुँचना चाहिये वह काफी इधर-उधर फैल जाता है जिसके कारण खास तौर से बरसात के दिनों में उस पानी से बाढ़ की सी हालत हो जाती है। जो गांव पुराने बसे हुए हैं, पानी इधर-उधर से निकल कर जाता है, इससे सारा गांव पानी से घिर जाता है। इससे उस पानी से सदुपयोग होने के स्थान पर दुरुपयोग होता है। सीकरी बान्ध को खास तौर से निकलने वाली नहरों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सीकरी बांध के अलावा छोटे छोटे बान्ध और भी है। एक बांध है, जो हजारा बान्ध कहलाता हैं, जिसको और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी देखे तो वह बान्ध किसी समय में किया गया था, एक मील ले जाकर छोड़ दिया गया। इस प्रकार से कई बान्ध हैं, जो एक एक फर्लांग ले जाकर छोड़ दिये गये हैं, न मालूम उनको किस तरह से खत्म कर दिया गया है। जो बांध पूरे आकार के बनने चाहिये थे उतने नहीं बन पाये, इसलिये उनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। सीकरी बांध से सम्बन्धित और भी छोटे छोटे बांध हैं उनको भी ठीक किया जाना चाहिये जिस आकार के वे होने चाहिये उस आकार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है डीग तहसील में सिंचाई साधनों के अभाव पर बहस करने हेतु। डीग तहसील में भरतपुर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

एक ऐसी तहसील है, जैसा कि मैंने बताया यहां पर तीन-चार तहसीलों में ठीक तरह के बान्ध हैं और बान्धों से निकलने वाली नहरें है। लेकिन डीग तहसील में दुर्भाग्य से ऐसे स्थान पर जहां कोई नहर नहीं पहुंचती है, जिस समय यू० पी में अंग्रेजी शासन था उधर के इन्जीनियरों से बात–चीत करके उधर से आगरा केनाल से पानी लिया करते थे, छोटी छोटी नालियों से होकर। वे चाहे जब देते थे। वह पानी ज्यादातर डीग तहसील में आता था।

भरतपुर की सारी व्यवस्था ऐसी है कि कृत्रिम रूप से वहां पानी की व्यवस्था न की जाय तो वहां के सारे के सारे कुंए खाली हो जाते हैं। जब वहां चारों तरफ पानी भरा रहता है, खाइयां या तालाब भरे रहते हैं तब तक वहां पीने के लिये पानी मिल सकता है, लेकिन जब इस तरह से पानी वहां नहीं रहता है तो वहां पीने के योग्य पानी भी नहीं मिलता है। तालाब सूख जायेंगे, खाइयां सूख जायगी. पानी न मिलने के कारण प्यास के मारे मौत के मुंह में जाने की नौबत आ सकती है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार निरन्तर पानी मिलता रहे, इस प्रकार से कृत्रिम व्यवस्था वहां रहती थी। अब व्यवस्था कुछ दूसरी तरह की बदल चुकी है, जिसके कारण पानी का मिलना असंभव तो नहीं कठिन अवश्य हो गया है। इसलिये डीग में किस तरह से पानी आये इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वहां के लिये पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि ट्यूब वेल्स का एक्सपेरिमेन्ट जो किया जा रहा है वहां भी यह होना चाहिये, कह नहीं सकते। पानी के इसके अलावा दूसरे साधन हो सकते हैं, वहां पर किसी वक्त में सभापति महोदय, डीग तहसील में राजा महाराजाओं के कुए ऐसे हैं जिनमें यदि ट्यूब वेल लगा दिया जाय तो इतना पानी निकल सकता है, जिससे काफी सिंचाई हो सकती है और उस पर भी उन कुओं का पानी कम नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैंने समय समय पर विभाग के मंत्री महोदय को एवं विभाग के अधिकारियों को कहा है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हमारा इस तरह के कार्यों से सम्बन्ध नहीं है, आप कृषि विभाग से कहिये। जब कृषि विभाग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि कोऑपरेटिव विभाग से कहिये, इस तरह से लोगों को वहां पानी नहीं मिलता।

श्री सोहनलाल भटनागर : कोऑपरेटिव से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वे कहते हैं कि ट्यूब वेल आदि लगाने के बारे में हम कोऑपरेटिव को प्राथमिकता देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी या पंचायतें मांग करें तो हम उनकी मांग पर लगा सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग स्वयं इसको देखे कि किस तरह से वहां लोगों को सिंचाई के साधन प्राप्त हो सकते हैं।

इसके अलावा, इन तीन प्रस्तावों के अलावा चौथा प्रस्ताव जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुड़गांव केनाल के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय, हम लोग यहां राजस्थान केनाल की बहुत बातें करते हैं और हम सब के लिये यह गौरव और गर्व की चीज़ है, कि राजस्थान जैसे प्रदेश में राजस्थान नहर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नामक विशालकाय जल प्रदाय आता है। उससे लाखों बीघा भूमि सिंचित होगी। इससे हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस इलाके के लोगों को जहां पर इस राजस्थान नहर से पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, हम इससे किसी प्रकार भी उत्साहित नहीं कर सकते अपने प्रभावशाली भाषण से कि हमारे राज्य में बहुत प्रगति हो रही है। लेकिन जिन गांवों में कुछ नहीं होता है वे सीधे ही पूछते हैं, हमको उससे क्या लाभ है?

हमारे यहां जो नहर आवेगी तो हमें भी उससे लाभ होगा। तो इस प्रकार की नहर की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर 'गुड़गांव' कैनाल योजना के नाम से एक योजना बनाई है। काफी लाभ इससे हमें होगा। गुड़गांव के लिये भी, दिल्ली के इलाके के लिये भी और अलवर के और भरतपुर जिले के लिये भी इसका पानी आवेगा। पर इसकी बात ही अधिक होती है, कभी कहते हैं योजना का सर्वे हो रहा है, कार्य शुरू होने वाला है, पर अभी करने-धरने के नाम से दिल्ली दूर ही बनी हुई है। इस तरह से वहां के लोगों को हम भुलावे में नहीं रख सकते। तो मैं इस कटौती प्रस्ताव द्वारा सिंचाई मन्त्री से स्पष्ट निश्चित शब्दों में चाहता हूँ कि वास्तव, में स्थिति क्या है यह वे बतावें, कितना रुपया लग रहा है, क्या केन्द्रीय सरकार कर रही है, क्या पंजाब कर रहा है और क्या राजस्थान कर रहा है और कितने दिनों में भरतपुर के प्यासे क्षेत्रों में इस नहर का पानी आकर पहुँच सकेगा।

अन्तिम कटौती का प्रस्ताव मेरा है पथैना केनाल को आगे बढ़ाने का। बाण नदी बिल्कुल मामूली नदी है। इसमें से यह कैनाल निकली है। जैसी हालत में वह पहले थी, उसी हालत में आज है। काफी सिल्टेड हो चुकी है। सफीलें टूट चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस नहर को भी आगे बढ़ाया जावे तो नदबई और पथैना इलाके भी इससे सिंचित हो सकते हैं। तो इसकी ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

तो ये मेरे चार–पांच इस सम्बन्ध के प्रस्ताव हैं और मैं आशा करता हूँ कि इनके सम्बन्ध में जो उचित व्यवस्था हो सकती है सरकार अवश्य करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूँ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव थे।

श्री सभापति: You have forrfeited your rights by not presenting at the appropriate time.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। एक है सिंचाई विभाग का रेवेन्यू स्टाफ पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। अगर करते तो एक लाख की इससे इकोनॉमी होती, पर पूरे कदम नहीं उठाये गये। आपने तय किया, कि ढाई हजार एकड़ वाले तालाब के लिये सेपरेट इर्रिगेशन पटवारी वगैरह नहीं रहेगा। लघु सिंचाई योजना के दस लाख के कितने वर्क हैं, जिन पर हैं। उन

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पर पटवारी रहेगा, स्टाफ भी रहेगा। इससे ज्यादा खर्चें की कमी नहीं हुई होगी। यह डबल रेवेन्यू का और सिंचाई विभाग का खर्चा है और दोनों जिन्सवार करते हैं। काफी कन्फ्लिक्ट इसमें होता है। सिंचाई का पटवारी ज्यादा फिगर बताने के लिये इनफ्लेटेड फिगर्स बताता है। वक्त पर काश्तकार ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो इस तरह से एक आदमी के रहने से इकोनॉमी की दृष्टि से भी और किसान की परेशानी भी मिटेगी इस दृष्टि से भी यह उपयुक्त होगा कि सिंचाई विभाग का स्टाफ इन पर से समाप्त कर दिया जाय और यह काम रेवेन्यू के पटवारी पर छोड़ दिया जाय, उस पर विश्वास किया जाय और अगर विश्वास की स्थिति न हो, तो एक इन्सपेक्टर भले ही आप रख सकते हैं और इसके बाद अगर गलत निकले तो पनिश कर सकते हैं। इसलिये मेरा कहना है, कि ढाई हजार एकड़ पर पटवारी नहीं रखा जावेगा, पर इसके आगे भी इस इकोनॉमी को बढ़ाया जावे। रेवेन्यू के पटवारी पर विश्वास करना चाहिये, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर अलग रख दिया जावे, जो सरप्राइज़ चैकिंग भी करे। मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण से यह कट मोशन मैंने मूव किया है।

दूसरा कट मोशन मेरा है लघु सिंचाई योजना के बारे में। इस बारे में कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं भी कुछ ही शब्दों में अपने विचार आपके सामने रख देता हूँ।

प्लानिंग कमीशन ने और देश के बड़े बड़े लोगों ने माना है कि बड़ी योजनाओं के बनिस्बत लघु सिंचाई पर ज्यादा जोर देना चाहिये, क्योंकि इनका रिटर्न जल्दी मिलता है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे दुख है कि हमारे यहां इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यहां तक कि जो लक्ष्य मुकर्रर किये गये, financially as well as physically, वे टार्गेट अचीव नहीं कर सके। तीन करोड़ रुपये इसके लिये रखे गये, पर उसमें से आधा भी खर्च नहीं कर पाये। जितना एकरेज रखा गया था वह भी नहीं पूरा कर पाये। अब बड़ी बड़ी योजनाओं के मुकाबले में देखते हैं, तो इन लघु सिंचाई योजनाओं पर इन्वेस्टिगेशन और वर्क एस्टिमेट पर १।१० वां हिस्सा भी अपना समय नहीं दे सकते। इस बारे में कई बार ध्यान भी सरकार का आकर्षित कराया गया। पर हम अपना बजट एस्टिमेट का रुपया भी खर्च नहीं कर सके। उस वक्त की यह बात है जब दूसरी प्लॉन में १०५ करोड़ रखा है और आज तीसरी में डबल से भी ज्यादा रखा है। इससे भी साफ जाहिर है कि प्लान काफी बड़ी है लघु सिंचाई योजना पर भी काफी खर्च करना चाहिये था।

इसके साथ ही हमारी सरकार को आर्थिक लाभ भी इससे होता। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जो दूसरे प्रश्न हैं उनमें एक वाटर युटिलाइज़ेशन का है। इसमें ऐसा है कि आज हम देखते हैं कि हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं उनको हमारी सरकार पूरी तरह से युटिलाइज़ नहीं कर पा रही है। एक तरफ यह कहा जा सकता है कि छोटी चैनल वगैरह काश्तकार नहीं खोदते इसलिए वाटर युटिलाइज़ नहीं हो रहा है लेकिन सभापति महोदय, मेरे ख्याल से दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद किसानों को इस बारे में काफी एक्स-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पीरियेन्स हो गया है और वे ठीक तरह से कार्य करने लग गये हैं, लेकिन असल गल्ती सिंचाई विभाग की है। जब कि बड़ी चैनल ठीक तरह से नहीं खोदते तो फिर काश्तकारों का दोष कैसे बता सकते हैं? आज कितना वाटर पोटेन्शियल मौजूद है। जो बह रहा है वह तो अलग है, लेकिन जो इकट्ठा किया हुआ है और जो मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि जयसमन्द झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। आज दस वर्ष हो गए और कई दफा मैंने कहा, लेकिन उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैंने कितनी ही बार कहा है कि इसको मीडियम इर्रिगेशन स्कीम में ले लीजिए, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे ४० हजार एकड़ जमीन की अभी भी सिंचाई हो सकती है, लेकिन आज उससे केवल १८ हजार एकड़ से ज्यादा जमीन में पानी खर्च नहीं हो रहा है। मैं कभी इसके लिए अर्ज करता हूँ तो दो चार हजार रुपया नहरों के लिए स्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन मीडियम योजना की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी योजना का रिटर्न मुश्किल से ०५ के करीब आता है। जो वहां हमारी वाटर पोटेन्शियल है अगर उसका रिटर्न हम देखें तो १० पर्सेन्ट आ सकता है। जो हमारी माइनर इर्रिगेशन की रकम है, उसको हम पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किन कारणों से हमारे मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। मैं मानता हूँ कि जब से आपने यह मंत्रालय संभाला है, तब से कार्य में फर्क आया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी देर किसी के एस्टीमेट बनाने में, स्वीकृत होने में, टेन्डर होने में और काम होने में लगती है उसका एनेलेसिस करेंगे तो मालूम होगा कि छोटी सिंचाई योजनायें भी ६–७ वर्ष ले लेती हैं। मेरे ख्याल से इस साइन्टिफिक एज में, जब कि काफी प्रगति हम कर रहे हैं कई काम ऐसे जल्दी से कर सकते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि वाटर पोटेन्शियल जब कि हमारे पास मौजूद है जिससे हमारी जनता को लाभ पहुंच सकता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी दृष्टि-कोण से मैंने ये कटौती के प्रस्ताव रखे हैं।

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं....

श्री सभापति : Please move them altogether.

श्री धन्नालाल हरित : Allright, Sir.

श्री सभापति : Yes, now continue.

श्री धन्नालाल हरित : पहला प्रस्ताव तो जो चम्बल की नहरें हैं उन पर लिफ्ट इर्रिगेशन लागू करने के बारे में है। सभापति महोदय, कहने को तो कोटा में चम्बल बांध बना है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी नहरें बनी हैं। जब भी कभी यहां कोटा के बारे में कोई बात आती है तो कह दिया जाता है कि कोटा में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन सभापति महोदय, बांध बना है, नहरें बनी हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन

(श्री धन्नालाल हरित)

जो नहरें बनी हैं उनका सर्वे कुछ ऐसा डिफेक्टिव हुआ है जिससे नहरों के लेफ्ट साइड पर ही सिंचाई होती है और राइड हैंड साइट पर बहुत कम होती है। मुझे अच्छी तरह आंकड़े याद नहीं हैं, लेकिन मैं अनुमानतः कह सकता हूँ कि ८० पर्सेन्ट तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिंचाई होगी और २० पर्सेन्ट राइट हैंड साइड पर होगी। तो सभापति महोदय....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखते हुए कृपया संक्षेप में कहें।

श्री धन्नालाल हरित : लेकिन सभापति महोदय, मुझे किसी बात के कहने के लिए उसकी महत्ता पर विस्तार से कहना पड़ेगा तभी मेरी बात मंत्री महोदय के ध्यान में आयेगी।

श्री सभापति : क्या सदन की इच्छा है कि इस मांग को आज ही स्वीकार करने के लिए सदन का समय आधा घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, मांग कल स्वीकार की जाये।

श्री सभापति : हां, आप (श्री धन्नालाल हरित) आरम्भ रखिये।

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, कोटा जिले की १८ तहसीलों में से सिर्फ ४ तहसीलों में ही ये नहरें गई हैं और इन तहसीलों को भी नहरों के लेफ्ट साइड पर ही पानी मिलता है और राइट हैंड साइड पूरा सूखा पड़ा है। एक तरफ तो सिंचाई हो और दूसरे किनारे वाले यह देखते रहें कि उनके यहां सिंचाई न हो, यह बहुत ही विकट परिस्थिति है। इसके अलावा वहां गांधीसागर बांध की बिजली भी पूरी तरह से युटिलाइज़ नहीं हो पाई है। वहां बहुत स्कोप है। अन्न के महत्व को समझते हुए सरकार जहां दूसरी इन्डस्ट्रीज़ में बिजली दे रही है, मैं इन्कार नहीं करता कि उनको बिजली नहीं दी जाये, लेकिन जहां तक अन्न की समस्या का सवाल है, इन्सान को सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है। सिंचाई की योजनायें ही इसीलिए लागू की जाती हैं। इसलिए सबसे पहले बिजली का प्रोपर युटिलाइज़ेशन होना चाहिए और प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन इसका यही है कि इसकी मदद से नहरों से अधिक से अधिक सिंचाई की जाये। इसलिए मैं विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन नहरों से जमीन के दोनों तरफ सिंचाई करने के लिए लिफ्ट इर्रिगेशन सिस्टम को लागू किया जाये जिससे कि वहां लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। यदि यहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन लागू कर दिया गया तो न केवल उसी जगह, बल्कि दूसरी जगह; बारां, अटरू और सांगोद की आधी तहसील बच गई है उनमें भी पानी लाया जा सकता है। इस कारण मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रस्ताव की ओर ध्यान देंगे।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव कोटा जिले में लघु सिंचाई की योजनाओं की उपेक्षा के बारे में है। लघु सिंचाई की योजनाओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है उसका

(श्री धन्नालाल हरित)

एक कारण है कि कोटा जिले में चम्बल नहर योजना जैसी एक बहुत बड़ी योजना लागू हो गई है। अब उस योजना में सारी छोटी छोटी योजनायें उसकी छाया में दब गई हैं, कुछ ऐसा मालूम होता है। कई योजनाओं को हाथ में ले रखा है लेकिन उन पर काम नहीं किया जा रहा है। अटरू तहसील का बुद्धसागर तालाब है, लेकिन उसका काम अधूरा पड़ा है, उसकी नहरें भी अधूरी पड़ी हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्त होने जा रही है। इस तालाब से सिंचाई करने की योजना थी, लेकिन तालाबों में काम अधूरा पड़ा है और योजनाओं से लाभ होने का काम तो दूर रहा, लेकिन जगह जगह रास्ते में राहगीरों को परेशानियां और पैदा कर दी हैं, मीटपुर का तालाब था जिससे नहर निकालने की योजना थी लेकिन वह भी अधूरी पड़ी है और जगह जगह गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं, इससे और ज्यादा परेशानियां हो गई हैं। कालीसिंध का बांध बनाने की योजना थी, बांध बन गया है लेकिन नहरें पूरी नहीं बन पाई हैं। शाहबाद तहसील में खुशहालपुरा, शुभधरा; इन बस्तियों के लिये तालाब को बांध कर योजना लागू करने की कोशिश की थी लेकिन नहरों के लिए छोटे मोटे गड्ढे खोद कर उन योजनाओं को वहीं अधूरा छोड़ दिया है। भगवान् जाने कब ये योजनायें पूरी होंगी। अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्त होने जा रही है। जाने इन योजनाओं का कब जनता को फल प्राप्त होगा? बारां तहसील में भी बहुत सी योजनायें; तालाब और नदी बांध कर चालू कर रखी हैं लेकिन यह दूसरी योजना खत्म हो गई, उनका भी काम नहीं हुआ। इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन महत्वपूर्ण बातों को तरफ ध्यान दें।

मैंने मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव पार्वती बांध व नहर एवं अंडेरी की नहर की मरम्मत के लिए रखा है। जहां तक पार्वती बांध का सवाल है उसमें इतनी मिट्टी और लोडियां इकट्ठी हो गई हैं कि वहां पर पानी बिल्कुल नहीं रहता है और जब कभी इकट्ठा होता है तो विभाग के आदमी तो वहां जाते नहीं हैं लेकिन वहीं के किसान जाकर उसे साफ करते हैं। मैं इस प्रस्ताव के द्वारा....

श्री पी० के० चौधरी : The time is up, Sir. The Hon'ble member should be asked to conclude his speech now.

श्री सभापति : Yes, within one minute please.

श्री धन्नालाल हरित : Only two minutes, Sir.

दूसरी अंडेरी की नहर योजना चालू हो रही है; लेकिन उस पर ५० जगह लीकेज है। मैंने पचासों बार विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया लेकिन न जाने विभाग ऐसी कौन सी योजनाओं में फंसा रहता है कि इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता।

इसके अलावा एक बात की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह यह है कि पार्वती नदी से नलों की योजना चालू कर रखी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है

(श्री धन्नालाल हरित)

कि वह योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन सब बातों को तरफ ध्यान दिया जाये तब तो ठीक है, वरना बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर....

श्री सभापति : The Hon'ble member may take his turn tomorrow, since the time is up.

(विराम)

The House is adjourned to meet tomorrow at 11 a. m.

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे कल दिनांक २१ मार्च, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, २० मार्च, १९६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
	३६६३
जयपुर शहर में नियुक्त अनुसूचित जाति की अध्यापिकायें ।	
बीकानेर डिवीज़न के किसानों को राहत कार्य ।	
तहसील उदयपुर के उदयपुर जमात प्राइमरी स्कूल के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना ।	
पाली तहसील में घासमारी की रकम की वसूली ।	
हाथर सेकन्डरी स्कूल्स का असन्तोष-जनक परीक्षाफल ।	
जयपुर शहर की बस्तियों में प्रकाश की अव्यवस्था ।	
राज्य सरकार की ओर से जागीर के मामलों में पैरवी करने वाले एडवोकेटस् ।	
ग्राम पंचायतों को म्यूटेशन करने के अधिकार ।	
पड़त भूमि को आबादी भूमि में घोषित करना ।	

	स्कम्भ
ग्राम बायतु से पचपद्रा तक सड़क निर्माण कार्य ।	
ग्राम गिरवर (पाली) में गोचर, पड़त व काश्त की जमीन ।	
खेतड़ी स्थित तांबे की खान का विकास ।	
ग्राम कुरणा (पाली) में गोचर, पड़त व काश्त की जमीन ।	
देवली–केकड़ी सड़क का निर्माण कार्य ।	
तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेकारी के निवारणार्थ व्यवस्था ।	
ग्राम डरी (पाली) में पड़त, गोचर व काश्त की जमीन ।	
बीकानेर में अधिक बजट होने के बावजूद उदयपुर में सुपरिन्टेन्डेन्ट गार्डन्स की पोस्ट की स्वीकृति ।	
डूंगर कॉलेज, बीकानेर के भवन का निर्माण ।	
चकबन्दी के कार्य में परिवर्तन की अपेक्षा ।	

Page No.121

स्कम्भ स्कम्भ

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अधिकारियों द्वारा घरेलू कार्य लिया जाना।

झालावाड़ जिला जेल पर टेलोफोन की व्यवस्था।

मांडलगढ़ एस. डी. ऑफिस में गलत ढंग से झण्डा फहराया जाना।

स्थगित प्रश्न–

२८–२–६१ :

सूरजमल सुनार, निवासी नोहर को भूमि का नाजायज आवंटन।

स्थगित प्रश्न।

६-३-६१।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपूर्ण पड़ी हुई सड़कों का निर्माण।

आय-व्ययक, १९६१-६२
द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा ३७०६

उपरोक्त मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई। जिस पर ७५ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मुख्य मन्त्री के उत्तर के पश्चात् ५५ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(२) मांग संख्या, ६ मुख्य शीर्षक १७ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) कार्यवाहक व्यय। ३८५८

१७–सिंचाई निर्माण–कार्य (वाणिज्यिक) पर व्याज।

१८-अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्वों से अर्थ–प्रबन्ध किया जाता है।

१८-सिंचन, (संयुक्त) स्थापना औज़ार और स्थिर संयंत्र पर व्यय

उपरोक्त मांग श्री भीखाभाई, सिंचाई मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर २० कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

Page No.122

सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार, दिनांक २१ मार्च, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक २१ मार्च, १६६१ की कार्य–सूची

(१) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण-कार्य (वाणिज्यिक) कार्यवाहक व्यय-कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति तथा मांग सदन द्वारा स्वीकृत।

(२) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ८०–का–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत-कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति तथा मांग की स्वीकृति।

(३) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२१ का उत्तर देखिये)

मौजा डरी का कुल काश्त शुदा रकबा व छुटभाइयों व गुजारेदारों का रकबा

क्रम सं०	नाम आसामी	कुल काश्त शुदा रकबा	छुटभाइयों के पास जमीन खुदकाश्त
१.	कुल काश्त शुदा	१४०७५।।।)१	—
२.	हरीसिंह वल्द रामसिंह ठाकुर राजपूत सा. देह	—	२५.३४।।)३
३.	लाडीजी राणावतजी जोजे हरीसिंह जी सा. देह गुजारेदार	—	२१८।।)३
४.	गंगासिंह व गोविन्दसिंह पि. देवीसिंह सा. देह छुटभाई	—	६८४।।)
५.	गोपालसिंह वल्द राजसिंह सा. देह	—	८३६।)१
६.	तेजसिंह वल्द हरसिंह, धोकलसिंह वल्द सारथसिंह सा. देह	—	८६४)२
७.	नारायणसिंह वल्द चतरसिंह सा. देह मोडसिंह वल्द रणजीतसिंह छुटभाई	—	४००।।।)२

१	२	३
८. नारायणसिंह वल्द चतरसिंह राजपूत सा. देह छुटभाई	—	७४।)२
६. मोडसिंह वल्द रणजीतसिंह राजपूत सा. देह छुटभाई	—	१६३)१
	१४०७५॥।)२	५८३६।)४

ग्राम डरी में सम्वत् २०१५ में पड़त भूमि में काश्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

नम्बर शु.	नाम आसामी	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
१	२	३	४
१.	कछुरा वल्द मूला भाम्बी सा. देह	२२	२२)
		२३	५॥)२
		२	२७॥)२
२.	केसा वल्द चेना भाम्बी सा. देह	२४४	१४।)
३.	गीसा वल्द पूनमा दरोगा सा. देह	५६१	५॥)
४.	गीसा वल्द डाया मेणा सा. देह	५०७	२३)३
५.	गीगा वल्द पीरा दरोगा सा. देह	२८४	१०।)२
६.	चन्दालाल वल्द तख्तमल महाजन	६२५	३)१
		६१६	२॥)२
७.	जगीया वल्द जीवा घाची	१११५	३४॥)
	जगीया देवा, अनिया, भगिया	१११६	२५।॥)१
	पि. जीवा घाची		
८.	जोगला वल्द चीमना राईका सा. देह	१०६७	१३)२
९.	काना वल्द नन्दा दरोगा सा. देह	१०१०	१०)
१०.	देवराज वल्द अमीचन्द महाजन सा. देह	१०२३	२५)
११.	पूनमा वल्द किशना भंगी सा. देह	७१६	१६॥)१
		७७८	७।)१

१	२	३	४
१२.	पूनमा वल्द लच्छा, घीसा वल्द पूना	१११७	२२॥)२
	दलिया वल्द फूसा, लालिमा वल्द पीरा	१११८	१६)३
		१११६	४॥)१
		८	
		१२०३	
१३.	मोती वल्द मेरा कुम्हार सा. देह	६१७	२॥)२
१४.	देवा वल्द तुलछा लवार	५६२	१०॥)
		५७३६	१६।)१
१५.	वीरदा वल्द चीमना राजपूत सा. देह	५५८	३)३
		५५६	६)२
१६.	सोना वल्द मगा दरोगा सा. देह	६६१	११॥।)
१७.	सविया वल्द मगा चुनिया वल्द दलो भील सा. देह	१०१०	३८।)
१८.	शंकर वल्द मादा दरोगा सा. देह	३७६	७॥)४
		५२२	६)
		६७५	१५)

ग्राम डरी में सम्वत् २०१६ में पड़त भूमि में काश्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

नं० शु०	नाम आसामी	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
१	२	३	४
१.	चिमना व बेना गोमा पि० रामा जगिया वल्द	२२	४६)
	बाला, सोनिया वल्द लाला कौम भाम्बी सा० देह	२३	१५॥)२
२.	चैना वल्द वीरम भाम्बी सा० देह	२४४	१४।)
३.	गीगा, रूपा, केसा पि० डाया मेणा सा० देह		
	हि० ब०	५०७	२३)३
४.	विरदा वल्द चिमना राजपूत सा० देह	५५८	३)२
		५५६	६)२
५.	घीसा वल्द पूना दरोगा सा० देह	५२२	६)
		५६१	५॥)४
		७१६	२॥)
६.	बेना वल्द तुलसा लवार सा० देह	५६३	१६।)१
७.	रामा वल्द जांवतीग राजपूत सा० देह	—	७॥)४
८.	सोना वल्द मंगा दरोगा सा० देह	६६१	११।।।)
९.	पूनमा वल्द किसना हरीजन सा० देह	७१६	१६॥)१
		६७८	७।)१
१०.	चम्पालाल वल्द तख्तमल जैन सा० देह	६१५	१।।।)४
		६१६	२॥)२
		६१७	२॥)२
		६२५	३)१

१	२	३	४
११.	थाना वल्द नन्दा दरोगा सा० देह	६५१	१२॥)
		१०१०	१६।)४
१२.	शंकर वल्द सादा दरोगा सा० देह	६७५	४०॥)३
१३.	जगिया वल्द जीवा कौम घांची सा० देह	१००५	३४॥)
१४.	जोगा वल्द चिमना राइका सा० देह	१०१७	१३)२
१५.	सत्रिया वल्द मगा, चुनिया वल्द दाना भील सा० देह	१०१०	४४।)३
१६.	जोरा, चमना, रावता, पि० मठा कौम मेणा	११०२	२६।)
	सा० देह	११०५	१४)३
१७.	पूनमा वल्द लछा, घीसा वल्द पूनमा, दलिया	१११७	२२॥)२
	वल्द फूआ, लाला वल्द पीरा	१११८	१६)३
		११६	४१॥)२
		१२०३	
१८.	वेना सेरा पि० दीपा कौम भाम्भी	५४४	१३॥)४

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ का उत्तर देखिये)

तहसील	नाम गांव	तादाद म्यूटेशन व तारीख	कारण म्यूटेशन	नाम जिनके द्वारा म्यूटेशन मंजूर किये गये
१	२	३	४	५
बाली	भण्दर	१४।८–४–६०	आर. टी. ए. की धारा १५ के माफिक (उन्होने म्यूटेशन माफिक चिट्ठी नं० ६ (२०) आर. बी. एस । ५६ दिनांक १६–२–६० जो राजस्व सचिव (ज) द्वारा सब जिलाधीशों को भेजा गया किया है, व इस चिट्ठी का हवाला म्यूटेशन मंजूर करते वक्त दिया है ।	श्री गिराजसिंह तहसीलदार
	भण्दर	८।२२–४–६०		श्री मोहनलाल नायब तहसीलदार, बाली ।
	पिपला	२।१३–४–६०	आर. टी. ए. की धारा १६ के माफिक व उपरोक्त चिट्ठी के माफिक ।	श्री गिराजसिंह तहसीलदार, बाली ।
	पिपला	५।७–१२–५७	बैचान	श्री देवराज, नायब तहसीलदार ।
		१।२०–१–५८	फौतेदगी	,,

१	२	३	४		५
	पिपला	१।१८–८–५८	फौतेदगी		श्री मोहनलाल
		७।१६–५–५८	आर. टी. ए. धारा १५		श्री गोपाललाल माथुर तहसीलदार।
	सेवाड़ी	१३	फौतेदजी	३१–३–५८	श्री गोपाललल माथुर ।
		५	बैचाण	व	,,
		१८६	आर. टी. ए. धारा १५	१–४–५८	,,
	मागली	१।२–६–५८	बैचाण		श्री मोहनलाल, नायब तहसीलदार।
	खीमेल	३।२–२–५८	बैचाण व दुरूस्ती		श्री देवराज, नायब तहसीलदार
		२।१६–८–५८			श्री मोहनलाल, नायब तहसीलदार।

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ का उत्तर देखिये)

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, RAJASTHAN

(Statement showing pass percentage of Multipurpose and Higher Secondary Schools for the year 1960.)

S. N.	Name of school	pass percentage.
1	2	3
1.	Government M. P. Higher Secondary School, Ajmer	42%
2.	Government M. P. Higher Secondary School, Kekri	65%
3.	Government Higher Secondary School, Pushkar	35%
4.	Government Higher Secondary School, Roopnagar	37%
5.	Government M. P. Higher Secondary School, Sardhana	55%
6.	Mahila S. S. M. P. Higher Secondary School, Hatundi	100%
7.	Adarsh Vidyalaya Higher Secondary School, Ajmer	15%
8.	Government Patel M. P. Higher Secondary School, Beawar	20%
9.	Government M. P. Higher Secondary School, (Girls), Beawar	83%
10.	Government Jain Gurukul Higher Secondary School, Beawer	45%
11.	Government M. P. Higher Secondary School, Jaitaran	39%
12.	Gevernment Narain Higher Secondary School, Bijainagar	12%
13.	Shri Gandhi M. P. Higher Secondary School, Gulabpura	49%
14.	Government M. P. Higher Secondary School, Shahpura	33%
15.	Sadul M. P. Higher Seconday School, Bikaner	71%
16.	Government Higher Secondary School, Kalu	78%
17.	The Sadul Public Higher Secondary School, Bikaner	57%
18.	Lady Elgin Girls' Higher Secondary School, Bikaner	33%

1	2	3
19.	Government Higher Secondary School, Rajgarh (Churu)	75%
20.	Government Higher Secondary School, Gajsinghpura	20%
21.	Government Higher Secondary School, Muklawa	7%
22.	Shri Raghunath M.P. Higher Secondary School, Ratangarh	67%
23.	Government M. P. Higher Secondary School Shri Ganganagar	31%
24.	Gramothan V. M. P. Higher Secondary School, Sangaria	14%
25.	Government Higher Secondary School, Suratgarh	37%
26.	Government Higher Secondary School, Shri Bijayanagar	39%
27.	P. C. B. M. P. Higher Secondary School, Sujangarh	56%
28.	Johari M. P. Higher Secondary School, Ladnun	64%
29.	Shri Mahaveer M.P. Higher Secondry School, Ladnun	80%
30.	Government Higher Secondary School, Chhoti Khatu	89%
31.	Maharaja's M. P. Higher Secondary School (Boys), Jaipur	27%
32.	Government Higher Secondary School, Bichun, Jaipur	43%
33.	Government Higher Secondary School, Jamwa Ramgarh (Jpr)	85%
34.	Government Higher Secondary School, Lamba Harisingh (Tonk)	68%
35.	Government Higher Secondary School, Gandhinagar (Jaipur)	42%
36.	Government Higher Secondary School Puranibasti (Jaipur)	18%
37.	Government Higher Secondary School, Bhaislana (Jaipur)	75%
38.	Government M. P. Higher Secondary School, Jobner	44%
39.	Maharaja's M. P. Higher Secondary School, (Girls), Jaipur	63%
40.	Banasthali Vidyapeeth M. P. Higher Secondary School, Banasthali	69%

1	2	3
41.	Shrimati Kamla Nehru Higher Secondary School, Jaipur	45%
42.	Yashwant M. P. Higher Secondary School, Alwar	42%
43.	Government Higher Secondary School, Beejwar, Chauhan	22%
44.	Government Higher Secondary School, Kherthal	55%
45.	Government Higher Secondary School, Harsauli	28%
46.	Government M. P. Higher Secondary School, Bharatpur	38%
47.	Shri S. D.Higher Secondary School, Bharatpur	12%
48.	Government Higher Secondary School,Rupbas (Bharatpur)	63%
49.	Government M. P. Higher Secondary School, Dholpur	42%
50.	Government M. P. Higher Secondary School, Gangapur	25%
51.	Government M. P. Higher Secondary School, Jhunjhunu	50%
52.	Government Higher Secondary School, Gorir	35%
53.	P. R.Saharia M. P. Higher Secondary School, Kaladera (Jaipur)	67%
54.	Multipurpose Higher Secondary School, Karauli	45%
55.	Government Higher Secondary School, Khandar	67%
56.	Government Higher Secondary School, Rajgarh (Alwar)	29%
57.	Government Higher Secondary School, Mandawar	32%
58.	Government Higher Secondary School, Ajitgarh	42%
59.	Government Higher Secondary School, Chhapoli	45%
60.	Government Higher Secondary School, Manoharpur(Jaipur)	37%
61.	Government Higher Secondary School, Amarsar	72%
62.	New Government M. P. Higher Secondary School Jodhpur	43%
63.	Shri Mahesh M. P. Higher Secondary School, Jodhpur	48%

1	2	3
64.	Chopasani M. P. Higher Secondary School, Jodhpur	40%
65.	Government M. P. Higher Secondry School, Phalodi	60%
66.	Sir Pratap M. P. Higher Secondary School, Jodhpur	31%
67.	Government Glirls Higher Secondary School, Sardarpura	62%
68.	Government Higher Secondary School, Lunic Jodhpur)	29%
69.	Government M. P. Higlier Secondary school, Barmer	46%
70.	S. K. L. K. Multipurpose Higher Secondary School, Nagaw	47%
71.	Government Higher Secondary School, Nokha (Bikaner)	25%
72.	Government Higher Secondary School, Degana	Nil
73.	Government M. P. Higher Secondary School, Sojatcity	61%
74.	Government Higher Secondary School, Pindwara(Sirohi)	60%
75.	Government M. P. Higher Secondary School Mandar (Sirnhi)	50%
76.	Government M. P. Higher Secondary School, Kota	28%
77.	Government M. P. Higher Secondary School, (Boys)Baran.	44%
78.	Governmant Girls, Higher Secondary School, Baran	67%
79.	Government Higher Scondary School Chhiepa Barod	22%
80.	Government Higher Secondary School, Itawa (Kota)	21%
81.	Government Higher Secondary School, Bekani (Jhalawar)	18%
82.	Vidya Bhawan M. P. Higher Secondary School, Udaipur	92%
83.	Sant Paul's Higher Secondary School, Udaipur	86%
84.	Higher Secondary School, Dabok (Udaipur)	63%
85.	Rajasthan Mahila Vidyalaya M. P. Higher Secondary School, Udaipur	70%
86.	Government Higher Secondary School, Gogunda	56%
87.	Government Higher Secondary School, Jolana (Banswara)	50%

1	2	3
88.	Government Higher Secondary School, Gangapur (Bhilwara)	37%
89.	Government Higher Secondary School, Asind (Bhilwara)	20%
90.	Government M. P. Higher Secondary School, Chittorgrh	38%
91.	Maharawal M. P. Higher Secondary School, Dungarpur	25%
92.	Government Higher Secondary School, Bankora (Dungarpur)	76%
93.	Government M. P. Higher Secondary School, Nathdwara	43%
94.	Government Higher Secondary Sehool, Amet.	62%
95.	Government Higher Secondary School, Vallabhnagar	42%
96.	Government Higher Secondary School, Relmagra	78%
97.	Government M. P. Higher Secondary School, Pratabgarh	31%
98.	Government Girls M. P. Higher Seoondary School, Partabgarh	62%

Statement showing the information with regard to the total number of candidates appeared and passed as Regular and Private candidates and their pass percentage at the Higher Secondary Examination, 1959 and 1960.

		1959	1960
1.	Total No. of candidates appeared as Regular students	4,003	5685
2.	Total No. of candidates passed (as Regular students)	1,258	2,303
3.	Pass Percentage	31.42	40.53
4.	Total No. of candidates appeared as Private candidates	213	668
5.	Total No. of candfdites passed (as Private candidates)	44	268
6.	Pass Parcentage of Private candidates	20.65	40.18

परिशिष्ट ४

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या ४११ का उत्तर देखिये)

तालिका लीगल एडवाईजर्स की

क्रमांक	नाम लीगल एडवाईज़र	कब से कार्य कर रहे हैं	नाम जिला	मासिक पारिश्रमिक
१.	श्री रघुनाथ बिश्नोई	मार्च, ६०	जालोर, पाली, सिरोही	४००)
२.	,, भवानीशंकर उपाध्याय	दिस०, ५८	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा	४००)
३.	,, श्रीनारायण लाल	मार्च, ६०	चित्तौड़गढ़	४००)
४.	,, हरिश्चन्द्र स्वामी	दिस०, ५५	जयपुर	४००)
५.	,, रामचन्द्र व्यास	अक्टूबर, ५८	सीकर, झुंझुनू	४००)
६.	,, रामकृष्ण कल्ला	दिसम्बर, ५८	नागोर	४००)
७.	,, श्यामबिहारीलाल	अक्टूबर, ५८	जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर	४००)
८.	,, रामनारायण शुक्ला	जून, ५६	अजमेर (किशनगढ़)	४००)
९.	,, सतानन्द शर्मा	सितम्बर, ५५	चुरू, बीकानेर, गंगानगर	४००)

१	२	३	४	१४
१०.	श्री नाथूलाल जैन	सितम्बर, ५५	कोटा, बूंदी, झालावाड़	४००)
११.	,, चैनसुख अजमेरा	अक्टूबर, ५८	भीलवाड़ा	४००)
१२.	,, भीमदेव सिंघवी	मई, ६०	भरतपुर, अलवर	४००)
१३.	,, चन्द्रबिहारीलाल व्यास	मई, ६०	टोंक, सवाईमाधोपुर	४००)
१४.	,, पुरुषोत्तमदास कुदाल	मार्च, ५९	रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर	४००)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २० मार्च, १९६१)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३६६४	१०	दिलान	दिलाना
३६७०	१२	श्री भैरोंसिंह 'कालाबादल'	श्री भैरवलाल कालाबादल
३६७२	६	श्री अनूपसिंह	श्री अनूपसिंह
३६७३	८	खनिज मत्री	खनिज मंत्री
,,	१०	है । जिससे	है जिससे
३६७५	१४	नारिदा	नासिरदा
३६७६	२१	श्री निरंजननाव	श्री निरंजननाथ
३६७८	अन्तिम से ५	उतकी	उनकी
३६८२	अन्तिम से २	सुपरिन्टेन्डेन्टस	सुपरिन्टेन्डेन्ट्स
३६८३	,,	सुपरिन्टेन्डेन्ट	सुपरिन्टेन्डेन्ट
३६८७	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	—
३६८८	१०	लिये । कृपया	लिये कृपया
३७०५	अन्तिम से ५	की औेर से	की ओर से
३७०७	१	के निभित	के निमित्त
३७०८	१६	स्थपन पर	स्थापन पर
३७१२	१३–१४	redueed be reduced	reduced
३७१३	शीर्षक	मांग ख्या	मांग संख्या
३७१३	१३	Educa ton be	Education be
३७१५	८	slandard)	standard)
,,	अन्तिम से २	स्कलों	स्कूलों
३७२१	२२	लिये तासरी	लिये तीसरी
३७२२	अन्तिम से ६	में मु	में मुख्य
३७२८	१४	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह
३७३०	१५	सार्वजकि	सार्वजनिक
,,	२८	करने नये	करने के लिये नये
३७३२	५	संस्यात्रों को	संस्थाओं को
३७३४	४	से सख्य	से सख्त
३७३५	१	है व	हैं वे
३७३८	१६	कोई एडवाइरी	कोई एडवाइज़री

(२)

१	२	३	४
३७४२	१६	अभारी हूँ	आभारी हूँ
३७४६	२०	इर्ष्या न हीं	ईर्ष्या नहीं
३७४८	१७	recngnised or	recognised
३७५८	अन्तिम	वर्तिन कर	वर्तन कर
३७६१	१६	एज्यूकशन पर	एज्यूकेशन पर
३७६२	अन्तिम से ८	को ट्रासफर	को ट्रान्सफर
३७६३	६	डिटी	डिप्टी
३७६४	५	डी से लाइ–	डीसेन्ट्रला
३७६५	१६	इन्डिपेडेन्स	इन्डिपेन्डेन्स
३७७३	शीर्षक	सीर्यक ३७	शीर्षक ३७
३७७४	१३	सेकती	सकता
,,	२५	झगड़ा को	को
,,	,,	से आपसी	से आपसी झगड़ा
३७७५	शीर्षक	शीर्यक ३७	शीर्षक ३७
३७७६	अन्तिम से ४	जाय	जायं
३७७८	१७	लदद दी	मदद दी
,,	२१	लेकन यह	लेकिन यह
,,	२६	समापत्ति	समाप्ति
३७७६	३	पेरेन्टस	पेरेन्ट्स
३७८१	२७	कोरल	करोल
३७८३	२२	छुट्टियां	छुट्टियां
३७८४	७	,,	,,
३७८५	अन्तिम से ५	प्रात की	प्राप्त की
३७८६	१४	दो–दो–तीन, तीन	दो–दो, तीन–तीन
,,	१८	लाल । भटनागर	लाल भटनागर
३७८८	२	अर्बन कॉयु	अर्बन कॉम्यु
,,	अन्तिम से ३	वह एडेड	वहां एडेड
३७६२	१४	एक्लास	ए क्लास
३७६३	अन्तिम से २	बेकिप	बेसिक
३७६५	४	औ मैं	और मैं
३८०२	७	समात	समाप्त
३८०३	११	मेंरे	मेरे
३८०५	१३	प्रात कर	प्राप्त कर

(३)

१	२	३	४
३८०५	अन्तिम से ४	चारित्रिय एक	चारित्र्य यह
३८०७	शीर्षक	शींषक	शीर्षक
३८०६	६	प्रस्तावों हैं।	प्रस्ताव हैं।
३८११	शीर्ष	(श्री दयाकृष्ण	(श्री दयाकृष्ण
३८१३	अन्तिम से १०	संस्कृत का	संस्कृति का
३८१४	१०	संथा का	संस्था का
३८२०	११	इन्ट रमीनियेट	इन्टरमीजियेट
३८२२	१८	tas a eacher	as a teacher
३८२४	७	विमाग में	विभाग में
३८२७	शीर्षक	शीर्यक	शीर्षक
३८२८	४	मिला के	मील के
,,	१६	सुविधावें	सुविधायें
३८२६	अन्तिम से २	वहां रखा	रखा
३८३४	६	एटीटयूड को	एटीट्यूड को
३८३५	११	युनिवर्सिटी के	युनिवर्सिटी
३८३६	१६	सखाड़िया	सुखाड़िया
३८४०	५	कि बूंद	कि बूंटी
३८४२	२१	जांय। यह सब स्वभाविक	जायं। यह सब स्वाभाविक
३८४७	अन्तिम से ५	दूसरों जगहों	दूसरी जगह
३८५८– ३६००	शीर्षक	सिंचन नौचालन	सिंचन, नौचालन
३८५६	३ व १६	Cut motion	Cut motions
३८५६	१२	ययंत्र पर	संयत्र पर
३८६१	२१	कटौति की	कटौती की
३८६२	७	का रेवेन्यू	की रेवेन्यू
३८६३	अन्तिम से २	श्री बृजसुन्दर	श्री बृजसुन्दर
३८६५	३	खर्चा और	खर्चा होता है और
३८६६	२७	मिल सका।	मिल सकी।
३८६७	२१	हो गई,	हो गये,
,,	१८ व २६	पार्वती	पार्वती
३८७२	२५	झलावाड़ जिले	झालावाड़ जिले
३८७३	शीर्षक	मु क	मुख्य शीर्षक
३८७८	,,	सिंचान	सिंचन

१	२	३	४
३८८४	२२	thre is	there is
,,	अन्तिम	सम्न्धित	सम्बन्धित
३८८६	११	कार्यों से	कार्यों से
३८६०	२०	hare forrfeited	have forfeited
,,	अन्तिम से २	नहीं रहेगा।	नही रहेंगे।
३८६३	,,	०५ के	.५ के
३८६७	१०	भी समात	भी समाप्त
,,	४	ध्या दें	ध्यान दें
३६०१	१४	की अव्यवथा	की अव्यवस्था
३६०४	१४	वाणिज्यिक	वाणिज्यक
३६०५	६	,,	,,
३६०६	५	,,	,,
३६०६	शीर्ष	परिशष्ट	परिशिष्ट
,,	आइटम१-१०	२	४५
३६१४	८	श्री गोपाललल	श्री गोपाललाल
३६१५	सीरियल १२	Geversn ment	Government
,,	,, १५	Seconday	Secondary
३६१६	,, २	Secondry	Secondary
३६१८	,, ६५	,,	,,
,,	,, ६७	Glrls	Girls
,,	,, ७५	(Sirnli)	Sirohi
,,	,, ७६	Scondary school Chhiep a	Secondary School Chhipa.
३६१६	,, ६०	Chittor grh	Chittorgarh
,,	,, ६४	Sehool	School
,,	,, ६	Seoondary	Secondary
३६२०	,, ५	Candfdtes	Candidates